

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02:00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

24.08.2026/1400/DC/PB/1

अध्यक्ष: प्रश्न काल आरम्भ।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है और आपने कहा था कि इसके लिए 2-00 बजे अपराह्न का समय दिया जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको प्रश्न काल के बाद समय दिया जाएगा।...(व्यवधान) आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम सब चाहते हैं कि मानसून सत्र में जनहित के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिन पर चर्चा अपेक्षित है, उन पर सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों की ओर से सार्थक चर्चा हो। इससे पहले जो हमारी बातें हुई थीं और जो आश्वासन दिए गए थे, उनके संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि परसों जब सदन की बैठक स्थगित हुई थी तब हम आपसे मिले थे। हमारा एक ही निवेदन था कि सत्तापक्ष की ओर से हमारे ऊपर बार-बार जो आरोप लगाया जा रहा है और जो सत्य पर आधारित नहीं है, उसकी पुष्टि हो। उसकी सही तस्वीर सामने आना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय गान के समय विपक्ष के माननीय विधायकों की ओर से राष्ट्रीय गान का अपमान किए जाने का जो आरोप लगाया गया है, वह बहुत गंभीर आरोप है।

हम इस आरोप को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक इसकी उचित जांच न हो जाए और जांच के बाद सारी स्थिति पूरे प्रदेश को स्पष्ट न हो जाए। इसलिए हमने आपसे विनम्र निवेदन किया था कि आज हम सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए हैं उन पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन आपने व्यवस्था देने के लिए कहा था कि आज दो बजे सत्र शुरू होते ही इस संबंध में व्यवस्था दी जाएगी उस पर भी स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। हमने राष्ट्रीय गान की जो वीडियो क्लिपिंग मांगी है, वह हमें उपलब्ध करवाई जाए। हमने इस संबंध में सचिव, विधान सभा महोदय को भी विधायक दल की ओर से लिखित रूप में दिया है कि उक्त क्लिपिंग हमें उपलब्ध करवाई जाए। इसलिए इस संबंध में आप व्यवस्था दें और हम उसके बाद ही आगे की कार्यवाही करेंगे, धन्यवाद।

24.08.2026/1400/DC/PB/3

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इस संबंध में बातें रखी हैं। जैसा कि आपने रूलिंग भी दी है कि जो भी इश्यूज हैं वे प्रश्न काल के बाद उठाए जाने चाहिए।...(व्यवधान) चाहे नियम-67 हो या कोई अन्य इश्यू हो उसके लिए सदन के अंदर यह तय हुआ है कि प्रश्न काल के बाद ही जो भी इश्यूज अथवा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर हैं, उन पर चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इनकी मंशा सदन से बाहर जाने की है और सदन को न चलाने की है। ...(व्यवधान)। आप पिछले दो दिनों की स्थिति देख सकते हैं कि क्या हुआ है? सत्र शुरू होने के पहले दिन श्री विपिन सिंह परमार ने इश्यू उठाया और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को आपस में लड़ा दिया। आपने जजमेंट दी कि Vidhan Sabha is an independent Organization and is not controlled by the Government. यहां जो भी कार्यवाही चलेगी वह परंपराओं और प्रिसिडेंट के मुताबिक तथा अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चलेगी या यह सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राय या

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

24.08.2026/1405/डी0सी0/ए0पी0-01

संसदीय कार्य मंत्री जारी

consensus बनेगा उसी के आधार पर विधान सभा चलेगी। आपने ruling दी है कि हमारे श्री विपिन सिंह परमार जी तीन साल तक स्पीकर रहे हैं। हमारी हिमाचल विधान सभा और बहुत सारी विधान सभाओं की परंपरा है कि विधान सभा का सेशन जब आरंभ होता है तो वह राष्ट्रगान से आरंभ होता है और विधान सभा का समापन राष्ट्रगीत से होता है। उसी के अनुरूप माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का संचालन किया। आपने एक non-issue को इश्यू बनाने की कोशिश की और उस इश्यू पर सदन में झगड़ा हो गया और अध्यक्ष महोदय

को सदन स्थगित करना पड़ा। शुक्रवार को क्या हुआ? शुक्रवार को सुचारु रूप से प्रश्नकाल चला रहा था। प्रश्न काल के बाद विपक्ष द्वारा फिर वही इश्यू सदन में उठाया गया। आपने सदन को adjourn किया। फिर दो बजे के बाद आपने दोबारा सदन चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चला पाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनकी मंशा क्या है। सदन सुचारु रूप से चले। सदन स्थगित करने के बाद भाजपा विधायक दल अध्यक्ष महोदय के दरवाजों के आगे अगल-बगल बैठ गये और वहां बैठकर नारेबाजी करने लगे। विधान सभा के स्पीकर के ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और नारे लगाने लगे। मुख्य मंत्री जी के खिलाफ तो नारे लगाए ही लेकिन अध्यक्ष महोदय के खिलाफ भी नारे लगाए गये। इन्होंने कहा कि सदन क्यों नहीं चलता, चक्कर है भई चक्कर है।...(व्यवधान) सोशल मीडिया पर हमने और पूरे हिमाचल प्रदेशवासियों ने स्पीकर साहब के खिलाफ नारें सुने। विपक्ष द्वारा कहा गया कि सदन चलाओ, सदन चलाओ, सदन चलाओ। माननीय श्री जय राम जी, सदन का संचालन तो स्पीकर ने करना है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई भी अड़चनें पैदा करेगा तो स्पीकर क्या करेगा? Consensus तो हम दोनों पक्षों में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश का जो मॉनसून सेशन चला है, इसका समय नष्ट न किया जाए और इस पर जो लाखों रुपये खर्च होते हैं वह सब जनता का पैसा खर्च होता है। सदन सुचारु रूप से चलाया जाए। सदन में जो इश्यू आते हैं वे सब जनता के मुद्दे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने वीरवार के दिन रूल-67 का दिया, शुक्रवार को भी वही रूल-67 का दिया और आज फिर रूल-67 का दिया ताकि सदन स्थगित किया जाए। इनको उसकी चिंता नहीं है। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के झगड़े का इश्यू बना रहे हैं। उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और झगड़ा करने की

24.08.2026/1405/डी0सी0/ए0पी0-2

कोशिश कर रहे हैं। आज इनकी नीति क्या है? आज ध्यान भटकाने की नीति है। आज महंगाई चर्म सीमा पर है, बेरोजगारी चर्म सीमा पर है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। मंदिर को लेकर लोगों को लड़ाओ, भाई-भाई को लड़ा दो, जाति का झगड़ा खड़ा कर दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न काल शुरू करें। इसके बाद इन्होंने जो व्यवस्था की है, उस पर आप बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष : एक मिनट, मैं बोल दूँ। ... (व्यवधान)। उसके बाद फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि मैं ही बोलूँ। मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)। Then things will be in the different directions again. ... (Interruption). माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अपनी बात कहें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने हमारा ज्ञानवर्धन किया है और मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये इश्यू कैसे नहीं हो सकता है। एक तो पहली बात यह है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में झगड़ा मांग करने का अधिकार है। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है जिसे हम विपक्ष में हों या सदन में हों या देश का कोई भी नागरिक हो कोई भी सहन नहीं कर सकता। आपने कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए हमने कहा कि यह हुआ कहां, हम जानना चाहते हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

24.08.2026/1410/AT/HK/01

श्री जय राम ठाकुर जारी...

और उसके लिए साक्ष्य के रूप में इस माननीय सदन के अंदर एक ही व्यवस्था है। वह यह है कि जो यहां की रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को अगर हम बारीकी से देखें तो उसमें मालूम पड़ेगा। हमने निवेदन किया कि वह रिकॉर्डिंग हमें दे दी जाए। हमने इतना ही कहा। हम इस सारी चीज़ को लेकर बहुत लंबा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर कह रहे हैं कि वह रिकॉर्डिंग हमें दे दी जाए, क्योंकि वह सदन की प्रॉपर्टी है और वह माननीय विधायकों का अधिकार है। हम यहां पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं, सभी सदस्यों को उनके बोलने की रिकॉर्डिंग दी जाती है। पिछले चार दिनों से हम उसको मांग रहे हैं, वह नहीं मिल पा रही है। एक तो हम यह चाह रहे हैं कि वह रिकॉर्डिंग दी जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ों को लेकर ये सारी बातें आपकी सत्य नहीं हैं। हमने अध्यक्ष जी का अपमान कतई नहीं किया है। हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि आप आइए, सदन चलाइए। इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। जनहित के मुद्दे, जिस

तरह से आप भी बोल रहे हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे हमारे लिए भी उसी तरह से महत्वपूर्ण हैं। बाकी चीज़ों को लेकर आप महंगाई का ज़िक्र कर रहे हैं और अन्य चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उसका आज के विषय से कोई लेना-देना नहीं है। हम यह चाहते हैं कि जो व्यवस्था देने का आपने वादा किया है, उस वादे के मुताबिक हमें वह रिकॉर्डिंग इस विधान सभा के अंदर जो स्क्रीन लगी है, उस पर डिस्प्ले कर दी जाए, या डिस्प्ले नहीं होती है तो माननीय सदस्यों को वह उपलब्ध करा दी जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय।

24.08.2026/1410/AT/HK/02

उप-मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जयराम ठाकुर जी पांच साल तक यहां मुख्य मंत्री भी रहे और इस हाउस के पिछले तीस साल से मेंबर चले आ रहे हैं। मुझे यह एक इंसटेंस बता दें कि इस ढंग से यहां पर जो वीडियो आप कह रहे हैं, वह हाउस में चला दी जाए। नहीं, आप बताइए, आप लंबे अरसे तक हाउस के सीनियर मोस्ट मेंबर रहे हैं। ... (व्यवधान) एक मिनट, आप सुन लें। आपकी बात हमने आराम से सुनी है। ... (व्यवधान)

Speaker : No interruption please.

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी कन्वेंशन रही हो। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोग, चाहे राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, उसको एक ही स्पिरिट में रखते हैं। उसका सम्मान करने में हम कोई भेद नहीं करते। देश के लोग भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। जहां तक आपका सवाल है, आप उस दिन हाउस में नहीं थे। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान यहां पर करवाया और उस पर आप भी खड़े हुए, हम भी खड़े हुए। पूरे बावन सेकंड का राष्ट्रीय गान यहां पर चला। अब जिस तरीके से इनको राष्ट्रीय गीत के लिए स्पीकर साहब से आग्रह करना चाहिए था, वह गाए बगैर उसकी स्पिरिट मिसिंग हो गई और वह सारा मिक्स हो गया। ... (व्यवधान) नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। आप सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। आप सुनिए, अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान) एक मिनट राकेश जी, ऐसा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल

51AA में यह दर्ज है कि हम राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं। यह संविधान में दर्ज है। ... (व्यवधान) सुनिए अब, एक मिनट आप सुन लीजिए। संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की बात कही है और राष्ट्रीय गान की बात कही है। उसके बाद 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम् का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इन दोनों को इक्वल स्टेटस दे दिया जाए। यह कोई नई बात नहीं है। यह वर्ष 1950 की बात है, जब इक्वल स्टेटस देने की बात आई। अब आपकी सरकार ने, देश की सरकार ने कानून लाया। अब एक कानून आया। उस कानून में यह कहा गया कि जो सम्मान राष्ट्रीय ध्वज को मिल रहा है, जो राष्ट्रीय गान को मिल रहा है, वह राष्ट्रीय गीत को भी मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो जो अपमान करेगा, उसको तीन साल की कैद हो सकती है।

श्रीमती ऐ०वी० द्वारा जारी

24.08.2026/1415/av/hk/1

उप-मुख्य मंत्री -----जारी

पहले यह था कि आप राष्ट्रीय गान के लिए अटेंटिव खड़े होंगे मगर अब यह राष्ट्रीय गीत के लिए भी कर दिया है। इसमें इतना ही संशोधन हुआ है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय गान बड़ा है या राष्ट्रीय गीत बड़ा है, इसमें बराबरी की बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त को सारे मंत्री पूरे हिमाचल के दौरे पर गए थे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया और उसके बाद जब झण्डा लहराया गया तो सलामी के समय राष्ट्रीय गान गाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्य के गीत भी बना रखे हैं और वे अपने-अपने राज्य के गीत को भी गा रहे हैं जोकि हमारे यहां पर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा की गई नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि क्या-क्या गाया जाएगा और कैसे गाया जाएगा। लेकिन यह संविधान में लिखा गया है कि राज्य विधान सभा में जो स्पीकर फैसला करेगा वही श्रेष्ठ और उत्तम होगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए एक जिम्मेवार सत्ता दल होने के नाते हम यह कहते हैं कि

आपका जो फैसला आएगा, हम उसको पूरी तरह अमल में लाएंगे। अतः हमारा आग्रह है कि आप हाउस चलाएं और हम हाउस चलाना चाहते हैं। आप कृपा करके हाउस चलाएं।

अध्यक्ष : ऐसा है, ...(व्यवधान) यहां पर नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी बोल चुके हैं। सत्ता पक्ष से भी संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय उप-मुख्य मंत्री बोल चुके हैं तथा सब कुछ क्लीयर हो चुका है। ...(व्यवधान) Hon'ble Member Shri Randhir Sharma ji, please take your seat. ...(Interruption) Please take your seat. ...(Interruption) It is not a question of allowing you or disallowing you. It is a question now, the Hon'ble Leader of the Opposition and the Hon'ble Deputy Chief Minister, who is at the approval in the helm of affairs, both has explained everything and they need nothing now. Let me clarify this position now. ...(Interruption) आपके बाद फिर माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी बोलना चाहेंगे। मेरा दोनों पक्षों से आग्रह है, ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी, आप एक मिनट बैठ जाइए। ...(व्यवधान) Please take your seat Randhirji. I will give a chance. आप एक मिनट बैठ तो जाइए।

24.08.2026/1415/av/hk/2

Please take your seat now. ...(Interruption) मेरा दोनों पक्षों से आग्रह है क्योंकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के ऊपर दो दिन लगातार सदन के अंदर और बाहर काफी चर्चा हो चुकी है। अभी सत्ता पक्ष से जो माननीय उप-मुख्य मंत्री ने कहा, मैं इनसे सहमत हूं। मैं उस दिन भी लाया था और आज भी लाया हूं। (हाथ में कागज पकड़कर दिखाते हुए कहा।) राष्ट्रीय गान का प्रोविजन संविधान में है और संविधान को लागू करने से पहले इसमें राष्ट्रीय गीत को भी शामिल किया गया। यहां पर जैसे कहा गया कि सन् 1950 में जब डॉ० राजेन्द्र सेन्द्रल लेजिसलेटिव असेम्बली थी, वह एड हुआ और जो गाया जाता रहा वह सिर्फ विपक्ष या किसी विशेष दल के लोग ही नहीं गाते रहे अपितु उसको सभी गाते रहे। जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाया गया और उनके वही छंद गाये गए। अब प्रश्न इस बात का है कि पहले

राष्ट्रीय गीत की इंसल्ट पर ऐसा कोई कानून नहीं बना था जिसके अंतर्गत कोई एक्शन लिया जा सके।

टी सी द्वारा जारी

24.08.2026/1420/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

अध्यक्ष महोदय... जारी

इसी प्रकार राष्ट्रगान या संविधान की इन्सल्ट करने पर भी कोई कानून नहीं था। पार्लियामेंट में इस विषय पर डिबेट हुई और वर्ष 1971 में 'The Prevention of Insults to the National Honour Act, 1971' बनाया गया। इसके प्रोवीजन्स बहुत स्पष्ट और छोटे हैं। मुझे इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं इसके सभी प्रोवीजन्स पढ़ भी सकता हूँ। इसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि किन-किन पहलुओं को इन्सल्ट माना जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हर घर तिरंगा वर्तमान में कैपेन है। इसलिए पहले की व्यवस्था अलग थी। पहले राष्ट्र ध्वज को केवल सुबह सूर्य के उगने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक ही लहराया जाता था। जब कभी शोकोद्गार होता था तब उसे आधा झुकाया जाता था। राष्ट्र ध्वज को डीफेंस करना या उसे कहीं कचरे में पड़ा हुआ पाया जाना भी ऑफेंस माना जाता था।

अब जब हर घर तिरंगा और घर-घर तिरंगा कैपेन चल रहा है तब डीफेंसिंग की तो बात ही खत्म हो गई है। उस दिन जो झंडा लहराया जाता है उसे बाद में कहां रखा गया इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। वह कूड़े के डिब्बे में भी पाया जाता है। वैसे तो वह भी ऑफेंस हो जाता है लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए उस समय तीन वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया और यह भी वर्ष 2003 की अमेंडमेंट में हुआ था। अब यदि बार-बार ऐसा किया जाता है तो तीन वर्ष तक के दंड का प्रावधान है।

चूंकि राष्ट्रगीत इसमें शामिल नहीं था इसलिए अब जो अमेंडिंग एक्ट वर्ष 2026 में आया है उसमें 'The Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill, 2026' के माध्यम से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। इस अमेंडिंग एक्ट के 69 और

71 के सैक्शन 3 में यह एडिशन किया गया है कि 'Whoever intentionally prevents the singing of the National Anthem or the National Song' पहले इसमें नेशनल एंथम ही था। उसके बाद अभी जो अमेंडमेंट की गई है उसके माध्यम से नेशनल सॉन्ग जोड़ा गया है। इसमें आगे यह प्रावधान है कि 'be causes disturbances to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.'

24.08.2026/1420/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2

इसमें बस इतना-सा अमेंडमेंट है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि कौन-सा पहले गाना है, कौन-सा गीत बाद में गाना है, दोनों को एक साथ गाना है या एक-एक करके गाना है। यह निर्णय संबंधित संस्थाएं और सांविधानिक संस्थाएं करेंगी क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट और रीजन्स में भी इसे पूरी तरह स्पष्ट किया गया है।

जब यह एक्ट 10 जुलाई, 2026 को पास हो रहा था इससे एक दिन पहले 9 जुलाई को Ministry of Home Affairs का एक सर्कुलर आता है जिसके बारे में उप-मुख्य मंत्री जी कह रहे थे। उसमें ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं कि पहले कौन-सा गाया जाएगा और बाद में कौन गाया जाएगा तथा जिन राज्यों के अपने कोई गीत हैं, वे किस प्रकार गाए जाएंगे। उसमें यह कहा गया है कि प्रायोरिटी राष्ट्रगीत को मिलेगी परंतु ये इंस्ट्रक्शन्स एग्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स हैं। ये कोई लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन्स नहीं हैं। ये एक्ट के पास होने से पहले जारी की गई हैं और ये इंस्ट्रक्शन्स विधान सभाओं को भी नहीं भेजी गई हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन्स प्रेजिडेंट सैक्रेटेरियट, वाइस प्रेजिडेंट सैक्रेटेरियट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सैक्रेटेरियट, Office of the Governors, Election Commission of India, लोकसभा सैक्रेटेरियट और राज्यसभा को भेजी गई हैं। विधान सभाओं के लिए ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन नहीं हैं। अदरवाइज़ भी यह रिस्पेक्टिव विधान सभा ही डिसाइड करेंगी। मैंने उस दिन भी यह कहा था कि यहां वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और इससे पहले आपकी सरकार थी। इसलिए यह परंपरा जो थी वह यहां राष्ट्रगान की पहले से चली आ रही है और यह अभी की परंपरा नहीं है। आपके समय में भी राष्ट्रगान पहले

होता था और जब सत्र क्लोज होता था तब राष्ट्रगीत गाया जाता था। यह बात मैंने उस दिन भी कही

एन0एस0 द्वारा जारी ...

24-8-2026/1125/NS-YK/1

अध्यक्ष -----जारी

और ऑडियो में भी है तथा रिकॉर्ड में भी है। यह सही है कि जब राष्ट्रगान हुआ उसके बाद इम्मीजियेटली माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने हाथ उठाया जिसको मैंने अलौ नहीं किया। मैंने अलौ नहीं किया तो उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना शुरू कर दिया और इधर से भी ...(व्यवधान) मैंने ऑडियो देख लिया है। यदि आपको भी चाहिए तो वह आपको मिल जाएगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसमें आप इम्मीजियेटली अपना प्वाइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे थे, जिसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा था क्योंकि मैं पहले ही कह चुका था कि राष्ट्रीय गीत हम लास्ट में गाएंगे और पूरा गाएंगे। मैंने यह भी कह दिया था कि हम राष्ट्रीय गीत पूरा गाएंगे। मैंने यह नहीं कहा था कि हम केवल दो ही स्टैंजा गाएंगे already it is a part of the record. उसके बाद तब से लेकर आज तक यही परिस्थिति है। इसलिए मैं दोनों पक्षों से यही कहना चाहूंगा कि लोकसभा द्वारा भी जो बिल पारित हुआ है उसमें ऐसा कोई स्पैसिफिक इश्यू नहीं है कि पहले कौन गाया जाएगा और कौन बाद में गाया जाएगा। ...(व्यवधान) आपके पास जो नोटिफिकेशन है वह मेरे पास भी है और मैंने उसके बारे में पहले ही बोल दिया था। वह गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन है। वह अमेंडमेंट से एक दिन पहले की है। अमेंडमेंट दिनांक 10 जुलाई, 2026 को हुई। ...(व्यवधान) हां तो दिनांक 28 जनवरी, 2026 को अमेंडमेंट हुई। ...(व्यवधान) अमेंडमेंट कब हुई? ...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, आप इंटरप्ट न कीजिए, प्लीज। आप उसको छोड़िए। अमेंडमेंट दिनांक 10 जुलाई, 2026 को हुई। अगर जनवरी में ऐसी कोई नोटिफिकेशन की हो तो वह बाइंडिंग नहीं है, वह एग्जिक्यूटिव ऑर्डर है। ...(व्यवधान) एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोवीजन नहीं है। इसलिए हमने सत्र का आरम्भ राष्ट्रगान से किया है और हम इसकी समाप्ति राष्ट्रगीत से करेंगे। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, उसमें यह सही है कि

सभी खड़े थे ...(व्यवधान) लेकिन जैसे ही राष्ट्रगान समाप्त हुआ तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, शांति रखनी चाहिए थी और अगली आइटम आनी देनी चाहिए थी। ...(व्यवधान) उस पर आपका जो प्रोटैस्ट था that is uncalled for, unreasonable, which I did not permit on that day also and still I am not allowing that act to be prevailed. I have already said. ...(Interruption) I have already said

24-8-2026/1125/NS-YK/2

...(Interruption) Please, please, when I am speaking ...(Interruption) Please take your seats. I have already said that the Session will be initiated with the National Anthem and will be concluded with the National Song. This, I have already said and the precedent remains as such. Let us now finish this issue at this stage and take up the Question Hour. If anybody wants that video, we will give you that. I have seen it. We have received a request. ...(Interruption) Please, please take your seats. Hon'ble Member Shri Trilok Jamwalji please take your seat. We have received a request from some of the Members of Opposition, mostly it is signed by all of you. In any case, I am examining that. I will be allowing it or disallowing it, that you will get to know. ...(Interruption) That you will get to know. We are examining it. At the moment, I have clarified the whole situation. Now we will proceed with the Session and now first we will take the Question Hour and the Postponed Questions for the day. Previously also we have ruled, ...(Interruption) we have ruled that all Point of Orders, all issues which are to be raised by any of the Member of this Hon'ble House, he will be welcome to do that I will be allowing it. I will permit that, but after the Question Hour. This I have already ruled and it is a part of the record also. So, Question Hour belongs to everybody. It belongs to the Ruling Party also. It belongs to the Opposition Party also. We are spending a lot of money of the public exchequer for collecting these informations. Therefore, ...(Interruption) please take your seats, all the Hon'ble Members. In any case if you have any...

Speaker continued in EnglishAG

24.08.2026/1430/RKS/AG-1

Speaker Continues . . .

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

...(Interruption) In any case if you have any issue, I will allowing you after the Question Hour. Thank you very much. Now, we start the Question Hour.

...(Interruption) Postponed Questions for the day. ...(Interruption) Please take your seats (Opposition Members). First Question No. 3449. After my Ruling, there is no opportunity to raise any kind of query and issue at the moment. Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats now.

...(Interruption) Hon'ble Member Shri Jeet Ram Katwal. ...(Interruption) I have already said that we have received a request from the Hon'ble Members of the Opposition. This Secretariat is examining that. We will come out ...

...(Interruption) No, no. We will give you that. That is not a problem. You can have that. We will give you. ...(Interruption) Please take your seats. Who is denying that? ...(Interruption) We will give you that. ...(Interruption) That is apart from the issue since the Hon'ble Chief Minister is not here. As and when he comes, that is not the issue. There is no question of taking back any issue.

...(Interruption) Please take your seats. Shri Jeet Ram Katwalji, whether you want to ask this Question or not. ...(Interruption) Please take your seats now.

...(Interruption) मेरा भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। Please take your seats. Let the Question Hour start. ...(Interruption) Let the Question Hour start please. ...(Interruption) Hon'ble Deputy Chief Minister. ...(Interruption) The Hon'ble Chief Minister has authorised the Hon'ble Deputy Chief Minister to answer to Question No. 3449.

...(Interruption) Please take your seats now. ...(Interruption) I will listen to you after the Question Hour. ...(Interruption) Postponed Question No. 3449 for the day.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल द्वारा यह प्रश्न नहीं पूछा गया है इसलिए कृपया अगला प्रश्न लिया जाए।

24.08.2026/1430/RKS/AG-2

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

प्रश्न संख्या: 4025

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्क्रेप नीति को लेकर पिछले सत्र में भी आश्वासन दिया गया था। आज प्रदेश के विभिन्न विभागों में करोड़ों रुपये का स्क्रेप व्यर्थ पड़ा हुआ है। चाहे शिक्षा विभाग हो, अस्पताल हों, जेल विभाग हो, लोक निर्माण विभाग के डिवीजन हों या अन्य विभाग; जगह-जगह पर बहुत सारा स्क्रेप पड़ा हुआ है। पिछली बार भी सदन के भीतर यह प्रश्न उठाया गया था इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्क्रेप नीति के संबंध में प्रदेश के सभी विभागों को एक मंच पर लाने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। मुझे पिछली बार भी यह उत्तर दिया गया था कि विभिन्न विभागों को अलग-अलग स्तर पर यह कार्य सौंप दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में सभी विभागों के लिए एक स्क्रेप नीति बनाई जाएगी? हमारे स्कूलों, जेलों, अस्पतालों, जल शक्ति विभाग के डिवीजनों और सड़कों के अंदर बहुत स्क्रेप पड़ा है। मैंने पिछली बार भी विधान सभा प्रश्न उठाया था कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के रिड़कमार, भलेड़, शाहपुर, मौहा और जिला कांगड़ा के 29 अन्य स्थानों में बुलडोजर एवं अन्य मशीनरी लंबे समय से खड़ी हुई है। इसी प्रकार आई0टी0आई0 संस्थानों में भी करोड़ों रुपये का स्क्रेप पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर कोई ठोस नीति बनाए ताकि जहां स्क्रेप पड़ा है वे भवन खाली हो सके और प्रदेश सरकार को भी इससे राजस्व प्राप्त हो।

उप-मुख्य मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय सदस्य ने जो पिछली बार प्रश्न किया

था उसकी काफी सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है और उसी प्रश्न के तहत ये सारी सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी निर्णायक फैसला लेना होगा, वह हम लेंगे। वैसे तो यह ट्रांसपोर्ट विभाग का मंडेट है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स भी जारी है जिसके तहत हम एक्ट कर रहे हैं। प्रदेश में अन्य

24.08.2026/1430/RKS/AG-3

विभागों द्वारा जो स्कैप बेचने का सिलसिला है उसे हम किस प्रकार एक छत के नीचे ला सकते हैं, इस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद।

अगला प्रश्न श्री बी०एस०द्वारा जारी

24.08.2026/1435/बी.एस./ए.जी.-1

उप-मुख्य मंत्री के बाद...

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

प्रश्न संख्या : 4375

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले साल इनका रोहडू दौरा हुआ था और इन्होंने इस भवन के लिए 50 लाख रुपये की राशि देने की बात कही थी। उनके आश्वासन के बाद पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया गया है और अब मेरा केवल मंत्री महोदय से आग्रह है कि आपने कहा है कि इसका प्राक्कलन बन रहा है तो मेरा आग्रह है कि इस कार्य को एक्सपीडिट करवाया जाए और जितनी भी बकाया राशि है उसके लिए भी प्रावधान किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-09 में घोषणा की गई थी और 10 लाख रुपये पूरे विधान सभा क्षेत्रों में दिए गए थे जिससे डॉ० अम्बेदकर भवन बनने थे। लेकिन बाद में पाया गया कि it was not really in a proper shape as a result जो

एस0डी0एम0 साहब के अधीन इसकी सुरक्षा को देखने के लिए जो जांच कमिटी बनाई गई थी उसने पाया कि this house has not been made properly. इसमें केवल ईंटे लागा दी गई हैं और एंगलार्न खड़े कर दिए गए हैं। इसे ध्वस्त करने के बाद अभी DC, Chamba has sent some money there. जिन्होंने इस भवन का कार्य शुरू नहीं किया था उन्होंने कहा था कि हम पैसा वापिस कर देंगे। Now, we are having this situation. The only problem is that there is variation of about Rs. 5,00,000/-, as one report says Rs. 8,44,029/- and the other says Rs. 3,88,552/-. इस अंतर के कारण we have just taking more. **I am sure that soon this will be sorted out. We will start the construction again. I assure the Hon'ble Member.**

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

प्रश्न संख्या: 4376

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जी, उपस्थित नहीं।

24.08.2026/1435/बी.एस./ए.जी.-2

प्रश्न संख्या: 4377

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, मुझे जो जवाब आया है उसमें मैं सरकार के समक्ष और राजस्व मंत्री के समक्ष केवल इतनी बात रखना चाहता हूं। मैंने सवाल किया था कि क्या सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में गुज्जर के स्थान पर हिंदू गुज्जर अंकित किए जाने संबंधी कोई अधिसूचना शासनादेश परिपत्र अथवा विभागीय निर्देश जारी किए गए हैं? सर, यह भाग "क" में था।

भाग "ख" में मेरा सवाल यह था कि क्या जाति प्रमाण पत्र में हिंदू गुज्जर अंकित होने के कारण सिख धर्म का पालन करने वाले गुज्जर समुदाय के अभ्यर्थियों को भारतीय सेना, अर्ध सैनिक बलों एवं अन्य सरकारी सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

सर, इसमें मैं केवल मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में और विशेष रूप से केवल नालागढ़ तहसील में जो यह शब्द है जिसे मैंने यहां पर रखा है उसमें हिंदू गुज्जर शब्द को केवल गुज्जर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है।

सर, मैं केवल तहसील, नालागढ़ की बात कर रहा हूं अगर इसे रिप्लेस कर दिया जाए तो इससे हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी। हमारे जो बच्चे भर्तियों में जा रहे हैं खास तौर पर आर्मी और अन्य भर्तियों में उनके सामने बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसकी वजह से आज हमारे बच्चे भर्तियों में जाने में वंचित हर रहे हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अहम मुद्दा उठाया है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

24.08.2026/1440/DT/AS-1

प्रश्न संख्या : 4377 जारी...

राजस्व मंत्री जारी...

मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि इस विषय में सूचना इसलिए एकत्रित करनी पड़ रही है क्योंकि प्रदेश के जिलों की कई सब-तहसीलों तथा तहसीलों में इस किस्म की विसंगतियां पाई गई हैं। सरकार की ओर से इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। हम इस माननीय सदन में सही तस्वीर रखना चाहते हैं, इसलिए इस सूचना को एकत्रित करने में थोड़ा समय लग रहा है।

प्रश्न संख्या 4378, श्री दीप राज, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 4379, डॉ० जनक राज, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 4380

श्री राकेश कालिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें पूरे जिला की इकट्टी सूचना दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' के अंतर्गत सरकार द्वारा जो इनसेंटिव किसानों को दिए जा रहे हैं उससे कितने किसानों को फायदा हुआ है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कितने कैम्प लगाए गए हैं?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकार इस योजना के अंतर्गत जो इंसेंटिव दे रही है उससे कितने किसानों को फायदा हुआ है; और इस प्राकृतिक विधि से खेती करने हेतु किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा कितने कैम्प लगाए गये हैं; और उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा किए गये जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए ब्लॉक ऑफिस में या कहीं किसी अन्य स्थान पर इन्हें बेचने का विचार सरकार रखती है, ताकि वहां के स्थानीय लोगों को भी फायदा मिल सके?

24.08.2026/1440/DT/AS-2

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिले का ब्यौरा मांगा है। उसमें 10,608 किसान 1,460.84 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिले के 211 किसानों को डीपीटी के माध्यम से 1,205.93 क्विंटल गेहूं के प्राकृतिक उत्पाद की खरीद पर 80,89,442/- रुपये सीधे किसानों के खाते में डाले गये हैं। इसका ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में विस्तृत रूप से दिया गया है। जो विवरण दिया गया है उसमें वर्ष 2024-25, 2025-2026 व वर्ष 2026-2027 शामिल है। टोटल जो 1,205.9344 क्विंटल गेहूं, मक्का और हल्दी खरीदी गई है उसके ऊपर 80, 89,442/- रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं। जो अनुबंध 'ख' में सूचना दी गई है, जिसमें मक्का या कोई गेहूं, जो प्राकृतिक खेती की उपज हमारे पास आई है, उसमें हमने वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक 157.77 क्विंटल का वितरण किया है जिसमें 12,76,68/- रुपये प्राप्त हुए हैं। इस उत्पाद को हम 'हिमभोग' का आटे, मक्की का आटा, दलिया और इसी तरह से हल्दी इत्यादी की मार्केटिंग भी हम कर रहे हैं। इनका

विक्रय हम अपने बहुत से व डिपो के माध्यम से कर रहे हैं और कुछ अच्छे प्रोग्रेसिव जो हमारे दुकानदार हैं उनको भी यह उत्पाद प्रोवाइड किये जा रहे हैं।

श्री राकेश कालिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस स्कीम को पॉपुलर करने के लिए सरकार ने जिला में कुल कितने कैंप लगाए हैं और सरकार इस योजना को पॉपुलर करने के लिए और क्या-क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' के तहत चलाया जा रहा है। यह अपने आप में कोई अलग से प्रोग्राम नहीं था हमारा जो बजट आता है यह उसकी का एक हिस्सा था जिसको हम चला रहे हैं। भारत सरकार भी चाहती है कि क्योंकि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता है, जो हमारे सीड्स हैं, गेहूं है, मक्की है या जौ हैं, इसमें बहुत से फर्टिलाइजर, इनसेक्टिसाइड, विंडिसाइड के स्प्रे हैं, वे भी चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों के किसान भी ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर जाए

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.08.2026/1445/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4380.....जारी कृषि मंत्री..... जारी

हम भी लोगों को विभिन्न माध्यमों से, जैसे हमारा कृषि विभाग है, इसी तरह से हमारा जाइका का विंग है और दूसरे अन्य विंग/विभाग हैं, वे सभी लोगों को काफी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके संदर्भ में हमने अभी हमीरपुर में 8.56 करोड़ रुपये की एक लैब, जोकि इंटरनेशनल लेवल की है और उत्तरी भारत में सबसे पहली लैब है, एस्टैब्लिश की है जोकि इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करेगी। जो किसान हमें सीड्स देगा उसके भी टेस्ट होंगे और जो वेजिटेबल्स आएंगी उनके भी टेस्ट होंगे तथा जो टेस्ट में मापदंडों के अनुसार खरा

उतरेगा, उसी को पैसा दिया जाएगा। जहां पर भी क्रॉप तैयार होती है वहां पर हम तीन विजिट्स करते हैं। हमारा जो नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वे समय-समय पर गोष्ठियां भी लगाते हैं और इसके बारे में लोगों को अवगत भी करवाते हैं।

Next Question-4381

Hon'ble Member Shri Inder Singh (Balh) : Absent.

Next Question-4382

Hon'ble Member Shri Satpal Singh Satti (Una) : Absent.

Next Question-4383

Hon'ble Member Shri Vinod Kumar (Nachan) : Absent.

Next Question-4384

Hon'ble Member Shri Prakash Rana (Jogindernagar) : Absent.

24.08.2026/1445/ए.एस.-एन.जी./2

Next Question-4385

Hon'ble Member Shri Pawan Kumar Kajal (Kangra) : Absent.

प्रश्न संख्या - 4386

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय, जोकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बादल फटने से संबंधित है, उठाना चाहता हूं। इस वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हारगो, जोकि आपके विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता इलाका है, के गांव गढ़गूंह और स्पैड़ा में बादल फटे हैं।

(विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय मैं दिल्ली के अंदर था क्योंकि हमारे विधायकों का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शिकागो में आयोजित होने जा रहा था। मैं और मेरे साथ मेरे साथी श्री संजय अवस्थी जी और श्री दीप राज जी भी इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को अटेंड करने के लिए शिकागो जा रहे थे। मुझे स्थानीय प्रशासन व वहां के स्थानीय प्रधान के द्वारा बताया गया कि बोह घाटी में बादल फटा है। फिर मैंने अपना जो अंतरराष्ट्रीय दौरा था, उसको कैंसिल किया। मैं सुबह 6:50 बजे इंडिगो की फ्लाइट से सीधा गगल आया और 9:35 बजे गांव गढ़गूंह पहुंचा। गढ़गूंह गांव की हालत उस वक्त देखने वाली थी क्योंकि जब रात्रि 11:45 बजे बादल फटने की घटना हुई थी उसके बाद 19 परिवार बेघर हो चुके थे।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक तारीफ भी करना चाहूंगा क्योंकि बादल फटने से पहले एक घटना ऐसी घटी कि पांच मिनट पहले थोड़ा-सा पानी उस गांव में आया और वह बिल्कुल काला पानी था। वहां पर एक राणो देवी नाम की महिला ने उसे देखा। उस पूरे गांव

24.08.2026/1445/ए.एस.-एन.जी./3

के अंदर लगभग 89 लोग थे। उस महिला ने आवाज लगाई कि ऊपर से पानी आ रहा है। वहां पर यह पहली बार हुआ। पिछले साल भी प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई थीं। मैं उस राणो देवी की प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि उसने पूरे गांव वालों को आवाज लगाई और गांव के सभी लोग एक साइड में खड़े हो गए। उसके ठीक पांच मिनट बाद बादल फटा

और वे 15 के 15 मकान उसमें बह गए तथा वहां पर कुछ भी नहीं बचा। मैं कहना चाहता हूं कि गढ़गूंहा गांव बिल्कुल फ्लैश आउट हो गया और नीचे बह गया। इसी तरीके से स्पैड़ा गांव के अंदर भी ठीक डेढ़ घंटे के बाद बादल फटा। वहां के लिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि डिजास्टर में बेहतरीन काम हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर, एस0पी0, एस0डी0एम0 व अन्य अधिकारियों की तारीफ करना चाहूंगा। वहां पर वर्ष 2021 में भी बादल फटा था और उस समय ढाई दिन के बाद रोड खुले थे। लेकिन आज चार घंटे के अंदर ही रोड को खोल दिया गया। मैं सारे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि चार घंटे के अंदर उन्होंने रोड खोले और उसके बाद...(व्यवधान)

अध्यक्ष.....श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

24.08.2026/1450/DC/PB/1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

माननीय परमार साहब, आप इस सदन के वरिष्ठ नेता हैं लेकिन आपको पीड़ा नहीं है कि 19 घर बेघर हो गए। ...(व्यवधान) आज ...(व्यवधान) आज मैं चाहता हूं कि चाहे वह मेरा गढ़गूंहा गांव हो, चाहे वह स्पैड़ा गांव हो उस संदर्भ में मेरे प्रश्न का जवाब आया है कि 4 करोड़ 79 रुपये का टोटल नुकसान हुआ है। मैं राजस्व मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने घटना घटने के चार घंटे के अंदर ऑनलाइन सारी जानकारी प्राप्त की और प्रभावित लोगों से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से बात की।

Speaker: Hon'ble Member, please ask your Supplementary Question. What would you like to know?

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद दो दिन के अंदर माननीय मुख्य मंत्री वहां पहुंचे। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने वहां स्पेशल पैकेज की घोषणा की। मुख्य मंत्री जी ने न केवल पैकेज की घोषणा की बल्कि जिला प्रशासन ने मुख्य मंत्री जी के दिशानिर्देश अनुसार जिन-जिन लोगों के घर पूरी तरह

से बह गए थे और उनके पास केवल तन पर कपड़े और पैरों में जूतों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था, उनकी सहायता की।

Speaker: Hon'ble Member, please ask your Supplementary Question? What do you want to know?

श्री केवल सिंह पठानिया : मैं अब राजस्व मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो पैकेज घोषित किया गया है, उसकी वस्तुस्थिति क्या है? दूसरा, जो लोग बेघर हुए हैं, उनकी अलॉटमेंट ऑफ लैंड की वस्तुस्थिति क्या है? एक और बासा नाम के गांव में जिला प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उसकी वस्तुस्थिति क्या है? तीसरा, इस आपदा को लेकर मेरा प्रश्न यह है कि पिछली बार मेरे जिला कांगड़ा के अंदर जो आपदा हुई थी, उस संबंध में क्या कार्रवाई की गई? माननीय राजस्व मंत्री महोदय डिजास्टर को देखते हैं। इनसे मेरा यह प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी 1,500 करोड़ रुपये की राशि देकर गए हैं, क्या आपने वह पैसे रिसीव किया है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ?... (व्यवधान)

24.08.2026/1450/DC/PB/2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं इनके आखिरी सवाल का उत्तर देता हूँ कि 1,500 करोड़ रुपये आए हैं या नहीं आए हैं क्योंकि इनको (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) सबसे पहले यही सुनना है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि ये (विपक्ष) किसी भी चीज में सीरियस नहीं हैं। न वंदे मातरम् पर सीरियस हैं, न प्रश्नों पर सीरियस हैं, ये सिर्फ यहां आकर डिस्टर्बेंस के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं।... (व्यवधान)

Speaker: No interruptions please. ... (Interruption). No disturbance please.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये (विपक्ष) किसी को बोलने नहीं देते।... (व्यवधान)

Speaker: No disturbance please. Let the Hon'ble Minister reply.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा नियमों के तहत चलती है, इनकी मर्जी से नहीं चलेगी। फिर बड़ी बात करते हैं संविधान की। संविधान को मानते नहीं, नियमों को मानते नहीं, फिर ये यहां किसलिए बैठे हुए हैं? ...(व्यवधान)

Speaker: Please, do not disturb. ...(व्यवधान) कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

राजस्व मंत्री : सर, अभी तक प्रधान मंत्री महोदय ने...(व्यवधान) दिनांक 9 सितंबर, 2025 को, जब हिमाचल प्रदेश में 2025 में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और लगभग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, उस समय प्रधान मंत्री जी धर्मशाला में आए और वहां उन्होंने घोषणा की कि 1,500 करोड़ रुपये हम तुरंत दे रहे हैं। अब वह सितंबर चला गया है और दूसरा सितंबर आने वाला है। साल होने जा रहा है लेकिन एक पैसा नहीं आया।...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में बादल नहीं फटा था वे बल्कि फ्लैश फ्लड्स थे क्योंकि अगर 100 एमएम से कम बारिश होती है तो उसे बादल फटना नहीं कहते हैं, हम उसे फ्लैश फ्लड्स के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन उससे माननीय सदस्य के क्षेत्र

24.08.2026/1450/DC/PB/3

में बहुत नुकसान हुआ है। 19 मकान बह गए और लोगों को रहने की जगह नहीं थी। मैं अपने प्रशासन के जो अधिकारी वहां थे, एसडीएम से लेकर दूसरे अधिकारियों तक, उनको भी शाबाशी देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बिना समय बर्बाद किए इन सभी लोगों को स्थानीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल में शरण दी। उस समय जो-जो करने की जरूरत थी, चाहे किसी को चोटें लगी थीं, सब कुछ किया गया। मतलब, प्रशासन का रेस्पॉन्स बहुत ही क्विक था। हमारे उप मुख्य सचिव उस समय एयरपोर्ट पर थे। कहीं बाहर का टिकट भी बुक करके बोर्डिंग कर रहे थे। उसको छोड़कर... (व्यवधान) ओहो की क्या बात है, what is 'ओहो'? सीनियर सैकेंडरी सर, इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। The Deputy Chief Whip was supposed to board the flight but he deboarded it to be with his

people who had faced this disaster. ...(व्यवधान) और इनको हो-हो लगता है, खो-खो खेलेंगे आपके साथ।...(व्यवधान) Sir, Hon'ble Member Shri Vipin Parmar ji has held the positions of Hon'ble Minister and Hon'ble Speaker, yet कुछ तो सीरियसनेस हो। (व्यवधान) और सदन में तीन दिन से जो हल्ला पड़ा हुआ है, ये इनकी (माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार की ओर इशारा करते हुए) मेहरबानी से हो रहा है। अगर ये उस समय ऐसा नहीं करते, इसको...

श्री ए०पी० द्वारा जारी...

24.08.2026/1455/डी०सी०/ए०पी०-01

राजस्व मंत्री जारी

सर, यह मामला गंभीर है और पिछले तीन दिन से जो बात चल रही है वह विपक्ष की मनमानी से हो रहा है। अगर उस समय ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को प्रमोट नहीं करते तो यह बात ही नहीं होती। इन्होंने ही बीच में खलल डाला है। He is non-serious. इसमें भी गंभीर लड़ाई पैदा कर दी। सबके क्वेश्चन इन्होंने विलोप कर दिया है और इन्होंने सबके गले सुखा दिये। अब तो इनको बोलने के लिए गला भी नहीं बचा है। सर, इन 19 लोगों के लिए मुख्य मंत्री जी भी मौके पर गए और संबंधित विधायक भी वहां मौके पर पहुंचे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन क्षेत्रों में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है। भाजपा की सरकार मकान पूरी तरह नष्ट होने पर एक लाख तीस हजार रुपये देती थी। मुख्य मंत्री जी ने स्पेशल उनके लिए पैकेज दिया है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। इसे लगातार वर्ष 2023-2024-2025 और 2026 में भी दे रहे हैं। इन 19 लोगों को मकान बनाने के लिए आठ लाख रुपये मिलेंगे, जोकि हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। सर, आठ लाख प्रदेश सरकार दे रही है तब भी विपक्ष ओ-हो कर रही है लेकिन जब एक लाख तीस हजार मिल रहे हैं तो चो-चो, कुछ तो केन्द्र में बोलों। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपदा पीड़ितों के लिए हिंदुस्तान में सबसे आगे है। हमारे मुख्य मंत्री ने जो नई सोच

दिखाई है हम सभी इस विधान सभा में मानते थे कि यह जो एक लाख तीस हजार रुपये हैं, बहुत कम हैं और इनको बढ़ाया जाना चाहिए। यह पहले नहीं हो पाया था। हमारी वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्य मंत्री ने हिम्मत से आर्थिक कंगाली के बावजूद जो कर्ज पूर्व सरकार द्वारा लिया गया था उसके बाद भी हम प्रदेश सरकार को बढ़िया चला रहे हैं, धन्यवाद।

Speaker : No disturbance, please. ...(Interruption).

24.08.2026/1455/डी0सी0/ए0पी0-02

प्रश्न संख्या 4387

डॉ हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वैसे तो आपको पता ही है कि मेरे चुराह विधान सभा क्षेत्र बहुत ही फैला और व्यापक क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि हमने पिछली बार लगभग पांच सालों में 270 के करीब छोटी-बड़ी सड़कें अलग-अलग लोगों और संस्थाओं के साथ मिलकर बनाई हैं। यह रेफरेंस मैं आपको पिछले चार सालों का दे रहा था। उसमें भल्लीघराट-से-नेला, जुंगरहार, द्रेबड़ और जो अपर इलाके हैं। रैला तक तो सड़क पहुंचा दी गई है और इसे फेज-वन में पहुंचा दिया गया था। हम गिफ्ट-डीड देने को भी तैयार थे। मैंने भाग-ख में शिंड रोड का भी जिक्र किया है। शिंड रोड के लिए भी हमने फॉरेस्ट क्लीयरेंस करवा दी और उसके साथ-साथ उसकी डी0पी0आर0 के लिए भी पिछले चार सालों में बहुत प्रेशर डाला और कोशिश की है कि विभाग के लोग जल्दी डी0पी0आर0 सबमिट करें ताकि वह सड़क भी PMGSY-4 के फेज-2 में आ जाती। इसमें मेरा एक और प्रश्न भाग-ग था कि जो हमारा बग्गा से ऊपर की तरफ सुलोई की तरफ जाता है। ढांड खंडियारु और नेला के इलाके भी सड़क के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। मेरा सिर्फ मंत्री जी से इतना निवेदन है कि चुराह विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैंने कई बार आपके अधिकारियों, आपके विभाग के SDOs और JEs के साथ भी बैठकर कई बार चर्चा की है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम डी0पी0आर0 बनाने में भी मदद कर सकते हैं और गिफ्ट-डीड दिलवाने में भी मदद कर सकते हैं लेकिन पिछले चार सालों में उन्होंने हमें अछूत-सा

ही समझा हुआ है और कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। शिंड रोड पर नाबार्ड से भी पैसा आ सकता है। भाग-क में मैंने जो जुंगरहार की बात कही है अगर हम जुंगरहार को जोड़ते हैं तो रैला और ट्रेबड़ भी जुड़ जाता है। साथ ही, आपने कहा था कि जसौरगढ़ में लंगा तक रोड पहुंच गया है जो आगे दयोला, फनौता और सुंदरी भंगोडी की तरफ जाता है। लेकिन उस तरफ न जाकर अगर हम अगर सुलोई की तरफ आएँ क्योंकि पिछली बार हम लगभग डेढ़-दो किलोमीटर रोड खुद ही बना चुके थे। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन है कि चुराह को एक विशेष विधान सभा क्षेत्र समझते हुए क्या

24.08.2026/1455/डी0सी0/ए0पी0-03

माननीय मंत्री जी चुराह के लोगों को यह आश्वासन देंगे कि जो आगे की डी0पी0आर0 लंबित पड़ी हुई हैं। PMGSY के फेज-3 या फेज-4 में थीं इसलिए हम अप्लाई नहीं कर सके क्योंकि कही पर फॉरेस्ट, गिफ्ट-डीड तो कही पर डी0पी0आर0 न होने का हवाला दिया गया और हमें फण्ड्स नहीं मिल पाए। PMJSY का जो फेज-4 है क्या उसमें चुराह विधान सभा क्षेत्र को विशेष तबज्जो देंगे, क्या ऐसा माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे?

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

24.08.2026/1500/AT/HK/01

प्रश्न संख्या : 4387 जारी....

लोक निर्माण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हंसराज जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र की भिन्न-भिन्न सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आपको सड़क बनवानी है, चाहे वह किसी भी मद से बननी है। पहले उसमें आप अपने अच्छे प्रभाव का इस्तेमाल करिए और गिफ्ट डीड डिपार्टमेंट के नाम पर करवाईए। हम जगह-जगह यह कह रहे हैं कि जहां पर भी गिफ्ट डीड और अनहैबिटेबल एरियाज के लिए जो आबादी है, हमारे ढाई सौ से अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो अभी अनकनेक्टेड हैबिटेड हैं, उनको

जोड़ने का हमारा पूरा प्रस्ताव है। अभी हाल ही में हम पूरे प्रदेश के अंदर पंद्रह सौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं और चुराह विधान सभा क्षेत्र में भी उसमें अधिकतर सड़कों का कार्य करवाया जा रहा है।

इन्होंने खास रूप से एक सड़क के बारे में पूछा है, जो कल्हेल से भल्लीघराट, नेला को जुगराहर, हुदूंड, रैला इत्यादि गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने हेतु है। अभी इसका प्रस्ताव इसलिए नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के इश्यूज़ हैं। उसमें हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी वहां नए पंचायत प्रधानगण भी आए होंगे, नए इलेक्शंस हुए हैं। आप सभी जो हमारे पी0आर0आई0 के साथी हैं, **उनसे भी बात करें कि पॉजिटिवली इसमें गिफ्ट डीड दिलवाएं। इसमें हम आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे।**

दूसरा, आपने नेला गांव की दूरी के बारे में पूछा है, जो कल्हेल-भल्लीघराट-छत्रीय सड़क के आर0डी0 3.990 से 4.5 किलोमीटर तक है। आर0डी0 3.9 से यह सड़क विभाजित होती है तथा यह पट्रेलू नामक स्थान तक बैकवर्ड एरिया सब प्लान के अंतर्गत बस योग्य डेढ़ किलोमीटर कच्ची सड़क बना दी गई है।

तीसरा, आपने पट्रेलू से नेला तक सड़क की बात की थी। सड़क की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसमें से 60 प्रतिशत वन भूमि तथा 40 प्रतिशत निजी भूमि पड़ती है। निजी भूमि मालिकों से गिफ्ट डीड लेने के लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। **जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें आप अपना प्रयास करेंगे तो हम पूरा सहयोग देंगे।**

24.08.2026/1500/AT/HK/02

अंत में, आपकी सलोई धांड-खडियाडू गांव को जोड़ने के लिए जसोगड़-लंदा सड़क पर किलोमीटर 0 से 1.5 किलोमीटर तक मोटर योग्य सड़क गांव लघा तक बन चुकी है। **इसमें आगे संपर्क सड़क खंडियारा गांव तक किलोमीटर 4 से 4.5 किलोमीटर पड़ता है। उसको भी हम आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे।**

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न का भाव लेते हुए मैं माननीय सदन को भी आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि पीछे हमारे जो ए0एम0पी0 के टारगेट्स थे, यह केवल चुराह

की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के हर डिवीजन की बात है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत चिंतित थे। लगातार प्रदेश के अंदर जो हमारे टारगेट्स मार्च, अप्रैल और मई के महीने में बरसातों से पहले पूरे करने थे, उसमें थोड़ा विलंब हुआ। एक तो इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ, जिसकी वजह से बिटुमन के रेट्स बढ़ गए और हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स को अचीव करने में समस्या आ रही थी। इस विषय को लगातार मैंने मुख्य मंत्री जी के समक्ष उठाया और बिटुमन हाइक के एस्केलेटेड अमाउंट को सरकार से बेयर करने का निवेदन किया, which in principle he agreed to and I am thankful for that. मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने इसकी एक रूपरेखा बना ली है। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा, हमारे विभिन्न पी0डब्ल्यू0डी0 डिवीजनों में करीब 800 किलोमीटर टैरिंग का कार्य किया जाएगा और उस पर 120 करोड़ रुपये खर्च आएगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए मेरा निवेदन था कि मैं इसके बारे में सदन को सूचित करना चाहता था।

प्रश्न काल समाप्त

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी

24.08.2026/1505/av/hk/1

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त और अब जीरो आवर शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मुझे नियम-67 के अंतर्गत जो एक सूचना आई है, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ।

आज दिनांक 24.08.2026 को अपराह्न 12.29 बजे, 12.40 बजे 12.42 बजे, 12.43 बजे व 12.44 बजे सर्वश्री रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, डॉ० हंस राज, जीत राम कटवाल और राकेश जम्वाल माननीय सदस्यों से नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जोकि पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां और 5 लाख रोजगार देने, युवाओं को अनेक लोक-लुभावन और गारण्टीज व वायदों को भूलकर युवाओं की अनदेखी पर पनपते आक्रोश से संबंधित है। इस विषय पर इन्हीं माननीय सदस्यों से दिनांक 21.08.2026 और

22.08.2026 को भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन सत्र की कार्यवाही न चलने के कारण मेरे द्वारा कोई व्यवस्था न दी जा सकी। माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा, श्री जीत राम कटवाल, डॉ० जनक राज और श्री आशीष शर्मा से नियम-63 व नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश में बेरोज़गारी की समस्या और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने से संबंधित चर्चा हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो इस सत्र की कार्यवाही में चर्चा हेतु निर्धारित किए गए हैं और माननीय सदस्य अपना-अपना विषय उठा सकते हैं। नियम-63 और नियम-130 में भी माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा, श्री जीत राम कटवाल, डॉ० जनक राज और श्री आशीष शर्मा के भी इसी विषय पर पहले से विधान सभा सचिवालय को नोटिस प्राप्त हुए हैं जोकि हमारे संज्ञान में हैं। हम इनको लिस्ट भी करेंगे मगर अब चूंकि यह स्थगन प्रस्ताव भी इसी मुद्दे पर है जोकि पहले ही विपक्ष के माननीय सदस्यों से नियम-63 और नियम-130 के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस इश्यू को नियम-67 के बजाय कंवर्ट करके नियम-130 के साथ टैग कर देते हैं। नियम-67 के अंतर्गत यह एक स्थगन प्रस्ताव है इसलिए आज के लिस्टिड इश्यूज में यह इश्यू प्रायोरिटी लेगा। आज जैसे ही कार्यवाही आगे चलेगी और जब नियम-130 के अंतर्गत इश्यू पर चर्चा होगी तो this issue will be discussed under Rule-130 not under Rule-67. ...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा, मैंने व्यवस्था दे दी और अब मैं इसको नहीं बदलूंगा। ...(व्यवधान) अच्छा, आप बोलिए।

24.08.2026/1505/av/hk/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर किसी अन्य नियम के अंतर्गत चर्चा नहीं मांगी है। मैंने इस विषय पर केवल नियम-67 के अंतर्गत ही चर्चा मांगी है और बाकी सदस्यों ने जो दूसरे विषयों पर चर्चा मांगी है ये भी तैयार हैं कि इस विषय पर उन नियमों की बजाय नियम-67 के अंतर्गत ही चर्चा की जाए। यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है और प्रदेश की युवा शक्ति तथा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस विषय को प्राथमिकता देते हुए बाकी विषयों को भी नियम-67 में क्लब करके चर्चा शुरू की जाए तथा बाकी विषय इसके बाद लिए जाएं, मेरा आपसे यह निवेदन है।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही व्यवस्था दी है क्योंकि नियम-67 बहुत अर्जेंट और इमरजेंसी इश्यू से संबंधित होता है। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please. Let the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister speak.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : ऐसा है, नियम-67 इसलिए होता है कि सारे-के-सारे एजेण्डे को स्थगित करके केवल उसी विषय पर चर्चा की जाए। यहां पर अभी जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपके विधायकों ने नियम-63 और नियम-130 के अंतर्गत भी नोटिसिज दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से हैरान हूं कि नियम-67 को एक मजाक बनाकर रख दिया है यह तो just for the sake of political drama किया जा रहा

टी सी द्वारा जार

24.08.2026/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

संसदीय कार्य मंत्री ... जारी

है। नियम-67 का उपयोग तो सिर्फ रेयर ऑफ द रेरेस्ट मामलों में किया जाता है। यदि प्रतिदिन नियम-67 के अंतर्गत एक विषय लिया जाए और अन्य विषयों पर चर्चा न हो पाए तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि एजेंडा में लगे अन्य विषय भी महत्वपूर्ण हैं। आज माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी का विषय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से संबंधित है जो इंपॉर्टेंट इश्यू है। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी का विषय हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उसमें सुधार से संबंधित है। इसी प्रकार नियम-63 के अंतर्गत भी दो माननीय विधायकों के विषय लगे हैं जिनमें श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी और श्री विनोद सुल्तानपुरी जी के विषय शामिल हैं। ये इश्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि युवाओं से संबंधित मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह विषय किसी प्रकार की इमरजेंसी का नहीं है जिसके कारण सारे कार्य स्थगित

करके केवल इसी विषय पर चर्चा करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है हम उससे सहमत हैं। आप सदन की कार्यवाही आगे चलाएं। नियम-67 के विषय को नियम-130 में कन्वर्ट करके कल या परसों चर्चा की जा सकती है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लिए युवाओं का मुद्दा ड्रामा हो सकता है परंतु हमारे लिए युवाओं का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है और पौने चार वर्षों में युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक हुआ है उन सभी विषयों को हम आज उठाना चाहते हैं। सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है इसलिए आज सरकार इस चर्चा से भागना चाहती है। परंतु हम विपक्ष के विधायकों के लिए युवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण है और युवाओं से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा किए गए वादों और गारंटियों को याद करवाना भी महत्वपूर्ण है जिन्हें सरकार भूल गई है। इसलिए विपक्ष के सभी विधायक चाहते हैं कि नियम-67 के अंतर्गत सभी कार्य रोककर अविलंब इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। इमरजेंसी मुद्दों के लिए नियम-62 है। नियम-67 महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए है और युवाओं से जुड़ा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सोच-विचार कर इस विषय को नियम-67 के अंतर्गत दिया है।

24.08.2026/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2

अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी के प्रभाव में आकर निर्णय न लें बल्कि अपने विवेक के आधार पर फैसला लें। यदि आप मानते हैं कि युवाओं का मुद्दा अति महत्वपूर्ण है और युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तो बाकी सभी कार्य स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को आसन पर आक्षेप करने की आदत पड़ गई है। ...(व्यवधान) आप सुन भी लिया करें। जब आप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं और जब हम बोल रहे हैं तो आप भी सुन लिया करें। आसन पर आप बड़े आराम से टिप्पणी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने जब व्यवस्था दे दी है और कह दिया है कि नियम-67 पर चर्चा नहीं होगी बल्कि नियम-130 पर चर्चा होगी तथा आपने यह भी कहा है

कि उसे अधिमान दिया जाएगा और आज भी उस पर चर्चा करवाई जा सकती है तो इससे ऊपर ये क्या चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, आप यह भी सुनिए। तीन दिन से ये इस विषय को लेकर लगे हुए हैं। यदि आपको बेरोज़गारी का मसला इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के मसले को इस हद तक नहीं घसीटते। आपने इस विषय को 72 घंटे तक घसीटे रखा, तब आपको बेरोज़गारी याद नहीं आई?

अध्यक्ष महोदय, अब इनको जंतर-मंतर याद आ रहा है और कुछ नहीं याद आ रहा है। इसलिए ये आपकी रुलिंग पर इस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट बैठिए। ...(व्यवधान) व्यवस्था तो मैं पहले ही दे चुका हूं। अब उसको दोबारा से रीइंटरेट कर रहा हूं। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा वगैरह का जो इश्यू है वह नियम-67 का है। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं आप पार्ट नहीं, आप इनके हैड है। इसलिए कभी-कभी इनको भी मौका दे देना चाहिए। ...(व्यवधान) मैंने व्यवस्था तो दे दी है। आपने इस इश्यू पर बोलना है या नियम-67 पर बोलना है?

श्री जय राम ठाकुर एन0एस0 द्वारा जारी

24-8-2026/1515/NS-YK/1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप इतना परहेज क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष : मैं कोई परहेज नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि सदन चले।

श्री जय राम ठाकुर : सदन निश्चित रूप से चलेगा लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उस बात को सत्ता पक्ष के लोग कितना लाइटली और हल्के में ले रहे हैं। आज की तारीख में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा क्या है? ...(व्यवधान) जब नोटिस दिया गया है और उस नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि आप सत्ता में आए हैं तो सत्ता में आने से पहले बेरोजगारों को ठगने की आपकी गारंटियों में से एक गारंटी यह थी कि पांच लाख नौकरियां पांच वर्षों में देंगे

और एक लाख नौकरियां एक वर्ष में देंगे। आपने यह बोला था। हम उस बारे में जानना चाहते हैं। ...(व्यवधान) अरे भाई, जब वहां (सत्ता पक्ष)से बोल रहे थे तब हम सुन रहे थे? अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में हम यह जानना चाहते हैं कि पांच लाख नौकरियों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है और इसे ड्रामा बता रहे हैं। आप स्वयं जनसभा में भाषण देकर कहते हैं कि मैंने 700 लोगों की नौकरी लगा दी।

अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : नहीं-नहीं, उन्होंने 700 लोगों को आउटसोर्स में लगाने की बात कही है। हम यह जानना चाहते हैं कि आउटसोर्स में नौकरी देने का तरीका क्या है? यह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा हुआ है। हमारे यहां एक भी आदमी नौकरी पर नहीं लग रहा है लेकिन इनके कहने पर इनके विधान सभा क्षेत्र में 700 लोग लग गए और ऐसा इन्होंने अपने भाषण में कहा है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था अंतिम रहेगी, हम भी इस बात से सहमत हैं और हम भी इस व्यवस्था से वाकिफ हैं। लेकिन हमारा आग्रह करने का अधिकार तो है ही और हम अपना पक्ष भी रख सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इनके दबाव के प्रभाव में नहीं

24-8-2026/1515/NS-YK/2

आना चाहिए। यह हमारा भी लक्ष्य रहना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय इनके दबाव के प्रभाव में न आएं।

अध्यक्ष : मैं प्रभावित नहीं होता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : आप प्रभावित हुए। अध्यक्ष महोदय, अभी जो सारा घटनाक्रम हुआ है तो हमारे लिए ऐसी घटनाएं सचमुच चिंता का विषय है। ...(व्यवधान) जो हमने कहा था

कि आप हमें वीडियो दे दें और आप कह रहे हैं कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। वह समय निकल गया तो हम चाहते हैं कि आप उसको जल्दी से दे दें। आज नियम-67 के अंतर्गत जो विषय रखा गया है उसको डायल्यूट नहीं करना चाहिए। गंभीरता तब बनती है जब नियम के अंतर्गत अगर हमने नोटिस दिया है और उसकी स्पिरिट का आपने सम्मान किया है तो इस विषय पर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये चुनाव गारंटी की बात कर रहे हैं, अभी तो इस गवर्नमेंट का कार्यकाल सवा साल का रहा है। ...(व्यवधान) हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि ओपीएस को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 1.35 लाख कर्मचारियों को पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस दी गई। कई और वायदे भी हैं। रोजगार की भी बात की गई थी और हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने जो गारंटियां दी हैं उन्हें हम पांच साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे (विपक्ष) पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में किसने कहा था कि विदेश से काला धन आएगा और सबके खाते में 15 लाख रुपये जाएंगे? किसने कहा था? अध्यक्ष महोदय, अमित शाह जी ने क्या कहा था? अमित शाह जी ने कहा था कि यह तो चुनावी जुमला है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि हिंदुस्तान में हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी? क्या आपकी सरकार ने 12 वर्षों में 24 करोड़ नौकरियां दीं? इनकी गवर्नमेंट (केंद्र सरकार) ने तो नौकरियां देने की बजाय नौकरियां खत्म कर दीं। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। अध्यक्ष महोदय, ये आज इसकी बात करते हैं।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

24.08.2026/1520/RKS/AG-1

संसदीय कार्य मंत्री जारी....

आज चीनी का रेट क्या है? आज महंगाई बहुत बढ़ा इश्यू है। अध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी है हम उसका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि इस सदन को सुचारु रूप से चलाया जाए।

अध्यक्ष : दोनों पक्षों के विचार सुनने के उपरान्त जो निर्णय मैंने पहले दिया था मैं उसी निर्णय को बरकरार रखते हुए आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूँ कि हमने इस विषय को रिजेक्ट नहीं किया है। नियम-67 का परव्यू एक निश्चित तथा अत्यन्त आवश्यक विषय के लिए है और इसकी एडमिसिबिलिटी की कुछ निर्धारित शर्तें हैं। यद्यपि ये सभी शर्तें पूर्ण नहीं हो रही थीं फिर भी इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसे अस्वीकार नहीं किया गया है। नियम-130 और नियम-63 के अंतर्गत कुछ माननीय विपक्ष के सदस्यों की ओर से नोटिस आए हैं इसलिए यह विषय पहले ही डाइल्यूट हो गया था। कुछ माननीय सदस्यों का मानना है कि इस विषय को नियम-130 के तहत डिस्कस किया जाए और कुछ सदस्य नियम-63 के तहत डिस्कस करना चाह रहे हैं। कुछ माननीय सदस्य नियम-67 के तहत भी इस इश्यू को डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसलिए नियमों और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए रिजेक्ट नहीं किया गया है। इस विषय को नियम-130 के अंतर्गत कंवर्ट किया गया है और आज अगर नियम-130 के तहत चर्चा शुरू हो पाई तो यह इश्यू पहले डिस्कस होगा। धन्यवाद। अब शून्य काल प्रारम्भ होता है। शून्य काल के लगभग 15 मिनट शेष हैं और मेरे पास कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रथम सूचना माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा की है। माननीय सदस्य कृपया अपनी बात रखें।

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल के माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा यह विषय पुलिस विभाग से संबंधित है और मैं "हिम उपस्थिति एप्प" के संबंध में अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ। इस समय गृह सचिव भी सदन में उपस्थित हैं। यह एक नई पंचिंग व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की लोकेशन, लॉन्गिट्यूड तथा लैटीट्यूड की जानकारी प्राप्त की जाती है। कर्मचारी पंच-इन तथा पंच-आउट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और विभाग को उसकी लोकेशन की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अध्यक्ष महोदय,

24.08.2026/1520/RKS/AG-2

हमारी पुलिस एक अत्यन्त अनुशासित बल है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस एप्प के कारण आज फील्ड में कार्य कर रहे कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल तथा ए0एस0आई0 अत्यधिक परेशान हैं। मैं इस विषय को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पुलिस की कार्यप्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक थाने में रोज़नामचा रखा जाता है। जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी ड्यूटी के लिए थाने से बाहर जाता है या वापिस लौटता है तो उसका पूरा ब्यौरा रोज़नामचे में अंकित किया जाता है। इस नई एप्प के माध्यम से पुलिस विभाग में जो व्यवस्था लागू की गई है उससे कर्मचारियों और अधिकारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह एप्प डी0जी0पी0 कार्यालय, आई0जी0पी0 कार्यालय, डी0आई0जी0 कार्यालय, एस0पी0 कार्यालय या एस0डी0पी0ओ0 कार्यालयों में 9 से 5 बजे तक कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू की जाए तो यह बात समझ में आती है किन्तु फील्ड स्टाफ के लिए यह व्यवस्था अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। इससे हमारी पुलिस फोर्स के मनोबल को कहीं-न-कहीं ठेस पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बोर्डर से सटा हुआ है। वहां अपराध, ड्रग्स तस्करी तथा अन्य अंतर्राज्यीय मामलों से संबंधित अनेक घटनाएं होती रहती हैं। इन मामलों की जांच के लिए हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी बार-बार सीमा पार क्षेत्रों में जाते हैं। अगर उन्हें चोर, ड्रग्स डीलर या किसी पेडलिस्ट का पीछा करते हुए वापिस अपने स्टेशन पर पंच-इन करना पड़े तो यह ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रोज़नामचा एक रेलिवेंट दस्तावेज़ है जिसे न्यायालय में भी प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें उस अधिकारी या कर्मचारी की क्या लोकेशन है या वह किस स्थान पर गया है, उस बात का जिक्र रहता है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

24.08.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-1

शून्य काल जारी...

श्री हरदीप सिंह बावा जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा एक और इश्यू आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नया इश्यू नहीं इसी से संबंधित इश्यू होना चाहिए।

श्री हरदीप सिंह बावा : सर, पुलिस से संबंधित सेम इश्यू है। हम क्योंकि बॉर्डर पर हैं और हमारी कांस्टिच्यूएंसी हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर से लगती है। जब कभी पुलिस ने चाहे एस0एच0ओ0 और डी0एस0पी0 ने क्रॉस बॉर्डर पर किसी रेड पर जाना हो या किसी हत्यारे, किसी क्रिमिनल या किसी ड्रग्स पेडलर का पीछा करने जाना हो अथवा इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना हो तो उन्हें अपने व्हीकल की परमिशन लेने के लिए सेक्रेटरी होम को आवेदन देना पड़ता है।

मेरी सरकार से और हमारे होम मिनिस्टर साहब, मुख्य मंत्री जी से भी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि यह परमिशन या तो डी0जी0पी0 साहब के लैवल पर दी जाए या डी0आई0जी0 रेंज है उनके लैवल पर दी जाए अगर यह परमिशन एस0पी0 साहब के माध्यम से दी जाती है तो मैं समझता हूं कि यह परमिशन जल्दी दी जा सकती है और इससे पुलिस का काम और आसान रहेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में शून्यकाल के माध्यम से लाया है और इसका संज्ञान भी माननीय सदन ने लिया है। हम पुलिस विभाग को आपके इस विषय के बारे में लिखेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राप्त की गई जानकारी आपसे साझा करेंगे। इस बात का मैं आपको अश्वासन देता हूं। अब अगला इश्यू माननीय सदस्य, श्री आर. एस. बाली जी का है।

24.08.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-2

श्री आर. एस. बाली : अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आज जिस इश्यू पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिसके लिए आपने मुझे समय दिया है वह बड़ा ही संवेदनशील विषय है जो लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। यह इस बात से जुड़ा हुआ है कि लोगों की जिंदगी किस तरह आगे बढ़े और वे परिवार जो सोसायटी में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा वंचित और परेशान हैं तथा जिन्होंने अपने घर के बड़े या अपने माता-पिता में

से किसी एक या दोनों को खोया है और करुणामूलक आधार पर नौकरियों के लिए आवेदक हैं। ये वे लोग हैं जिनको समाज के अंदर और परिवार के अंदर परेशानी होती है। जब परिवार में घर का बड़ा नहीं होता है तो घर के बड़े के न होने से परिवार को कितनी बड़ी हानि होती है उससे ये परिवार रोज गुजर रहे हैं।

यूँ तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और जब रोजगार की बात की जाए चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो यह समस्या पूरे भारत की है। रोजगार के लिए जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष में हमारे साथी बोल भी रहे थे और आपसे भी आग्रह कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करने दी जाए।

रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रदेश में हमेशा सभी सरकारें तत्पर रही हैं कि लोगों को रोजगार दिया जाए। देश में भी सरकारों ने वायदे किए। जब देश में सरकार बनी थी तब 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वायदा भी हुआ था। उस हिसाब से 12 वर्ष में 24 करोड़ नौकरियां युवाओं को देनी थीं। आज जब प्रदेश की नौकरियों की बात हो रही है तो अति वंचित वर्ग और करुणामूलक वर्ग के लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

इन लोगों के साथ मैंने कई मर्तबा मुख्य मंत्री महोदय से बात की है और कई बार हमने इस बात की चर्चा सभी मंत्री महोदय से की है। आपके आगे भी कई बार बैठकों में आपके दफ्तर में हमने इसकी बात की है और आपने बड़ी संवेदनशीलता से इस मुद्दे को समझा है क्योंकि कहीं-न-कहीं आपको भी इसकी टीस और पीड़ा है।

24.08.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-3

सर, मैं इस संबंध में आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि जब पिछली सरकार में करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की बात की गई थी तो उसका एक क्राइटेरिया पिछली सरकारों का कुछ और था उस क्राइटेरिया के अनुसार बहुत कम लोग नौकरियां लेने के लिए एलिजिबल हो रहे थे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

24.08.2026/1530/DT/AS-1**श्री आर०एस० बाली जारी...**

वह एक बहुत बड़ी समस्या थी। करुणामूलक आधार पर नौकरियां पाने वाले अभ्यर्थी हजारों में थे लेकिन पिछली सरकारों के समय जो एलिजिबल क्राइटेरिया बनाया गया था या पिछली सरकार के द्वारा भी जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसके अनुसार कुछ लोग ही करुणामूलक नौकरियों के लिए पात्र हो पा रहे थे। मेरी जानकारी के उस क्राइटेरिया से तकरीबन 200 से 300 लोग करुणामूलक आधार पर नौकरी पा रहे थे जबकि आवेदकों की संख्या हजारों में थी। इस संबंध में सदन के बाहर तथा सदन के अंदर कई बार चर्चा हुई। इसका परिणाम हुआ कि मुख्य मंत्री महोदय ने इसके ऊपर मंथन करने के उपरांत गंभीर चर्चा की जिसके परिणामस्वरूप एक एलिजिबल क्राइटेरिया बनाया गया। उस एलिजिबल क्राइटेरिया में पहले जो 2.5 लाख रुपये की सालाना आय किसी भी करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी के लिए रखी गई थी उस आय को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया। यानी एक परिवार जो 3 लाख रुपये से कम कमाता है उस परिवार को हम करुणामूलक आधार पर नौकरी दे सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जो 400 नौकरियां करुणामूलक आधार पर लग रही थीं उनकी संख्या बढ़कर 1,200 हो गई। जो मैं 200-300 नौकरियों की बात कह रहा हूं, वह मैंने अभी देखा-पढ़ा है यानी यह तकरीबन 400 थी ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन वर्तमान सरकार के समय यह 400 से 1,200 तक पहुंच गई है। मेरे कहने का मतलब है कि 1,000 से ऊपर नौकरियां करुणामूलक आधार पर दी जा रही हैं और इन नौकरियों की प्रक्रिया भी रिकॉर्ड समय में चालू कर दी गई। इसके लिए सरकार के द्वारा क्राइटेरिया बनाया गया। जब पहली नौकरी की प्रक्रिया चालू हुई तो 'सी' और 'डी' कैटेगरी यानी क्लास-III और क्लास-IV के लिए यह चालू की गई। सर, क्लास-III में क्लेरिकल का काम है, जिसको आम भाषा में क्लर्क समझा जाता है लेकिन आजकल इसको जे०ओ०ए०(आईटी) बोलते हैं। यह जे०ओ०ए०(आईटी) जो हैं ये क्लेरिकल का ही काम करते हैं लेकिन इनका चयन आई०टी० तथा कंप्यूटर के ज्ञान के आधार पर होता है। इन्हें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं। हमारी सरकार के समय इनकी प्रक्रिया चालू करके तकरीबन 150 लोगों को अभी तक नौकरी दे दी गई है। लेकिन क्लास-IV में अभी तक वह प्रक्रिया चालू नहीं हो पाई

क्योंकि एम0टी0डब्ल्यू0 यानी मल्टी टास्क वर्कर की पॉलिसी अभी तक स्टेट में बनी नहीं है।

24.08.2026/1530/DT/AS-2

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी प्रक्रिया को जल्दी चालू किया जाना चाहिए ताकि जो अति वंचित वर्ग है और जिनके माता-पिता नहीं हैं उनके परिवारों को राहत मिल सके। परिवार में जब माता-पिता नहीं होते तो, यह सदन के सभी सदस्य और हमारे सीनियर सदस्य भी समझते हैं, कि उस परिवार को कितनी बड़ी आर्थिक परेशानी होती है। मैं चाहूंगा, सर, कि आपके माध्यम से जो 'डी' कैटेगरी है उसके लिए कहीं न कहीं एम0टी0डब्ल्यू0 की पॉलिसी जल्दी से जल्दी बनाई जाए ताकि अति वंचित वर्ग जो करुणामूलक आधार पर नौकरियां मांग रहे हैं, उनको नौकरियां मिल सकें।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि करुणामूलक आधार नौकरियों देने के संदर्भ में दिनांक 1 जुलाई, 2026 को यानी तकरीबन एक-डेढ़ महीने पहले एक नोटिफिकेशन हुई और ऑफिस मेमोरेण्डम भी निकाला गया, उसके अनुसार इन्होंने लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2026 रखी। यह सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल थी। इस क्राइटेरिया में काफी लोग एलिजिबल हुए हैं लेकिन काफी लोग अभी भी वंचित हैं। जो रिजेक्टेड केस पिछली सरकारों के समय के थे और जो किसी न किसी क्राइटेरिया की वजह से या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से रिजेक्ट हुए थे उन लोगों को दोबारा मौका दिया गया है। दिनांक 1 जुलाई, 2026 को कहा गया कि आप लोग भी आवेदन दे सकते हैं और आपकी प्रक्रिया भी हम दोबारा से चालू करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक टेक्निकल हिच आ गई। टेक्निकल हिच यह आई कि जो अति वंचित वर्ग के करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो रिलैक्सेशन दी थी ढाई लाख से तीन लाख जो किया था जिसके कारण 400 से संख्या 1200 तक पहुंच गई यानी पहले केवल 400 अभ्यर्थी ही पात्र पाए जा रहे थे लेकिन नये क्राइटेरिया में 1200 अभ्यर्थी करुणामूलक नौकरी के पात्र हो गये। जब उसके बाद पुराने मामलों को लेने के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन के द्वारा रीओपन करने के लिए की और उसकी डेट 31 दिसम्बर उसके अंदर इन्होंने वही क्राइटेरिया 75000/- रुपये रखा। मतलब यदि एक सिंगल आदमी घर में बचा है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

24.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./1

श्री आर0एस0 बाली..... जारी

तो उसकी 75,000/- रुपये से कम आय होनी चाहिए। अगर दो आदमी बचे हैं तो फिर 1,50,000/- रुपये से कम आय होनी चाहिए। अगर तीन बचे हैं तो उसके हिसाब से गुणा कर लीजिए कि कितनी आय होनी चाहिए? इस प्रकार से जब चार-पांच सदस्य बचे होंगे, तब जाकर वह उस आय क्राइटेरिया में पहुंचेगा। यह थोड़ा-सा अनजस्टिफाइड क्राइटेरिया लग रहा है क्योंकि अगर पहले हमने 3 लाख रुपये की रिलैक्सेशन दी है तो अब यदि हम एक-एक के लिए 75,000/- रुपये करेंगे, जोकि पहले की सरकारों में भी हुआ करता था, अभी उसी को इन्होंने फॉलो कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ा ही वंचित वर्ग है, करुणामूलक आधार पर लगने वाले लोग हैं, परेशान बच्चे हैं, उनके परिवार के बड़े व माता-पिता नहीं हैं, तो आपको उनका माता-पिता व संरक्षक बनके, इस सरकार को उनका संरक्षक बनके, इस हाउस को उनका संरक्षक बनके, कहीं-न-कहीं इनकी मदद करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक सेकंड और लूंगा। महोदय, पूरे प्रदेश में केवल 150 केस ऐसे हैं, जो 45 साल से ऊपर की आयु पार कर चुके हैं। ये लोग पहले वाले क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ पाए। अभी इनमें से कोई 44 साल का है तो कोई 45 साल का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इनको वन-टाइम रिलैक्सेशन दे पाएगी ताकि सिर्फ 150 बच्चे, जिनके माता-पिता नहीं हैं, उनको क्या यह हाउस, जिसमें सभी पक्ष और विपक्ष के

लोग और आप इस हाउस के मुख्य संरक्षक हैं, आपके द्वारा सरकार को कहीं-न-कहीं यह संदेश भी दिया जाएगा कि उन लोगों को भी कंसिडर करें? अध्यक्ष महोदय, मैं यही सब बताना चाहता था। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

24.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही रिलेवेंट इश्यू उठाया है और इसके तमाम पहलुओं को उजागर किया है। इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस पर विचार किया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर मंथन कर रही है और जैसे ही कोई फैसला होता है, तब हम आपको सूचित करते हैं। धन्यवाद।

शून्य काल समाप्त।

Speaker : Now, the remaining issues will be taken up tomorrow on priority. Whatever issues we received tomorrow, that will be the second priority.

24.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उप-मुख्य मंत्री सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाना चाहता हूँ, जोकि इस प्रकार है:-

सोमवार	अगस्त, 24 भाद्रपद, 02	:	शासकीय/विधायी कार्य ।
मंगलवार	अगस्त, 25 भाद्रपद, 03	:	शासकीय/विधायी कार्य ।
बुधवार	अगस्त, 26 भाद्रपद, 04	:	शासकीय/विधायी कार्य ।
वीरवार	अगस्त, 27 भाद्रपद, 05	:	(1) शासकीय/विधायी कार्य; (2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस ।

24.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./4

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा, उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राष्ट्रपति महोदय/राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राष्ट्रपति महोदय/राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 8);

2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 9);
3. हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2026 का अधिनियम संख्यांक 10);
4. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 11);
5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 12);
6. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 13);
7. हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 14); और
8. हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 15)।

24.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./5

अध्यादेश

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उप-मुख्य मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 29.07.2026 को प्रख्यापित 'शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 2)' की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ), सभा पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 29.07.2026 को प्रख्यापित 'शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 2)' की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ), सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष.....श्रीमती पी०बी० द्वारा.....जारी

24.08.2026/1540/DC/PB/1

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा प्राधिकृत) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.05.2026 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.05.2026 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूँ।

24.08.2026/1540/DC/PB/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब उप-मुख्य मंत्री (प्राधिकृत) कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग सचिवालय प्रशासन सेवाएं-1 (आशुलिपिक, ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्या: कार्मिक (एस0ए0एस0-1)ए(3)-3/2025-1, दिनांक द्वारा 06.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.07.2026 को प्रकाशित; और
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संयुक्त सचिव गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, वर्ग-ए के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्या: पर (एपी-बी)ए(3)-3/2025, दिनांक द्वारा 30.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 05.05.2026 को प्रकाशित।

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा प्राधिकृत) कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) तीसरा संशोधन नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)-18/2008-III-24112-305, दिनांक द्वारा 18.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 20.04.2026 को प्रकाशित; और

24.08.2026/1540/DC/PB/3

- (ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) संशोधन नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)-4/2006-III-पेसा-39211-39368, दिनांक द्वारा 09.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 22.07.2026 को प्रकाशित।

24.08.2026/1540/DC/PB4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री संजय रत्न, सदस्य, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

1. समिति का 134वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग से सम्बन्धित है;
2. समिति का 135वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 54वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

3. समिति का 136वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 119वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

24.08.2026/1540/DC/PB/5

- (1) समिति का 34वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (आर्थिक क्षेत्र) मार्च, 2019 के ऑडिट पैरा संख्या: 5.31 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी (बेबरेजेज) सीमित से सम्बन्धित है; और
- (2) समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2017-18) पर बने 17वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम सीमित से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री राम कुमार, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, ग्रामीण नियोजन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

- (1) समिति का 20वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मत्स्य विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
- (2) समिति का 21वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

24.08.2026/1540/DC/PB/6

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। सर्वप्रथम, माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय उप-मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी यदि चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि "to call the attention of the House regarding embezzlement of 20 crores in the Subathu urban NATCS (Non-Agricultural Thrift and Credit Society)" के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में सामने आया एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें पूर्व में जो चेयरमैन थे उनके द्वारा लोन अकाउंट नंबर 215 से लगभग 2,55,25,713 रुपये का लोन वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक तीन वर्षों में लिया गया। इसके बाद वर्ष 2019 में सभा के चुनाव से पहले दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को यह लोन उनके बेटे के नाम प्रोनोट नंबर 2328 द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया। यह सोसायटी एक्ट के विरुद्ध है क्योंकि न तो चेयरमैन स्वयं कोई लोन ले सकता है और न ही अपने परिवार या सगे-संबंधियों को किसी प्रकार का लोन दे सकता है। अध्यक्ष महोदय

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

24.08.2026/1545/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जारी

इसके बाद चेयरमैन ने दूसरा लोन अकाउंट नंबर 317 से 3,89,273 रुपये की राशि फिर से अपने पार्टनर को भेजा। इसमें कुछ नाम भी हैं। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि क्या मैं इन लोगों के नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैं यह डॉक्यूमेंट्स सभा पटल पर रखूंगा। With the permission of the Hon'ble Chair, may I take their names?

अध्यक्ष : हाँ बिल्कुल, you can take the names. In fact, you should have laid the documents on the Table of the House.

Shri Vinod Sultanpuri: Sir, I will lay the documents on the Table of the House. इस में सर एक सुशील गर्ग जी हैं जिनका बेटा मनन गर्ग है और इनके पार्टनर का नाम प्रशांत चौहान है। इसी तरह एक आनंद कुमार जी हैं। उन्होंने भी वही प्रोसीजर अपनाया है जिसके द्वारा यह राशि उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती रीना जी के नाम पर ट्रांसफर की है। श्रीमती रीना जी के नाम पर एक करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। पांच महीने बाद उन्होंने वही लोन अपनी पत्नी से वापस ले लिया और फिर उन्हें इलेक्शन लड़वाए। सुशील गर्ग जी जब भी चुनाव आते हैं उस समय इस तरह से पैसा ट्रांसफर करते हैं। इस तरह परिवार में लगभग आठ-से-नौ लोगों का नेक्सस है। इसमें हमारे गरीब-से-गरीब लोगों की हार्ड-अर्न्ड मनी के ऊपर इस तरह का खेल रचा गया है। इसी तरह एक करोड़ रुपये का एक और लोन अपने बिजनेस पार्टनर प्रशांत चौहान जी को दिनांक 20-04-19 को दिया गया। इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं जो पिछले 25 वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं। इसमें नौ लोग ऐसे हैं जो डिफॉल्टर्स हैं और आपस में पैसा रोटेट करते रहते हैं। यह पैसे मेहनत की कमाई के पैसे हैं और एक ही परिवार तथा उनके पार्टनर्स के बीच यह पूरा पैसा रिवाँल्व

कर रहा है। यह बात तब सामने आई जब ये लोग अपनी सोसायटी का चुनाव हार गए। आज

24.08.2026/1545/डी0सी0/ए0पी0-02

स्थिति यह है कि जो चेयरमैन थे वे हंगर स्ट्राइक पर गए और उन्होंने केवल एक मांग रखी कि एक SAT फॉर्म हो और SAT के फॉर्म होने के बाद इसमें कुछ एक्शन लिया जाए। SAT फॉर्म हुई लेकिन हमें लगा था कि इसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह जो फाइनेंशियल फ्रॉड है इसमें 2,134 लोग प्रभावित हैं और उनका पैसा कहीं-न-कहीं रोज डायवर्ट हो रहा है। यह जो मनी ट्रेल है वह ट्रेस नहीं हो पा रही है। बिना डॉक्यूमेंट्स के किस तरह उस पैसे का मिसयूज किया और मेहनत की कमाई के पैसे का कहां इस्तेमाल किया गया यह पता नहीं चल पा रहा है। इसमें हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जोकि आर्म्ड फोर्सिज में सर्विस कर के आए हैं और अपनी पूरी पूंजी उस बैंक में जमा की थी। आज वे रिटायर्ड हैं और जब उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है तो उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा इस इश्यू पर यह बताया जाए कि यह 20 करोड़ रुपये कहां हैं? इतने रिपीटेड ऑफेंस हुए और सोसायटी ने इतने समय से इल्लीगली अपने आपको ऑपरेट किया। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इस मामले में ऑफेंडर्स को कोर्ट में लाया गया है? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? यह पैसा कहां गया? यह तो वैसे ही हो गया, जैसा अभी चंदा चोर वाला एपिसोड चला हुआ है। ये छोटे चंदा चोर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरह से हमारे सिस्टम को पूरी तरह से चीट किया है। उसमें अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, गुड़गांव में लैविश शादियां हो रही हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। ये अपनी दुकानों में भी बैठते हैं। माफ करना सर, ये सामने वाली पार्टी से बिलॉन्ग भी करते हैं। यहां 2,134 लोग हैं और उनकी पीड़ा है। वे चाहे जिस मर्जी पार्टी को वोट डालते हों, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह के जो करप्ट लोग हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा और इनको सही जगह पहुंचाना होगा। इनकी सही जगह जेल है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं और

श्री ए०टी० द्वारा जारी

24.08.2026/1550/AT/HK/01

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी...

इस तरह की इनकी जो स्कीम्स हैं, उनमें लोगों का शोषण किया जाता है। ये वही लोग हैं जो पहले लैंडलॉर्ड्स होते थे और गरीब लोगों का शोषण करते थे। इसी शोषण को रोकने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटीज़ बनाई गई। ...(व्यवधान) नहीं, वो इसमें नहीं है, सर। पर मसला यह है कि इतने गरीब लोगों के पैसे का मिसयूज़ हुआ है और उसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं आदरणीय उप-मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। जो जस्टिस है, उसके लिए जब तक हम टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं करेंगे, और यह जो मनी ट्रेल है, यह कहां तक लीड करता है, उसको ट्रेस करने में आप हमारी मदद करें। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, I am very-very grateful कि आपने इतना बड़ा इश्यू हमारी इस मीटिंग में कंटेन्यूटी के साथ, 21 तारीख से 24 तारीख तक, मुझे अवसर दिया। I am very-very grateful and thank you so much to the Chair.

Speaker : The papers which you want to lay, give it to the Secretary Vidhan Sabha. माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय।

24.08.2026/1550/AT/HK/02

उप-मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है:-

दि सुबाथू अर्बन गैर कृषि ऋण व बचत सहकारी सभा सी० सुबाथू, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का पंजीयन पंजीकरण संख्या 78 दिनांक 01.11.1937 के अंतर्गत हुआ था। वर्तमान में उक्त सभा में 2134 सदस्य विद्यमान हैं। उक्त सभा द्वारा अपने सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने तथा ऋण आदि प्रदान करने का कार्य किया जाता रहा है। श्री

परस राम कश्यप पुत्र स्वर्गीय श्री देवी शरण, निवासी शांति फिलिंग स्टेशन, रडियाणा, तहसील सुबाथू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 30.05.2023 को सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, सोलन कार्यालय में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिस में दि सुबाथू गैर कृषि ऋण व बचत सहकारी सभा सीमित सुबाथू की प्रबंधकीय समिति द्वारा ऋण वितरण में प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

उपरोक्त के संबंध में सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, सोलन द्वारा दिनांक 09.06.2023 को वृत्त निरीक्षक, सहकारी सभाएं, सुबाथू को जांच हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.08.2023 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में सोसायटी सदस्यों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण में निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन सम्बन्धी गंभीर प्रक्रियागत त्रुटियां पाई गईं। इन निष्कर्षों के आधार पर सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, सोलन द्वारा दिनांक 24.08.2023 के आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम, 1968 की धारा 37 (1) के अंतर्गत तत्कालीन प्रबंधकीय समिति को भंग कर प्रशासकों का बोर्ड नियुक्त किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत चुनाव कार्यक्रम की स्वीकृति उपरांत दिनांक 29.11.2023 को नई प्रबंधकीय समिति गठित की गई। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम, 1968 की धारा 69 (1) के अंतर्गत औपचारिक जांच करवाई गई, जिसमें पूर्व प्रबंधकीय समिति द्वारा कुल 17,36,36,416/- के ऋण वितरण में वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। इसके आधार पर दोषी समिति सदस्यों के विरुद्ध धारा 69 (2) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई, जो सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, सोलन द्वारा दिनांक 13.01.2026 को पूर्ण की गई। जांच पूर्ण होने पर दिनांक 24.04.2009 से 31.08.2023 तक पद पर रहे कुल आठ प्रबंधकीय समिति सदस्यों व एक सचिव पर दायित्व निर्धारित किया गया जिनका विवरण इस प्रकार से है। अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी कार्रवाई है, दोषी ऋणियों के विरुद्ध वसूली

24.08.2026/1550/AT/HK/03

कार्रवाई, पूर्व प्रबंधकीय समिति के विरुद्ध कार्रवाई, वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी पुलिस शिकायत और वन टाइम सेटलमेंट (OTS) के अंतर्गत ऋण खाता निपटान हेतु अनुरोध संबंधी जितना भी ये मसला है कि मैं माननीय सदस्य को सौंप दूंगा ताकि ये

इसका अध्ययन कर लें और ये एक गंभीर मसला है, इसमें विभागीय स्तर पे जो भी कदम उठाने होंगे, वो उठाए जाएंगे और उपरोक्त के दृष्टिगत यह अवगत करवाया जाता है कि प्रकरण में विभाग द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच, संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही निर्धारित करने, दोषी ऋणियों के विरुद्ध मध्यस्थता एवं वसूली की कार्रवाई, संपत्तियों की कुर्की तथा प्राप्त देय राशि की वसूली सहित विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा सोसायटी के हितों की सुरक्षा तथा वित्तीय अनुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए

श्रीमती ऐ०वी० द्वारा जारी

24.08.2026/1555/av/hk/1

उप-मुख्य मंत्री -----जारी

सभी आवश्यक कदम पूरी तत्परता के साथ उठाए जा रहे हैं। सम्बंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखा परीक्षकों तथा पूर्व प्रबंधकीय समिति के सदस्यों की भूमिका के सम्बन्ध में जहां भी दायित्व अथवा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही स्थापित होगी, वहां प्रचलित विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग प्रकरण को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधि सम्मत तरीके से उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने तथा सोसायटी की बकाया राशि की अधिकतम सम्भव वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभा सदस्यों द्वारा जमा राशि की वसूली की जा सके।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें इश्यू यह है कि डाक्यूमेंट्स में जो करेक्शन्ज करने की कोशिश की गई है, उसमें ओवर राइटिंग हुई है। मनी ट्रेल के ऊपर हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फण्डज इजीली अवेलेबल हैं, अगर इनकी प्रोपर्टीज अटैच की जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं यानी जो हमारे जिला के ऑफिसरज हैं, मैं समझता हूं कि हाई लेवल इन्क्वायरी के लिए वहां से नियुक्त किए जाएं। मुझे लगता है कि उसी से इसका समाधान निकलेगा।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आर०सी०एस० और सह-सचिव (कोऑर्डेटिव) से चर्चा करके तथा माननीय सदस्य ने जो सदन के समक्ष बातें रखी हैं, उन सबको ध्यान में रखकर जो भी कदम उठाने होंगे; हम अवश्य उठाएंगे। माननीय सदस्य ने जो सदन के अंदर फैक्ट्स एण्ड फिगरज रखे हैं उसके मुताबिक अगर हमें कोई फ्रेश जांच भी करवानी पड़ेगी तो हम कर देंगे।

Speaker : I would request the Hon'ble Member Shri Vinod Sultanpuriji to supply those documents to the Hon'ble Deputy Chief Minister also which you have laid on the Table of the House.

अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उप-मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। Hon'ble Member Shri Inder Dutt Lakhanpalji, if you want to seek any clarification, you can seek it.

24.08.2026/1555/av/hk/2

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ जोकि निम्न प्रकार से है :-

“to call the attention of the House that the government may consider extending State Quota eligibility to the children of Bonafide Himachalis whose parents are serving outside State.”

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के लोग खासकर जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और आस-पास के लोग लम्बे अर्से से निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए उनके बच्चे भी साथ में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु जब वे नीट का पेपर पास करते हैं तो उनको स्टेट कोटा नहीं मिलता। इसमें अन्य वर्गों को तो वर्गीकृत किया हुआ है कि जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं उनके बच्चों को दो या तीन वर्ष का लाभ वहां मिलता है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायधीश के बच्चों को मिलता है तथा हिमाचल

प्रदेश सरकार के नियमित कर्मचारियों के बच्चों को मिलता है। बाहर के राज्यों के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी मिलता है। लेकिन जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में नौकरियां तो है नहीं इसलिए यहां से अधिकांश लोग नौकरी-पेशा और अन्य बिजनेस के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उनके बच्चे भी वहां पर उनके साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। इनके बच्चों के साथ जो एक तरह से डिस्क्रीमिनेशन हो रही है, इस बारे में सोच-विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत के चाहे किसी भी कोने से शिक्षा प्राप्त की है परंतु अपनी प्रतीभा के अनुसार उन्होंने भी नीट की परीक्षा में अपना-अपना स्थान पाया है। लेकिन जब स्टेट कोटे की बात आती है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मेरी मन्शा यही है कि अन्य सिस्टम के साथ इन माता-पिता के बच्चों को भी थोड़ा हौसला मिले कि उनके बच्चों को भी स्टेट कोटा दिया जाए। मैं यही कहने के लिए इस प्रस्ताव को लाया हूं। हमारी यही मन्शा है कि सरकार इस संदर्भ में विचार-विमर्श करे और इन बच्चों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।

उप-मुख्य मंत्री जी टी सी द्वारा जारी

24.08.2026/1600/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो लोग बाहर कार्य करते हैं और बोनाफाइड हिमाचली हैं, उन्हें यहां कोटा देने की बात कही है। यह मामला सरकार के ध्यानार्थ है। मुख्य मंत्री कल माननीय सदन में आ जाएंगे और तब इसके संबंध में सरकार की जो सोच बन रही है उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। वैसे इसका रिप्लाइ मेरे पास उपलब्ध है लेकिन क्योंकि इस विषय में नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है इसलिए मुख्य मंत्री के सदन में आते ही मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको इसके बारे में अवगत करवा दें।

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत विषय उठाए जाएंगे। जैसा अभी सदन में निर्णय हुआ था उसमें नियम-67 के अंतर्गत जो विषय आया था उसमें माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा, श्री सुधीर शर्मा, डॉ० हंस राज, श्री जीत राम कटवाल और श्री राकेश जम्वाल जी का विषय प्रायोरिटी में था। मैंने उसी प्रकार व्यवस्था दी थी। अब मुझे संसदीय कार्यमंत्री

महोदय द्वारा सूचित किया गया है कि उनकी विपक्ष के सदस्यों के साथ बातचीत हुई है और उन्होंने यह कहा है कि आज की लिस्ट में जो विषय लिस्टिड हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाए तथा नियम-67 के अंतर्गत आया हुआ विषय बाद में टेकअप किया जाए। मैं इस संबंध में राय जानना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि नियम-67 के अंतर्गत आए विषय को नियम-130 में कन्वर्ट करके आज ही चर्चा की जाए। मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं और इसका रिप्लाय मुख्य मंत्री जी देंगे। इसलिए इस विषय को कल लिया जाए। आज जो हैल्थ का इश्यू लगा है उस पर चर्चा कर ली जाए और कल जब आप लिस्ट तैयार करें तो नियम-67 वाले उस विषय को जो नियम-130 में कन्वर्ट किया गया है नंबर एक पर लिस्ट करके कल माननीय सदन में उस पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष : ठीक है। अब मैं आज के लिए नियम-130 के अंतर्गत लिस्टिड विषय को लेता हूं। अब माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर, डॉ० जनक राज और श्री पवन कुमार काजल से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वे भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

24.08.2026/1600/टी०सी०वी०/वाई०के०/-2

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों, आधुनिक उपकरणों, दवाओं की उपलब्धता, रिक्तियों तथा स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता प्रदान करने के संबंध में माननीय सदन विचार करे।"

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश में सरकार का एक विजन होता है और उस विजन के अंतर्गत समाज के आमजन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। उसकी झलक चाहे एनुअल बजट प्लान हो, चाहे हमारा बजट हो या विधान सभा में अलग-अलग विषयों पर होने वाली चर्चाएं हों उसमें दिखाई देती है। यदि मैं

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो इसमें समाज का हर वर्ग चाहे वह किसान हो, बागवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिला हो या गरीब जनता के कल्याण की बात हो, उसमें समाज के हर वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता होती है। ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि उसमें समाज के हर वर्ग की चिंता होती है लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश में इस

एन0एस0 द्वारा जारी ...

24-8-2026/1605/NS-YK/1

श्री विपिन सिंह परमार-----जारी

सरकार का गठन हुआ है तब से ध्यान में यह आ रहा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग या आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। जब हमने पिछले वर्ष 2025-26 का बजट देखा तो उसमें कुल 5.83 प्रतिशत यानी लगभग 2800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार आंकड़ों में या आंकड़े बताने के लिए तो बहुत गंभीर है परन्तु हिमाचल प्रदेश के गरीब, बीमार और जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति जिस खुले मन और खुले दिल की आवश्यकता है उसके लिए इस सरकार की मानसिकता बहुत संकीर्ण है। मैं यह बात तथ्यों के आधार पर यहां रखना चाहता हूं। खुशी हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही गई और इसके लिए ऐसे-ऐसे शब्द ढूंढ करके लाए गए। कहा गया कि वहां पर एम0आर0आई0, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध होगी और पैथोलॉजी की लैब को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि वहां पर डायलिसिस यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। मैं पिछले तीन बजटों में यह भी देख रहा हूं और उसमें कहा गया था कि इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे कहा गया कि इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में मनोचिकित्सा यानी साइकैट्रिक डिपार्टमेंट का परामर्श भी दिया जाएगा। यानी विजन

अच्छा हो सकता है, सोच अच्छी हो सकती है परन्तु उसके लिए जो प्रयास और बजटरी प्रावधान होने चाहिए थे, उनका अभाव है।

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए)

यह भी कहा गया कि इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों लगाए जाएंगे। कहा गया कि वहां पर मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, ई0एन0टी0 और डर्माटोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। हमें भी खुशी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के समय में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच जो विजन हमने रखा था उसको शायद वर्तमान मुख्य मंत्री आगे बढ़ा रहे हैं परन्तु वह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में नहीं था। हिमाचल प्रदेश में उन स्वास्थ्य संस्थानों को इस सरकार ने बर्बादी की ओर धकेल

24-8-2026/1605/NS-YK/2

दिया है, मैं यह कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं प्रमाण भी दूंगा। प्रमाण इस रूप में दूंगा, यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो सिविल हॉस्पिटल, थुरल में जिन सुविधाओं का मैंने उल्लेख किया है तो वहां पर न स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और न ही नर्सिंग स्टाफ है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया है और वह कॉन्सेप्ट आउटसोर्स है। आउटसोर्स एजेंसियां वहां पर धड़ाधड़ अप्वायंटमेंट कर रही हैं। मेरे पास सभी विभागों की बहुत-सी जानकारियां हैं।

मुझे श्री राम चंद भाटिया जी के अंतिम दर्शन करने का भी अवसर मिला। जब मैं आई0सी0यू0 में गया तो कुछ लोग मेरे पास मिलने के लिए आ गए और कहने लगे कि हमारा क्या होगा? मैंने कहा, क्या होगा? आप आई0सी0यू0 में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास योग्यता है, हमारी क्वालिफिकेशन है परन्तु एक आउटसोर्स एजेंसी ने हमें यहां पर अप्वायंटमेंट करवाया है तो हमारा भविष्य क्या होगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में जो यह ऊंची उड़ान भरी है वह धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे याद है कि हमने एन0एच0आर0एम0 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का भी प्रयास किया था। लगभग

20 करोड़ रुपये से थुरल अस्पताल का काम भी शुरू हुआ था। मुझे दुःख इस बात का भी है कि अभी हाल में ही माननीय उच्च न्यायालय ने हैल्थ डिपार्टमेंट

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

24.08.2026/1610/RKS/AG-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी

और नेशनल हैल्थ रूरल मिशन को नोटिस जारी किया कि ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और यह बताया जाए कि यह राशि कहां और किस मद में व्यय की जा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को सत्ता में आए हुए तीन वर्ष आठ महीने से भी अधिक समय हो गया है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि महीनों की नहीं बल्कि दिनों की बात की जा रही है। यही हाल हमारे सुलह विधान सभा क्षेत्र के भवारना का है। वहां अल्ट्रासाउंड तथा सी0टी0 स्कैन जैसी सुविधाएं स्थापित हैं लेकिन उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे सिविल अस्पताल, पालमपुर में भी रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। थुरल, भवारना, जयसिंहपुर और बैजनाथ की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। वहां न तो रेडियोलॉजिस्ट हैं और न ही रेडियोग्राफर उपलब्ध हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पौने चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन बोर्ड के माध्यम से कितने रेडियोग्राफरों की नियुक्तियां की गई हैं? मेरी जानकारी के अनुसार एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रेडियोग्राफरों की नियुक्तियां आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही हैं। यह कैसी हैल्थ व्यवस्था है और हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं? हाल ही में मुख्य मंत्री जी का धीरा का दौरा हुआ जहां उन्होंने एक अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। वैसे तो यह उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से हुआ था लेकिन आज लगभग छह महीने बीत जाने के बाद भी उस अस्पताल के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है। किसी भी अस्पताल भवन के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का होना जरूरी है। मैं लोक निर्माण विभाग से भी यह जानना

चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे भवन के उद्घाटन की अनुमति क्यों दी जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्थिति यह है कि एम्बुलेंस भी उस अस्पताल तक नहीं पहुँच सकती है लेकिन उसका ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि यह हिमाचलियों तथा विशेष रूप से सुलह विधान सभा क्षेत्र के लोगों के साथ एक प्रकार का धोखा है। अस्पतालों में दवाइयों की भी भारी कमी है। एक एशेंशियल ड्रग लिस्ट दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 को जारी की गई थी और 869 दवाइयों के लिए रेट कांट्रैक्ट भी किया गया था। लेकिन उन 869 दवाइयों के अतिरिक्त 1454 दवाइयाँ ऐसी हैं जो मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होनी चाहिए थी।

24.08.2026/1610/RKS/AG-2

सभापति महोदय, आपका जिला भी कांगड़ा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कभी भेष बदलकर डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा का दौरा कीजिए। वहाँ लोगों की स्थिति चिंताजनक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बजट में की जा रही घोषणाओं, हेल्थ विभाग द्वारा जारी नई-नई अधिसूचनाओं तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित दावों का खामियाजा आम लोगों को अपनी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल कर भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज और एक 'एम्स' संस्थान स्थापित है। हमें आप यह तो बताएं कि एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने वाले कितने चिकित्सक पंजीकृत होने के बावजूद बेरोजगार हैं और घरों में बैठे हुए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह बताया गया कि 'जानकारी एकत्रित की जा रही है'। हिमाचल प्रदेश में एक समय ऐसा भी था जब एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने वाले चिकित्सकों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्तियाँ प्रदान की जाती थीं। उस समय की सरकार ने यह परम्परा प्रारम्भ की थी और उसके बाद भी इसे जारी रखा गया। श्री जय राम ठाकुर के कार्यकाल में भी यह व्यवस्था निरन्तर जारी रही। आज प्रदेश के अधिकांश आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति यह है कि वहाँ स्पेशलिस्ट चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, दवाइयों का अभाव है, पैरा मेडिकल स्टाफ पर्याप्त नहीं है तथा पैथोलॉजी लैब्स भी कमजोर स्थिति में हैं। मैं आदर्श स्वास्थ्य

संस्थानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष, आठ महीने और कुछ दिन व्यतीत हो चुके हैं। अब तो बात महीनों की नहीं बल्कि दिनों की रह गई है।

श्री बी०एस०द्वारा जारी

24.08.2026/1615/बी.एस./ए.जी.-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस सरकार के 3 वर्ष 8 महीने और कुछ दिन बीत गए हैं। अब तो महीनों की नहीं बल्कि दिनों की बात आ गई है। हिमाचल प्रदेश के एक सिविल अस्पताल में जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है अनुसार लगभग 482 दवाइयां दी जानी हैं।

मैं थुरल में अस्पताल की बिल्डिंग को देखने गया था। वहां फार्मासिस्ट आ गया और बी०एम०ओ० भी आ गई। मैंने कहा कि आप मुझे सही स्थिति बताइए। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उस अस्पताल में मलहम और पट्टी भी उपलब्ध नहीं है। वहां अजिथ्रोमाइसीन, अमॉक्सीसीलिन, विटामिन और सप्लीमेंट भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह बात केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप स्वयं वहां से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसके कारण वहां लोगों की जेबें हल्की हो रही हैं।

यह केवल सी०एस०सी० पी०एस०सी० और आर०एच० तक सीमित नहीं है। मेडिकल कॉलेज में तो धांधली मची हुई है। मैं प्रमाण के साथ यहां पर अपनी बात रखना चाहता हूं और प्रमाण के साथ अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब इस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो फिर इनका भला कौन कर सकता है?

हिमकेयर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अगर मरीजों को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो योजना को बंद कर दो। हिमकेयर योजना को हमने प्रदेश में वर्ष 2019 में शुरू किया था और 15 लाख लोगों के कार्ड बने। वह पैसा किसी मंत्री की अधिसूचना से नहीं जाता है। वह डिपार्टमेंट की अधिसूचना के अनुसार अस्पतालों में जाता है अगर

कार्डियोलॉजी में किसी का स्टेंट पड़ना है या यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी का ऑपरेशन होना है या गाइनेकोलॉजी में किसी का ऑपरेशन होना है तो उस रूप में पैकेज संबंधित अस्पताल को जाता था और वहां पर मरीज का इलाज होता था।

अगर उस पैकेज में पैसा कम होता था तो प्रशासनिक मंजूरी के बाद वहां पर इलाज करवाया जाता था लेकिन आज लोग वहां पर लाचार हैं। मैंने मंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि लगभग 350 करोड़ रुपये की अभी तक देनदारियां हैं और 85 करोड़ रुपये तो टांडा मेडिकल कॉलेज के हैं।

24.08.2026/1615/बी.एस./ए.जी.-2

हम आपकी और मुख्य मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। मैं उसका भी जिक्र करूंगा। उसमें आप कौन-सी बातें कर रहे हैं? और आयुष्मान का 19 करोड़ रुपये ओवर एंड अबव, जो भारत सरकार ने योजनाएं शुरू की थीं उन योजनाओं का भी हिमाचलियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। वह क्या कह रही है? वह नोटिफिकेशन जून के महीने में जारी की गई है। आपको पता नहीं इसकी जानकारी है या नहीं है लेकिन होनी चाहिए क्योंकि आप मंत्री हैं। उसमें यह कहा गया है कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स आप बाहर से नहीं ले सकते। अगर सर्जिकल इक्विपमेंट्स आप बाहर से नहीं ले सकते तो फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टेंट पड़ने हैं तो वेंडर कौन होगा?

वहां टांडा मेडिकल कॉलेज में भी घोटाला हो गया है। आपने उन लोगों और उन कंपनियों को वहां पर टेंडर दिए हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। किसके इशारे पर उनको इंपैनल्ड किया गया है? मेरे पास पूरी सूची है। वे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हिमकेयर में जिन लोगों की एंजियोग्राफी होनी है, वहां रेडियोथेरापी होनी है, वहां गाइनेकोलॉजी के ट्रीटमेंट होनी है और हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने के बाद जो कैंसर पैदा होता है उसके लिए जो इंजेक्शन आते हैं उसके कारण लोग अपने इलाज से वंचित हो रहे हैं।

आप ये नियम और अधिसूचनाएं कहां बैठकर जारी करते हैं? टांडा मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा अस्पताल है। मैंने पिछले दिनों आपकी खबर पढ़ी थी कि आप कहा कि 3,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में खर्च किए जाएंगे। यह सुनकर अच्छा लगा। आपने कहा कि वहां पर टेस्ला की 1.5 से 3 एम0आर0आई0 मशीनें लगाई जाएंगी। यह भी अच्छी बात है। आपने 83 करोड़ रुपये का प्रोक्योरमेंट कर लिया है। आप टांडा में, नेरचौक में और शिमला में ये एम0आर0आई0 मशीनें लगा रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

24.08.2026/1620/DT/AS-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी ...

लेकिन जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वह छह जिलों का कैटर करता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक छोटे बच्चे की फोटो वायरल हुआ, जो भरमौर से आया था। टांडा मेडिकल कॉलेज का जो ईएनटी डिपार्टमेंट है उसने इस बच्चे एक टेस्ट के लिए एक वर्ष के बाद की डेट दे दी और कहा कि आपका इलाज एक वर्ष के बाद होगा। इसके बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए और डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एंडोस्कोप जो है वह सवा वर्ष से खराब पड़ा हुआ है। मंत्री जी, आप कई बार वहां गए हैं। एक एंडोस्कोप कैमरा पोर्टेबल पचास हजार से 1 लाख रुपये तक मिल जाता है।

रोगी कल्याण समिति के संदर्भ में नोटिफिकेशन निकाली कि जो इसका पैसा है वह मेन हेड में जमा होगा। यह नोटिफिकेशन क्यों निकाली गई? पहले रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत रोगियों से पैसा अलग-अलग मदों में लेने के बाद वह पैसा हॉस्पिटल पर खर्च होता था लेकिन फिर से नोटिफिकेशन निकाली गई कि 70 प्रतिशत उसी मेडिकल कॉलेज में रहेगा। अगर आप ऑडिट करवाएंगे तो इसमें कोई गड़बड़ी जरूर निकलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एंडोस्कोप कैमरा वहां पर उपलब्ध करवाएं। आर0के0एस0 में पैसा होना चाहिए ताकि सेक्रेटरी हेल्थ के पास इसकी जानकारी आए तो वह आर0के0एस0 के तहत इसको खर्च करने की परमिशन दे दे।

मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वर्गीय रामचंद्र भाटिया जी कुशक्षेम पूछने गया था। वहां पर मुझे जानकारी मिली कि लैप्रोस्कोपिक सेट खराब पड़ा हुआ है, फिर ऑपरेशन कैसे होंगे? सभी लोग तो अपना इलाज रोबोट टेक्नीक से नहीं करवा सकते हैं। रोग तो लैप्रोस्कोपिक कैमरा के माध्यम से ही विजुअल होगा और पता चलेगा कि शरीर के अंदर क्या है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन बातों की तरफ गौर करें। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों और वहां पर आने वाले छह जिलों के मरीजों की बात कर रहा हूं जिनका इलाज वहां पर होता है।

24.08.2026/1620/DT/AS-2

आप कृपया करके इन सारी बातों की तरफ गौर करें। आप टेस्ला मशीन लगाइए किसने मना किया है? आप इसकी क्षमता 1.5 से बढ़ाकर 3 पर ले जाइए। आपने मशीनों के लिए 83 करोड़ रुपये की प्रोक्योरमेंट कर ली है और 85 करोड़ रुपये आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैं टांडा मेडिकल कॉलेज के बारे में यह जानकारी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, लगभग 300 दिनों से वहां न तो मधुमेह की दवाई है और न 170 दिनों से वहां कॉलेस्ट्रॉल की दवाई है। इस शरीर में अगर खून का रिसाव हो जाए तो उसके लिए फैक्टर-4 और फैक्टर-8 इंजेक्शन लगता है। वह इंजेक्शन भी अस्पतालों में नहीं है। मरीज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के इस प्रकार के कुछ बीमार लोग हैं। आपका विभाग उनकी क्या चिंता कर रहा है?

हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के भी मरीज हैं जिनको बार-बार खून चढ़ाना पड़ता है और जब ब्लड चढ़ाना पड़ता है तो आयरन शरीर में बढ़ जाता है। सरकारी सप्लाई में और सरकारी सप्लाई में डेसीरॉक्स और डेसीकॉक्स की 500 एम0जी0 की दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं? हिमाचल में ये गिने-चुने केस नहीं सैंकड़ों में होंगे मुझे एक बात और बड़ी विचित्र लगी वह यह है कि स्वास्थ्य विभाग का एक पोर्टल है एच0पी0डी0बी0डी0एम0एस0 पोर्टल, मुझे नहीं पता कि जो दवाईयों के वेंडर्ज हैं उनकी क्लवालीफिकेशन क्या रखी है?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.08.2026/1625/ए.एस.-एन.जी./1**श्री विपिन सिंह परमार..... जारी**

मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि अपनी सुविधा के अनुसार वेंडरों के नियम बनाए गए हैं। वहां पर न WHO का ध्यान रखा गया है और न ही AMP का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा आपने अन्य जो ग्राउंड्स हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखा है। जब मैंने कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा और ये दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि जो ऑर्डर हुए हैं, वे स्वतः ही रद्द हो जाते हैं और जो महंगी दवाइयां हैं, उनके लिए बजट ही नहीं है। इसके अलावा जिनको टेंडर मिला हुआ है, वे समय पर दवाइयों की आपूर्ति ही नहीं करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश का परिदृश्य है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश कहां और कैसे खुशहाल होगा? मेरा आग्रह है कि बीमारी के समय हिमाचलियों की जेब हल्की न हो और चम्बा की किसी बहन को अपने बेटे के इलाज के लिए बलियां गिरवी न रखनी पड़ें। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उनके लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए, इसका समाधान करें।

इसके अलावा 1454 दवाइयां ऐसी हैं और इन दवाइयों के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि इनका जो एग्रीमेंट हुआ है, वह लगभग 700 दवाइयों का हुआ है और शेष दवाइयों का तो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक्सपोर्ट दवाइयां मंगवाई जाएंगी, तो उनका क्या हुआ? एक्सपोर्ट दवाइयों का आधार यही है कि उनमें गुणवत्ता व स्टेबिलिटी होगी और लोगों के इलाज में प्योरिटी आएगी। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सरकार एक्सपोर्ट क्वालिटी की दवाई देगी। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह एक्सपोर्ट क्वालिटी की घोषणा सिर्फ घोषणाओं में ही है या वास्तव में इस पर काम हो रहा

24.08.2026/1625/ए.एस.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं पैरासिटामोल की बात करना चाहता हूँ। मंत्री जी, जरा इसकी भी जांच कीजिए। मुझे वर्ष 2017 और वर्ष 2022 का समय भी याद आ रहा है, जब पैरासिटामोल का एक पत्ता 50/- रुपये का मिलता था और आज वही पत्ता हिमाचल प्रदेश की सिविल सप्लाय की दुकानों पर 180/- रुपये से 300/- रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा सीरींज व ग्लव्स आदि के लिए भी जब किसी का ऑपरेशन होना होता है तो मरीज व उसके परिवार को कहा जाता है कि जाइए और बाहर से आप इंजेक्शन, सीरींज व ग्लव्स आदि ले आइए। हिमाचल प्रदेश में यह क्या हो रहा है? मंत्री जी, कृपया करके आप इस तरफ पूरा ध्यान दें और ध्यान ही नहीं, आप इसका निराकरण भी निकालें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ।

मंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई है। शायद मुख्य मंत्री जी ने अच्छा काम किया होगा। आपने उसमें कितनी परचेज की हैं, जरा उसकी भी जानकारी दीजिए।...(घण्टी)...सभापति महोदय, मैं तो आपके भी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ।

सभापति : आप पूरा बोलिए लेकिन आपको बोलते हुए 25 मिनट हो चुके हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : सर, मैं 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति : ठीक है।

श्री विपिन सिंह परमार : धन्यवाद जी।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने रोबोट खरीदे और टेस्ला मशीनें आप खरीद रहे हैं, जोकि MRI की मैग्नेटिक सिस्टम को मजबूत करने का आधार है। यह एक अच्छा

प्रयास हो सकता है। लेकिन यह 1.5 तक ही क्यों हो रहा है और इसमें 3 तक क्यों नहीं जा रहे हैं?

24.08.2026/1625/ए.एस.-एन.जी./3

आप पुरानी तकनीक को ही क्यों ढो रहे हैं? नई तकनीक में क्या दिक्कत हो रही है? जब आपने हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई है, तो मुझे यह जानकारी मिली है कि जो हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, नियमानुसार तो इसी कॉरपोरेशन को उसकी परचेजिंग करनी चाहिए थी। लेकिन ये बीच में खां-म-खां स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डवलपमेंट कॉरपोरेशन कहां से आ गया? मेरी जानकारी के अनुसार इसमें सिंगल टेंडर हुआ है और गुरुग्राम की एक कंपनी को यह काम दिया जा रहा है तथा एकमुश्त दिया जा रहा है। हमारा चम्बा जिला, एस्पिरेशनल जिला है।...(व्यवधान) सुन लीजिए, मैं आपके संदर्भ की ही बात कर रहा हूं। चम्बा एक एस्पिरेशनल जिला है। वहां पर भी और

श्रीमती पी०बी० द्वारा.....जारी

24.08.2026/1630/DC/PB/1

श्री विपिन सिंह परमार ...जारी

हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई थी। अभी मुख्य मंत्री जी वहां गए थे और उन्होंने वहां उद्घाटन किया। वहां पर फर्नीचर के संबंध में कहा गया कि इसे एकमुश्त नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा। सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि मुझे पिछले कल कुछ बड़े पत्रकारों के टेलीफोन आए और उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोनेरी स्टेंट को लेकर हुए घोटाले के संबंध में पूछा कि आपका क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यह है कि अगर कम कीमत वाले स्टेंट अधिक रेट पर लगाए गए हैं तो इसकी निष्पक्ष

जांच होनी चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि अगर वहां अयोग्य कंपनियों को इम्पैनल किया गया है तो उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। छानबीन के साथ-साथ वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। अखबारों में जो खबरें छपी थीं उनमें कहा गया था कि कोरोनेरी स्टेंट बहुत-सी अलमारियों में भी मिले हैं। इसकी छानबीन की जिम्मेवारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ को दी गई है। यदि मंत्री महोदय दवाइयों और स्टेंट की प्रोक्योरमेंट के संबंध में पूरी जानकारी एक व्हाइट पेपर के रूप में सदन के सभा पटल पर रखेंगे तो बहुत-सी जानकारियां स्पष्ट हो जाएंगी, मैं यह बात सदन में रखना चाहता हूं।

इस सरकार ने कौन-सी नई स्कीम दी? हमने 'सहारा योजना' दी थी। हमने कौन-सा बुरा काम किया था? सभापति महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी लकवे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अदरंग के मरीज होंगे। आठ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं होता, उनके मरीज होंगे। हमने उनके लिए 3,000 रुपये की व्यवस्था की थी और उस पर भी इस सरकार द्वारा चाबुक चला दिया गया। अब एक अधिसूचना आई है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उस काम को देखेगा। क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए सक्षम नहीं है? पूर्व की भाजपा सरकार के समय में इन मरीजों की पहले फील्ड से रिपोर्ट आती थी और बी०एम०ओ० तथा सी०एम०ओ० उस पर अपनी रिपोर्ट देते थे जिसके आधार पर मरीज को 3,000 रुपये मिलते थे।

24.08.2026/1630/DC/PB/2

सभापति महोदय, मैंने 'सहारा योजना' और 'हिमकेयर' का तो जिक्र कर दिया है। सरकार द्वारा 'मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष' पर भी ताला लटका दिया गया और 'मुख्य मंत्री निःशुल्क दवाई योजना' बंद कर दी गई। यह क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की सरकार काम कर रही है? मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि सदन में मंत्री जी और अधिकारी भी बैठे हैं, आप इन अस्पतालों पर विशेषकर जो हमारे रेफरल हॉस्पिटल, पी०एस०सी०, सी०एस०सी० और मेडिकल कॉलेज हैं, कृपया करके दया कीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश के जो जरूरतमंद लोग यहां इलाज करवाने के लिए जाते हैं, उनका इलाज हो सके।

सभापति महोदय, जब प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी तब हमने हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए काम किया और सुलाह विधान सभा क्षेत्र में भी काम किया। हमने तब पी0एस0सी0 अरला, खडोर और भट्टू दिए गए थे। कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही उन पर ताला लटका दिया।

Chairman: Hon'ble Member, please wind up.

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, कृपया मुझे पांच मिनट का और समय दीजिए।

इसी प्रकार पूर्व की भाजपा सरकार ने आयुर्वेदिक हैल्थ सेंटर बैरघट, मुंडी, ठंडोल और मोरला खोले थे। उन पर भी सरकार ने ताला लटका दिया। मंत्री महोदय, अस्पतालों में दवाइयों का प्रबंध कीजिए और जो संस्थान बंद हुए हैं उनकी शुरुआत कीजिए। आप आने वाले दिनों में 303,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए लगाएंगे, ऐसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन पहले आप पालमपुर, भवारना, थुरल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी रेडियोलॉजिस्ट भेजिए। हमारी सरकार ने सी0एस0सी0 बछुवाई दी थी, आप वहां डॉक्टर और भवन बनाने के लिए पैसे का प्रबंध तो कर दीजिए। हमें यह बहुत अच्छा लगा कि बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने घोषणा की है कि हम डिजिटल मैमोग्राफी लगाएंगे लेकिन आप यह डिजिटल मैमोग्राफी कब लगवाएंगे? अब तो सरकार के एक वर्ष और कुछ महीने ही शेष हैं। आपने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल रेडियोग्राफी होगी। आपने कहा कि कैथ लैब को मजबूत करेंगे और

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

24.08.2026/1635/डी0सी0/ए0पी0-01

नियम-130 के अंतर्गत चर्चा जारी

श्री विपिन सिंह परमार जारी

इको कार्डियोग्राफी भी अच्छे तरीके से करेंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि डॉक्टरों के पदों को भरिए, स्टाफ नर्स की नियुक्ति करवाइए

और हिमाचल प्रदेश में जो नर्सिंग स्टाफ का जाल बिछा है। सी०एच०ओ० जिसकी शुरुआत हमारी सरकार के समय हुई थी। आप सी०एच०ओ० की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते? रिक्रूटमेंट के लिए पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा इसके लिए पैसा हिमाचल प्रदेश के खजाने से लगेगा। आज हमारे बहुत से हेल्थ इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हुए हैं। मैं ये सारी बात इस सदन में इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारे सलोह में एक हेल्थ सब-सेंटर है। जहां पर कोई सी०एच०ओ० नहीं है। मार्ग, घराना, डगोरा, डरोह, गधियाड़ा, खड्डूल में कोई स्टाफ नहीं है और स्टाफ की कमी से सभी पद खाली हैं। भोडा और झयू हेल्थ सब-सेंटर में भी कोई स्टाफ नहीं है। यह बात मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। भवारना, कुरल, बछवाई और धीरा में भी डॉक्टरों की कमी है। ये मैं कहना चाहता हूं। ये सारी बात मैंने इस माननीय सदन में रख दी हैं। आपसे निवेदन है कि आप सहारा योजनाओं और हिमकेयर को शुरू करें और इसके साथ-साथ सी०एच०ओ० की नियुक्ति करें। इसके साथ ही सैकड़ों बीमारियों जिनका इलाज हिमकेयर में होता था। हम बच्चों का कोक्लियर इंप्लांट करवाते थे। हम हिमाचल प्रदेश में किडनी के रोगियों का ऑपरेशन करवाते थे और मेजर सर्जरी भी हिमकेयर कार्ड से करवाते थे। अब हिमकेयर कार्ड योजना को बदनाम मत करो। अगर किसी एक ने गलती की होगी तो उसकी छानबीन करो, नहीं तो हिमाचल प्रदेश के 15 लाख जरूरतमंद लोगों और हिमाचल प्रदेश में तीन लाख से अधिक लोगों जो इस योजना के अंतर्गत इलाज हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा अपमान होगा। दवाइयों की गुणवत्ता के लिए बड़ी-बरोटीवाला में करोड़ों रुपये की एक यूनिट लगाई गई है। वह सफेद हाथी की तरह है। 35 लाख रुपये महीने के उस आउटसोर्स वाले व्यक्ति को दिया जाता है। आपका कंडाघाट में जो टेस्टिंग लैब है वहां वर्ष 2023-24 की जिन

24.08.2026/1635/डी०सी०/ए०पी०-02

दवाइयों का गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है उनकी अभी तक सैंपलिंग तक नहीं हो पाई है। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों ऐसे लोगों की जेबों को भरा जा रहा है? ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में, सुलह विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है। हमने जिन स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्ष 2017-22 के बीच नया रूप देने का प्रयास किया था। आपसे

निवेदन है कि डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ, हिमकेयर योजना, सहारा योजना, मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना और सी0एच0ओ0 की जल्दी-से-जल्दी रिक्रूटमेंट करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस सरकार के पास उपलब्धियां नहीं हैं। अगर हैं तो आँकड़ों को साथ लेकर आएँ। आपकी सरकार में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे धरातल पर दिखाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि नहीं है। अधूरी घोषणाओं, पट्टिकाओं और राजनीतिक प्रपंचों का पुलिंदा है। यह मैं कहना चाहता हूं। मैंने अपनी बात इस सदन में रखी है और जो बात मैंने यहां रखी है, वह धरातल और आँकड़ों के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सारी बात मैंने आपके सामने रखी है। सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश की दशा को हम सुधारना चाहते हैं और उसके लिए अगर विजन है तो उसके लिए आइडियाज भी मजबूत चाहिए। आपने समय दिया, आपका आभार,

24.08.2026/1635/डी0सी0/ए0पी0-03

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी भाग लेंगे।

श्री नीरज नैय्यर : सभापति महोदय, नियम-130 के तहत आज जो यह चर्चा यहां रखी गई है उस चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करना चाहूंगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

24.08.2026/1640/AT/HK/01

श्री नीरज नैय्यर जारी

माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ सर्विसेज के अंदर हमारी इस सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पूर्व किसी भी सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में इतने कदम उठाए होंगे। मेरे विपक्ष के साथी शायद मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने विपक्ष के साथियों से यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हेल्थ के क्षेत्र में सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि पहले एक नर्स बारह पेशेंट्स को सर्व करती थी। इसे बदलकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक नर्स को छह

पेशेंट्स के लिए नियुक्त करने का नियम बनाया। इसकी वजह से हमारे मेडिकल कॉलेजों में भारी मात्रा में नर्सों की नियुक्ति हुई है।

इसी तर्ज पर मेडिकल कॉलेज और हेल्थ के क्षेत्र में ट्रांसफर्स की बहुत पुरानी समस्या चली आ रही थी। दो कैडर बनाए गए डी०एच०एस० और डी०एम०ई०। डीएमई के अंदर अब जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजों में हैं, उनके बीच में ही उनकी ट्रांसफर्स की जाएंगी। पहले पी०एच०सी० और सी०एच०सी० से मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर्स होती थीं। इसलिए सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत की है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छे नियम बनाए हैं। अभी मैं अपने विपक्ष के साथियों की स्पीचेज सुन रहा था। माननीय मुख्य मंत्री जी, का मिंजर मेले के दौरान चंबा का दौरा हुआ और उसके अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी, ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा का उद्घाटन किया। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 में पहली बार मैं विधायक चुनकर चंबा से इलेक्शन जीतकर आया। जब मैंने इलेक्शन जीती, तो पांच साल तक चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने विपक्ष की भूमिका बहुत जोरदार तरीके से निभाई। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि जब मैं विधायक बनकर आया, उससे पूर्व चंबा मेडिकल कॉलेज के पहले चरण का काम टोटली बंद पड़ा हुआ था। निर्माण कार्य आधा रुका हुआ था। मुझे याद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का आज भी मेरे व्हाट्सएप पर शायद वह मैसेज डेट के साथ लगा हुआ है कि पहले वर्ष के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी, ने चंबा मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए 175 करोड़ रुपये की राशि दी। उस राशि के मिलने के बाद हमारा चंबा मेडिकल कॉलेज का पहला फेज कंप्लीट हो सका।

24.08.2026/1640/AT/HK/02

मैं अपने विपक्ष के साथियों को यह चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसका काम इस वजह से रुक गया था कि जब इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था, तो उस समय केंद्र की एक स्कीम थी। 90-10 के रेश्यो में इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की कंप्लीशन होनी थी। लेकिन समय पर इसकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को स्कैप कर दिया। उसके बाद इस बिल्डिंग के फर्स्ट

फेज का काम अनकंप्लीट था। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 175 करोड़ रुपये दिए और पहला फेज कंप्लीट हुआ।

मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। इस साल के 31 मार्च के बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने चंबा के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सेकंड फेज के लिए 194 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उसके सेकंड फेज की जो 18 लाख रुपये की पहली बिलडिंग है

श्रीमती ऐ०वी० द्वारा जारी

24.08.2026/1645/av/hk/1

श्री नीरज नैय्यर-----जारी

उस सैकिण्ड फेज़ की 18 लाख रुपये की पहली बिलडिंग का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री ने सैकिण्ड फेज़ के अंतर्गत चम्बा मेडिकल कॉलेज को कैथ लैब दी है। वहां एक 40 बैडिड आई०सी०यू० अनाउंस किया गया है। मिन्जर मेले के दौरान जब वे चम्बा आए थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की है। मेरे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि मजबूरी में करनी पड़ी, मगर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूरी में करने की बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत तो मेरे हिसाब से पिछले वर्ष ही हो जानी थी परंतु टेंडर की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मैं तो इस संदर्भ में मेडिकल कॉरपोरेशन के साथ लगातार सम्पर्क में रहा। हमारा फर्नीचर और फिक्चर्स का टेंडर दो बार लगा और जो अभी लास्ट टाइम लगा था उसमें केवल एक ही कम्पनी ने हिस्सा लिया। लेकिन बाद में पता चला कि वह कम्पनी ब्लैक लिस्टिड पाई गई। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है कि कौन टेंडर डालता है या कौन नहीं डालता, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसके कारण हमारा फर्नीचर एण्ड फिक्चर्स का कार्य डेढ़ वर्ष डिले हो गया। अभी माननीय मुख्य मंत्री का जो चम्बा दौरा हुआ तो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे हमीरपुर के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हुई है उसी तर्ज पर चम्बा मेडिकल कॉलेज के लिए फर्नीचर एण्ड फिक्चर्स तथा इक्विपमेंट्स का

टेंडर दोबारा किया जाएगा और सैकिण्ड फेज़ में यदि केवल एक ही कम्पनी हिस्सा लेती है तो उसको नियमित तरीके से सैंक्शन कर दिया जाएगा।

मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री का जो चम्बा दौरा था तो यह पहली बार हुआ कि किसी मुख्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर वहां पर जितनी भी हमारी फेकेल्टीज हैं, वह चाहे एम0बी0बी0एस0 के स्टूडेंट्स हैं या क्लीनिकल/नॉन क्लीनिकल स्टाफ था, उन सबके साथ बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। हमारे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा भी मुख्य मंत्री जी के साथ थे और एक मैराथन मीटिंग यानी वह मीटिंग अढ़ाई-तीन घण्टे चली। वहां पर डॉक्टर ने माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष अपनी डिमाण्ड रखी। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री ने चम्बा मेडिकल कॉलेज के लिए 3 Tesla (3T) MRI Machine,

24.08.2026/1645/av/hk/2

which is highly sophisticated, मौके पर सैंक्शन की है। इसके अतिरिक्त एक 256-slice CT Scan Machine, which is again top-of-the-line equipment, बैस्ट मानी जाती है। मुझे लगता है कि हमारे एम्ज होस्पिटल, बिलासपुर में भी ये ही मशीन्ज काम कर रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने चम्बा मेडिकल कॉलेज के लिए ये मशीन्ज स्वीकृत की हैं। उन्होंने पांच डायलिसिस टैक्निशियन्ज की मौके पर अनाउंसमेंट की है। अल्ट्रासाउंड फेसिलिटी की मौके पर अनाउंसमेंट की गई। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हाई एण्ड वेंटीलेटर्स की अनाउंसमेंट भी की गई। एक बबल सी0पी0ए0पी0 मशीन जोकि न्यू बॉर्न बेबीज यानी पीडियाट्रिक्स से संबंधित मशीन की अनाउंसमेंट भी की गई। वहां पर प्रीसिपल ने 40 नर्सिज की डिमाण्ड की जोकि मुख्य मंत्री जी द्वारा मौके पर पूरी की गई। मुझे बहुत खुशी है कि 40 में से 32 नर्सिज पिछले कल तक चम्बा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं इसीलिए मुख्य मंत्री जी का खासतौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने चम्बा जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

टी सी द्वारा जारी

24.08.2026/1650/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1**श्री नीरज नैय्यर .. जारी**

सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के साथी अक्सर कटाक्ष करते हैं और विपक्ष का काम ही कटाक्ष करना होता है। मैं इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि डेढ़ वर्ष पूर्व हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय श्री जे. पी. नड्डा जी चम्बा के दौरे पर आए थे और उन्होंने 'दिशा' की एक मीटिंग की अध्यक्षता की थी। उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित था और अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे। हमने मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं थीं उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री जे. पी. नड्डा जी के समक्ष रखा था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप पीपीटी के माध्यम से डिप्टी कमिशनर के जरिए अपनी मांग मुझे भेज दें और केंद्र सरकार के समक्ष आप जो भी आवश्यक मांग रखेंगे उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये (विपक्ष) हमें बार-बार कोसते हैं और हर जगह जाकर कोसते हैं। लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान के हैल्थ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश से हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को उनके हैल्थ मिनिस्टर रहते क्या मिला? क्या हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल इनसेंटिव मिला?

सभापति महोदय, मैं अपने चम्बा डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहता हूँ। हमारे भाजपा के विधायक भी उस मीटिंग में हमारे साथ थे और पीपीटी के माध्यम से डिप्टी कमिशनर के जरिए दो महीने के भीतर हमने पूरी डिटेल् तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दी थी। लेकिन आज तक वहां से हमें कुछ नहीं मिला। जैसे प्रधानमंत्री जी का 1,500 करोड़ रुपये का आश्वासन था वह भी नहीं मिला। उसी तर्ज पर चम्बा मेडिकल कॉलेज के लिए भी केवल बातों के सिवाय धरातल पर केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं मिला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री के संज्ञान में कुछ बातें अवश्य लाना चाहता हूँ। हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी यहां सदन में बैठे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी यहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात हो रही

थी। मुझे नहीं पता कि हमारे विपक्ष के साथी क्या कहते हैं लेकिन मैं आपको यहां डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सी०एच०सी० साहू को आदर्श हॉस्पिटल घोषित किया

24.08.2026/1650/टी०सी०वी०/वाई०के०/-2

गया है जिसमें आपके समय में ताले लगे हुए थे। उस समय सी०एच०सी०, साहू में एक भी डॉक्टर नहीं था। आज की तारीख में मेरी साहू सी०एच०सी० में छह डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं और छह नर्सिज हैं। They are serving out there.

सभापति महोदय, अभी हाल ही में पिछले सप्ताह एक एक्स-रे मशीन और एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में आ गई है। एक रेडियोग्राफर की पोस्टिंग भी मैंने मुख्य मंत्री के माध्यम से करवाई है। आपको पता है कि चम्बा दूर-दराज का क्षेत्र है। चम्बा में सर्विस करने के लिए कोई इच्छुक नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय के समक्ष यह मांग रखना चाहता हूं कि यदि चम्बा मेडिकल कॉलेज को सफल बनाना है तो हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की आवश्यकता है। चम्बा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और हिंदुस्तान के 30 सबसे बैकवर्ड जिलों में हमारा चम्बा जिला भी शामिल है। यह हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है लेकिन यदि हमें चम्बा को बेहतर बनाना है और यदि हम चम्बा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स लाना चाहते हैं तो मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और मुख्य मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि उन्हें कुछ-न-कुछ एक्स्ट्रा प्रलोभन देना पड़ेगा, आखिर कोई डॉक्टर चम्बा क्यों आएगा? पी०जी० डॉक्टर

एन०एस० द्वारा जारी ...

24-8-2026/1655/NS-YK/1

श्री नीरज नैय्यर-----जारी

या उसके ऊपर जिसकी क्वालिफिकेशन है उसे हमीरपुर, टांडा अथवा शिमला में नौकरी मिल रही है तो वह चम्बा आना क्यों पसंद करेगा? उसके लिए चम्बा हमेशा लास्ट ऑप्शन

रहेगी। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि चम्बा डिस्ट्रिक्ट को एक भिन्न कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए। तभी मेडिकल कॉलेज के अंदर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को मेडिकल कॉलेज, चम्बा की एक सबसे बड़ी और विकट समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। चम्बा का हमारा पुराना रीजनल हॉस्पिटल 300 बैडिड है और मेडिकल कॉलेज, चम्बा में फेज-1 के अंतर्गत 200 बैडिड हॉस्पिटल बना है। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर हम एन0एम0सी0 नॉर्म्स के हिसाब से 500 बैडिड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अभी मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, चम्बा को पूरी तरह नीचे शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है? मुझे पता है कि आप इसका जवाब देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज ही मेडिकल कॉलेज, चम्बा को पूरी तरह नीचे शिफ्ट कर दिया जाए तो समस्या का निवारण नहीं होगा बल्कि समस्या और भी भयंकर रूप धारण कर लेगी। इसका क्या कारण है? Because we are working with 30 per cent faculty and right now with 30 per cent faculty, we are just working in one hospital. अब जब यह 200 बैडिड हॉस्पिटल नीचे शुरू होगा तो हमारे पास पहले से ही 300 बैडिड हॉस्पिटल ऊपर चल रहा है जिसके अंदर इस समय एक-एक बैड पर दो-दो और तीन-तीन मरीज शरण ले रहे हैं। यदि हम उसे 200 बैडिड कर देते हैं तो हमारी समस्या और अधिक विकराल रूप ले लेगी। इस समस्या का समाधान यही है कि सैकेंड फेज के लिए 194 करोड़ रुपये दिए गए हैं तो उस पैसे से पहले नीचे 300 बैडिड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तभी हम इस मेडिकल कॉलेज को प्रॉपरली चला सकेंगे। इसकी जो प्लानिंग है, उसमें हमसे पूर्व सरकारें आई और सरकारें गईं तो उस समय मुझे लगता है कि एन0एम0सी0 नॉर्म्स को पूरा करने के लिए 300 बैडिड हॉस्पिटल ऊपर और 200 बैडिड हॉस्पिटल नीचे कर दिया गया। दोनों अस्पतालों के बीच की दूरी आठ किलोमीटर है और हम 30 प्रतिशत फैकल्टी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए यह बड़ी विकराल समस्या है जिसका हमें आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। चाहे

24-8-2026/1655/NS-YK/2

सरकार कोई भी हो लेकिन यह समस्या किसी एक सरकार की बनाई हुई नहीं है। इस पर बहुत गहनता से विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अभी जब माननीय मुख्य मंत्री जी चम्बा आए थे तो चम्बा के विधायक जानते हैं कि यदि पक्का टाला-बालू रोड़ को प्रॉपर तरीके से डवलप कर दिया जाए तो मेडिकल कॉलेज के बीच की दूरी आठ किलोमीटर से घटकर चार किलोमीटर रह जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने उस सड़क के रख-रखाव और बेहतरी के लिए मौके पर ही 1.25 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं ताकि यह दूरी कम हो सके। हालांकि, चार किलोमीटर की दूरी भी मुझे बहुत अधिक लगती है लेकिन कुछ-न-कुछ दूरी कम होने से हमें आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, इसी तर्ज पर मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी जो आउटसोर्स पर सी0एच0ओज0 और नर्सिज की भर्ती हुई है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर भी काफी पी0एच0सीज0 और ऐसे इंस्टिच्यूशन्ज हैं जो खाली पड़े हैं। मैं अपने विपक्ष के साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप इसे मानें या न मानें लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, वह सही है। आप चम्बा आते रहते हैं और हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। एक बार चम्बा आकर स्वयं देखें कि मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

24.08.2026/1700/RKS/AG-1

श्री नीरज नैय्यर...जारी

मैं समझता हूं कि मैंने आपके अनुपात में 20 मिनट से अधिक लंबा वक्तव्य नहीं दिया है लेकिन फिर भी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सच्चाई सुनने में थोड़ी कड़वी अवश्य लगती है परंतु उसे सुनना भी आवश्यक है। अगर आप सरकार की कमियां गिनाने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी सूची कभी पूरी नहीं होगी लेकिन आपको सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। विपक्ष का दायित्व है कि वह अपनी भूमिका निभाएं और आपको वह निभानी भी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन जो बातें सराहनीय हैं, उन्हें स्वीकार करना भी आवश्यक है।

सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार इस माननीय सदन के समक्ष रखने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

24.08.2026/1700/RKS/AG-2

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ० जनक राज जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले पूर्व में सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा-

**"टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं,
जिल्ले-इलाही के करम देख रहे हैं।
सत्ता का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी,
तुम नहीं देख पाओगे जो हम देख रहे हैं।"**

सभापति महोदय, यह हिमाचल प्रदेश का आज का 'द ट्रिब्यून' समाचार पत्र है। इसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 'Drug quality under scanner in state as 82 samples fail tests'. यह स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत है। इसके अतिरिक्त समाचार में यह भी प्रकाशित हुआ है कि आई०जी०एम०सी० में तकनीशियनों की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा जेनरिक स्टोर में 24 निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। यह खबर हिमाचल दस्तक में छपी है। यह प्रदेश की राजधानी की स्थिति है जहां वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है। 'डी०डी०यू० अस्पताल में आपात स्थिति के दौरान एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है'। यह स्वास्थ्य विभाग की वास्तविकता है। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना कोई कृपा नहीं है बल्कि यह सरकार की नैतिक तथा संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं जिस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है और भारत के संविधान द्वारा भी उसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार आज बड़े-बड़े दावे कर रही है परंतु मरीज छोटे-छोटे उपचार के लिए दर-दर भटकने को विवश हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल महंगी मशीनें खरीद लेना ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का प्रमाण है? आज सुबह किसी ने मुझे सोशल मीडिया पर एक

लिक भेजा है जिसमें यह दर्शाया गया है कि मुख्य मंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाने वाली सिरिंजें नहीं मिल रही हैं। 'मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान योजना' तथा फ्री जेनरिक स्टोर्स में आमतौर पर उपयोग होने वाली वस्तुएं, जैसे ग्लव्स, सिरिंज और रुई तक उपलब्ध नहीं हैं। यह केवल मेरे चुनाव क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि माननीय

24.08.2026/1700/RKS/AG-3

मुख्य मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र की स्थिति है। सभापति महोदय, हुक्मरानों ने हमेशा स्वयं को महान और दूसरों को कमजोर और चोर बताने का प्रयास किया है। कुछ ऐसा ही कार्य यह सरकार भी कर रही है। इस सरकार ने 'हिमकेयर योजना' को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कभी सदन के भीतर और कभी समाचार पत्रों के माध्यम से यह बयान दिया गया कि पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हैं। सरकार के ही अधिकारियों ने आर0टी0आई0 के अंतर्गत दी गई सूचना में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई ऑपरेशन न आई0जी0एम0सी0 में हुआ और न ही टांडा मेडिकल कॉलेज में हुआ है फिर क्यों बार-बार इस प्रकार का झूठ परोसकर जनता को गुमराह किया जा रहा है? कल-परसों यहां यह बात कही गई कि आज़ादी से पहले भारत में सुई भी नहीं बनती थी। भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और महानता बताने के लिए कांग्रेस पार्टी से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

24.08.2026/1705/बी.एस./ए.जी.-1

डॉ0 जनक राज जारी...

इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर भारत में आजादी से पहले सुई भी नहीं बनती थी तो मोहम्मद गजनी, गौरी और अंग्रेज क्या आपकी गारंटी योजना का गोबर चुराने आए थे? वे यहां क्या करने आए थे?

हमारे यहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जिस देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटा उस देश के बारे में अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह की बातें कहना अपने आप में देश का सम्मान करने वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा चुनाव क्षेत्र अत्यंत दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र है जहां एक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। जब वहां स्वास्थ्य केंद्र पर ताला मिलता है या वहां डॉक्टर नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को इलाज के लिए और कई घंटे ट्रैवल करना है। मात्र मशीनें खरीदने से समाधान नहीं होगा। भरमौर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग का 90 प्रतिशत से अधिक निर्माण पिछले साढ़े तीन वर्षों में हो चुका है। वहां डॉक्टरों और काम करने वाले कर्मचारियों के हिसाब से जो जरूरी सुझाव दिए गए थे उनका पालन तक साढ़े तीन वर्ष और पौने चार वर्ष में यह सरकार नहीं कर पाई है। वह बिल्डिंग बनकर खड़ी है। उसके शीशे टूट रहे हैं और पेंट उखड़ रहा है परंतु वह जनता के उपयोग में नहीं लाई जा रही है।

सभापति महोदय, सी0एस0सी0 होली में अधिकतर पद खाली हैं। विडंबना तो तब हो जाती है जब मेरे चुनाव क्षेत्र में सी0एस0सी0 चूड़ी को सी0एस0सी0 का दर्जा दिया गया है परंतु डॉक्टर का स्वीकृत पद केवल एक है। हमने पत्राचार के माध्यम से भी स्वास्थ्य विभाग को लिखा कि इस हॉस्पिटल की सैक्शनड स्ट्रेंथ को सी0एस0सी0 के दर्जे के हिसाब से रिवाइज किया जाए। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। एन0एच0पी0सी0 ने पैसा देकर रखा है ताकि वहां उस बिल्डिंग को बनाया जा सके परंतु पौने चार वर्ष में उस बिल्डिंग पर कोई समाधान और कोई काम नहीं हुआ है।

24.08.2026/1705/बी.एस./ए.जी.-2

पांगी की अगर बात करूं तो पांगी में पी0एस0सी0 साच, पिछले कई वर्षों से बिल्डिंग बनकर खड़ी है और उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। रास्ते के निर्माण को लेकर

वहां कोई मैटर है। जो छोटी सी चीज है और वह केवल सौ मीटर का रास्ता है परंतु उसका समाधान तक नहीं हो पा रहा है।

शिमला की परिस्थितियों और धर्मशाला की परिस्थितियों से मेरे चुनाव क्षेत्र की परिस्थितियों की तुलना नहीं हो सकती। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में न कोई आदर्श स्वास्थ्य संस्थान काम कर रहा है न लोगों का वहां अल्ट्रासाउंड हो रहा है और न ही अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में जन्मजात विसंगतियों के साथ लोग पैदा हो रहे हैं। पांगी में अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो उसको अपना अल्ट्रासाउंड करवाने और डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है या कुल्लू आना पड़ता है। यह है व्यवस्था परिवर्तन।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की समस्या के साथ मैं अपनी एक भावनात्मक बात भी कहना चाहूंगा। 6 जुलाई की बात है। मैं उस वक्त भरमौर में नहीं था बल्कि दिल्ली में था। रात में 10-10.15 बजे मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ।

मैं खुद एक चिकित्सक हूं और न्यूरोसर्जन हूं। वर्तमान में विधान सभा का प्रतिनिधि हूं और विधायक हूं। मुझे अपने पिताजी को जरूरी इलाज उपलब्ध करवाने के लिए 6 से अधिक घंटे लग गए। जो इमीडियेटली छह घंटे के अंदर इंजेक्शन लगता है टेनेक्टिप्लेज वह नहीं लग पाया। इसकी वजह से आज मेरे पिताजी पैरालाइज्ड सिचुएशन में हैं। वे सही से बात नहीं कर सकते और सही से चल नहीं सकते। मैं किसको दोषी ठहराऊं? मुझे शर्म और घिन्न आती है कि मैं एक न्यूरोसर्जन होते हुए भी अपने बाप का इलाज नहीं कर सका। मैं औरों की क्या मदद करूंगा? और फिर हमारे ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है कि वे तो सिर्फ पर्चियां देखते हैं और कुछ नहीं करते। हमें आपने करने लायक छोड़ा ही नहीं है। आपने तो विधायक निधि भी बंद करके रखी है। हमारे बोलने पर एक डंडा तक नहीं लग सकता और हम क्या करेंगे?

24.08.2026/1705/बी.एस./ए.जी.-3

अध्यक्ष महोदय, आज भी मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रतिदिन सैंकड़ों लोग प्रदेश भर से मुझे फोन करते हैं। लोग व्हाट्सऐप पर कॉन्टैक्ट करते हैं और मिलने के लिए मेरे घर पर भी आ जाते हैं। अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है फिर भी लोग मेरे रेजिडेंस पर मिलने के लिए आ जाते हैं। विधान सभा में काम करने वाले लोग भी कई बार मुझसे ओपीनियन लेते हैं। तो क्या उन सभी मामलों में भी मेरे ऊपर एफ0आई0आर0 कर दी जाएगी? एफ0आई0आर0 करेंगे कि मरीजों की जान को खतरे में डाला लेकिन किस मरीज की जान को खतरे में डाला गया?

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

24.08.2026/1710/DT/AS-1

डॉ० जनक राज जारी...

हमें यह भी मालूम है कि हिमकेयर की जांच केवल राजनीतिक प्रतिशोध से की जा रही है। हमें यह भी मालूम है कि आने वाले समय में हमारे दल विशेष के अन्य नेताओं पर भी एफ0आई0आर0 हो सकती है और हमें जेल में भी डाला जा सकता है। हम इसके लिए भी तैयार हैं- हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। हमने तो पहले भी इस सदन में कहा है और आज भी कह रहे हैं, और हम सदन के बाहर भी कह रहे हैं कि विजिलेंस से ही क्यों जांच करवा रहे हैं? हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से जांच कराइए। क्यों? क्योंकि विजिलेंस आपकी है और पुलिस भी आपकी है। हम किसी का नाम लेकर नहीं बोल सकते लेकिन वे लोग हमें बोलते हैं कि जनाब हम क्या करें हमारे ऊपर बहुत दबाव है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा—

चलकर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,

तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है॥
व्यवस्था परिवर्तन के दौर में फरियादी जाएं तो कहां जाएं,
जहां कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है॥

सभापति महोदय, पिछले दो दिन सदन की शुरुआत को देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं सरकारी सेवा से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आया हूं। मन में यह ख्याल लेकर आया कि मैं अपने क्षेत्र की और अपने लोगों की जो पीड़ा है उसके समाधान के लिए काम करूंगा। हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हेतु प्रस्ताव दिए थे और कुछ सवाल भी दिए थे। जिस तरीके से दो दिन सदन की कार्यवाही हुई उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं नया आया हूं और पहली बार चुनकर आया हूं। मैं सत्ता पक्ष से और विपक्ष के सदस्यों से बहुत कुछ सीख रहा हूं। लेकिन सत्ता पक्ष से एक बात मैंने जरूर सीखी है क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नेताओं को अपनी चमड़ी मोटी यानी गैंडे की तरह करनी चाहिए ताकि हमें किसी भी बात का असर न

24.08.2026/1710/DT/AS-2

हो। मैं भी यही कहूंगा कि यह बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि राजनीति में शायद न्यूटन का थर्ड लॉ काम ही नहीं करता "All actions have equal and opposite reaction but sometime all your actions have either no reaction or delayed and heavy reaction". इस तरीके की भी राजनीति मैंने सीखी है। दूसरा, सफेद झूठ कैसे बोला जाए यह भी सीखा है। यहां पर राष्ट्रगान हुआ और सबने राष्ट्रगान का सम्मान किया। दो दिन सदन में व्यवधान रहा।

सभापति : नहीं-नहीं, आप स्वास्थ्य पर बोलिए। आप फिर से इस मुद्दे पर आ गए।

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, बोलेंगे- बोलेंगे स्वास्थ्य पर भी बोलेंगे। राष्ट्रगान का किसने अपमान किया, आप नाम बताएं? हमारे नेता भी कह चुके हैं कि जिसने भी अपमान किया है उस पर हमारे राजनीतिक दल की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी।

सभापति : माननीय सदस्य यह बात अब खत्म हो गई है, आप स्वास्थ्य पर ही बोलिए।

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, लेकिन आप लोगों ने तो पूरे प्रदेश भर में हमारे प्रति धरने-प्रदर्शन किए कि हमने राष्ट्रगान का अपमान किया। हमारी छोटी सी मांग थी कि वीडियो जारी कर दो ताकि साफ पता लगे कि किसने अपमान किया और किसने नहीं किया? सत्ता पक्ष चर्चा से तो भाग सकता है लेकिन वास्तविकता से नहीं भाग सकता। वास्तविकता क्या है यह आज की तीन अखबारें बता रही हैं।

सभापति महोदय, फ्री ड्रग्स केंद्र सरकार के द्वारा वित्तपोषित एक स्कीम है जिसमें आवश्यक ड्रग्स लिस्ट है। आवश्यक ड्रग्स लिस्ट में 571 के लगभग दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, कितनी दवाइयां उपलब्ध हैं? मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इसका उल्लेख जरूर करें कि कितनी दवाइयां उपलब्ध हैं और अगर उपलब्ध नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं।

24.08.2026/1710/DT/AS-3

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी बुरी परिस्थितियां हैं कि नियमित टिकाकरण करवाने के लिए महिलाओं और बच्चों को घंटों तक कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। स्वास्थ्य संस्थान खाली पड़े हैं। अगर मैं ऊलांसा की बात करूं, चाहे मैं मांहदा की बात करूं, शांह पंचायत की बात करूं, पांगी हमारा हिस्सा ही नहीं है...

श्री एन०जी० द्वारा जारी...

24.08.2026/1715/ए.एस.-एन.जी./1

डॉ० जनक राज..... जारी

हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वह क्यों दायर की, क्योंकि मुझे सदन में आश्वासन दिया गया था कि 10

दिनों के भीतर आपके चिकित्सकों के खाली पद भर दिए जाएंगे। 10 दिन तो छोड़िए, पांच महीने तक कोई पद नहीं भरा गया। जब हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी आवाज़ पहुंचाई, तब माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए और यह सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति का परिणाम है तथा इससे बेहतर उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता कि ऑर्डर तो कर दिए और उसमें यह भी लिखा कि 'In compliance to the CWP Hon'ble High Court' परंतु अगले दिन वे ऑर्डर मोडिफाई कर दिए गए। क्यों? क्या पांगी व भरमौर हिमाचल का हिस्सा नहीं हैं? क्या पांगी व भरमौर में केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग रहते हैं? क्या वहां पर कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं हैं? विशेष तौर पर सरकार मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ यह तुष्टिकरण और भेदभाव कर रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृपया करके अंतिम वर्ष में ही सही लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जाए।

सभापति महोदय, हम सबको तथा अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारियों को भी यह समझना होगा कि शिमला सचिवालय में बैठकर बनाई गई नीतियां पांगी व भरमौर की वास्तविकता पर लागू नहीं हो सकतीं। हमें संविधान में भी विशेष दर्जा दिया गया है। आप यहां पर पैरामीटर तय करते हैं कि 10,000 की पॉपुलेशन पर पी0एच0सी0 होनी चाहिए। पांगी की परिस्थितियां अलग हैं। वहां पर एक पी0एच0सी0 तक पहुंचने के लिए लोगों को किलोमीटरों तक पैदल चलना पड़ता है। हालात तो तब ज्यादा खराब हो जाते हैं जब बरसात में रास्ते बंद होते हैं और सर्दियों में बर्फ पड़ती है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं कि गर्भवती महिलाओं, चोटिल लोगों, छोटे व बीमार बच्चों और बुजुर्गों को पालकी में बिठाकर पूरा-का-पूरा गांव उसे उठाकर चल रहा होता है।

24.08.2026/1715/ए.एस.-एन.जी./2

पूर्व में वहां पर हमारी सरकार ने पी0एच0सी0 सुराल खोली थी और वर्तमान सरकार ने उसे बंद कर दिया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक अति दुर्गम पंचायत में गया था, जोकि बड़ा भंगाल के रास्ते में पड़ती है। वहां से बड़ा भंगाल पहुंचने में तीन घंटे लगते हैं। अभी उस गांव में लगभग 150 लोग रहते हैं। उन्हें जुखाम-बुखार की दवाई लेने के लिए भी पहले पांच घंटे पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद दो घंटे गाड़ी में बैठकर चलना पड़ता है। क्योंकि वहां पर बस नहीं चलती और सभी के पास अपनी गाड़ियां भी नहीं हैं इसलिए लोगों को टैक्सी में जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत गरौंडा के लोगों को टैक्सियों में जाना पड़ता है। वे गरीब लोग हैं, कमाई कोई नहीं है और टैक्सी का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं हैं। वहां के लोग जब अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में दवाइयां भी नहीं मिलती हैं। उसके बाद उन्हें होली से चम्बा रेफर कर दिया जाता है और चम्बा से टाण्डा रेफर कर दिया जाता है। यह समस्या मेरे अकेले की समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि यह चुने हुए सभी जन प्रतिनिधियों की समस्या है। सभी विधायकों को दो फोन आते ही होंगे। ये (सत्तापक्ष के माननीय विधायकों को कहा) नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है और ये अपना दर्द बयान भी नहीं कर सकते। मुझे सत्ताधारी दल के लोगों पर दया भी आती है कि बेचारे पीठ पीछे तो हमें बहुत कुछ बताते हैं लेकिन सामने कुछ नहीं बोल पाते। मुझे इसका दुःख भी होता है। ऐसा कौन-सा जन प्रतिनिधि है जिसे एम्बुलेंस के लिए फोन नहीं आता कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है? हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक में और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी कहा था कि पांगी, सिरमौर, किन्नौर व भरमौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया जाए। अगर एक एम्बुलेंस रहेगी और यदि वह किसी आदमी को लेकर चली गई तो उसे चम्बा से टांडा पहुंचने में छह घंटे तथा टांडा से चम्बा वापिस पहुंचने में छह घंटे लगेंगे। इस प्रकार से 12 घंटे तक किसी दूसरे व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल सकती।

24.08.2026/1715/ए.एस.-एन.जी./3

मेरा आग्रह है कि वहां पर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएं। यदि सरकार के पास संसाधन नहीं हैं तो एन0एच0पी0सी0, जे0एस0डब्ल्यू0, जी0एम0आर0 जैसे इतने बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं तो उनको बोलिए न, उनको बोलिए कि एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए एक-एक एम्बुलेंस डोनेट करें। वे लोग इसे देने के लिए सी0एस0आर0 के तहत बाध्य भी हैं।

सभापति महोदय, दूसरा फोन सभी जन प्रतिनिधियों को यह आता होगा कि मेरा कार्ड तो बना हुआ है लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना कोई राजनीतिक लाभ के लिए बनाई गई योजना नहीं थी। उसमें कोई दल देखकर या धर्म देखकर या व्यक्ति की जाति देखकर इलाज नहीं किया जाता था। हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से इलाज दिया जाता था। मैं आज भी यह कहता हूं कि सरकारी अस्पताल में केवल और केवल गरीब व्यक्ति इलाज करवाने आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं वहां जाऊंगा, हिमकेयर कार्ड मेरा बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड मेरा बना हुआ है, तो मेरा निःशुल्क इलाज होगा।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

24.08.2026/1720/DC/PB/1

डॉ० जनक राज जारी...

पांगी, भरमौर और चंबा की बात करने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री भी यहां बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आई0जी0एम0सी0, शिमला में हार्ट की सर्जरी कब से बंद है और क्यों बंद है? इसका क्या कारण है? कोविलियर इंप्लांट और रीनल ट्रांसप्लांट कब से बंद है और क्यों बंद है? केवल मशीनें खरीदने से समाधान नहीं होगा क्योंकि मशीन ने इलाज नहीं करना है। आपको वहां मैनपावर अपॉइंट करनी होगी। यह सरकार की नीतिगत विफलता है कि सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट देने के बावजूद

भी डॉक्टर जॉइन नहीं कर रहे हैं। कमीशन में आप एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं लेकिन nobody is applying for these posts. कोई क्यों आएगा?

मैं आज भी सरकार से आग्रह करता हूँ कि आपके स्वास्थ्य संबंधी जो सलाहकार हैं वे आपको बहुत गलत सलाह दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि स्वास्थ्य के विषय में मैं कभी भी राजनीतिक चश्मा पहनकर बात नहीं करूंगा और न ही राजनीतिक लाभ के लिए बात करूंगा। इस वास्तविकता को आप लोग भी जान रहे हैं और हिमाचल के सभी लोग जान रहे हैं कि आज क्या हालत है?

हम चंबा में निःशुल्क: टेस्ला एम0आर0आई0 मशीन तो लगा देंगे in fact चंबा में एन0एच0पी0सी0 के द्वारा पहले से ही एम0आर0आई0 लगा हुआ है लेकिन उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने दिशा की बैठक में भी डी0सी0 महोदय से कहा था कि एम0आर0आई0 डॉक्टर नहीं करता, वह रेडियोग्राफर करता है इसलिए सरकार वहां रेडियोग्राफर अपॉइंट करे। वह एम0आर0आई0 करेगा और रिपोर्टिंग आप ऑनलाइन कहीं से भी करवा सकते हैं। आज हिमाचल में KRASNNA Diagnostics काम कर रहा है। वे बॉम्बे से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाते हैं। क्या हम हिमाचल में ऐसा मैकेनिज्म डवलप नहीं कर सकते? आप मशीनें तो लगावा रहे हो और नई खरीद भी रहे हो लेकिन मशीन खरीदने के पीछे मंशा क्या है, यह आम जनता की चर्चा से सब पता लग रहा है। जनता क्या बोल रही है कि मशीनें क्यों खरीदी जा रही हैं? वहां रेडियोग्राफर की नियुक्ति करवाइए।

24.08.2026/1720/DC/PB/2

मैं सरकार को एक सुझाव भी देना चाहूंगा। हालांकि पहले भी हमने बहुत बार सुझाव दिए हैं और हमारे सुझावों पर कोई असर होता नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि फिर इसका क्रेडिट इन्हें न मिल जाए। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि प्रीमियर इंस्टिट्यूट्स इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज should work 24 hours in same pace and in same manner. अगर हिमाचल की पेंडेंसी खत्म करनी है

तो वहां दिन-रात काम होना चाहिए। एक बात यहां पर बार-बार कही गई है कि निजी अस्पतालों को हिमकेयर में एम्पैनल किया गया। शायद स्वास्थ्य मंत्री जी इसे नोट कर रहे हैं, पता नहीं जवाब देंगे या नहीं देंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जवाब चाहूंगा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि सरकारी अस्पतालों पर हिमकेयर योजना में प्राइवेट अस्पतालों को डी-एम्पैनल करने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग सूची कितनी बढ़ गई है? अगर उसी दर पर और उसी खर्च में प्राइवेट अस्पताल में इलाज उपलब्ध है तथा जो सुविधा जिस अस्पताल में है तो उसे बंद करने की क्या समस्या थी? अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है तो पिछले साढ़े तीन सालों से आप सत्ता में हैं, आप जांच करवाइए। बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा और योजना को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। हमें यह भी मालूम है कि आने वाले समय में इस योजना को या तो नाम बदल दिया जाएगा या इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे जिस प्रकार आपने सहारा योजना में किया है।

आज हम जब सदन में प्रवेश कर रहे थे तो एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर यहां आया हुआ था। वह हमारे नेता प्रतिपक्ष से भी मिला। उसने कहा कि मेरी सहारा पेंशन बंद हो गई है। वह व्यक्ति कमर के नीचे पैरालाइज्ड है। केवल उसकी बाजूएं चल सकती हैं, पैर नहीं चलते हैं और उसे मल-मूत्र विसर्जन का भी पता नहीं लगता। उसकी आपने सहारा पेंशन बंद कर दी। आए दिन वृद्ध, दिव्यांग, सी0के0डी0 किडनी डिजीज के मरीज और कैंसर से ग्रसित लोग, हमें बोलते रहते हैं कि जनाब हमारी पेंशन नहीं आ रही है अब हम क्या करें?

सभापति महोदय, मैं आपसे निष्पक्ष होने की उम्मीद करता हूं। आपको वहां से जो इशारा हो रहा है, वह भी दिखाई दे रहा है। अब मैं आयुर्वेद विभाग में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जब बारी आएगी तब कहूंगा।

24.08.2026/1720/DC/PB/3

सभापति : सबको 20-20 मिनट दिए हैं। केवल परमार जी को 35 मिनट मिले। बाकी सभी सदस्यों को 20-20 मिनट मिले हैं। आपके 30 मिनट हो गए हैं।

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, उनके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था इसलिए इन्होंने इतना कम बोला? ...(व्यवधान)

Chairman: Hon'ble Member, please wind up.

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, मैं चंबा मेडिकल कॉलेज की हालत पर भी बात करना चाहूंगा क्योंकि चंबा मेडिकल कॉलेज मेरे जिले को कैटर करने वाला मेडिकल

श्री ए०पी० द्वारा जारी...

24.08.2026/1725/डी०सी०/ए०पी०-01

डॉ जनक राज जारी

कॉलेज है। स्वास्थ्य सचिव यहां मौजूद हैं। मैं बार-बार एक बात दोहरा रहा हूं और इसका जवाब भी चाहूंगा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले कितने प्रतिशत मरीज चंबा से रेफर होकर आते हैं। हालांकि इस विषय पर मैंने प्रश्न भी लगया है। मुझे पता नहीं इसका जवाब मिलेगा या नहीं। शायद कल से फिर सरकार यहां पहुंच जाए और फिर हंगामा हो और सदन स्थगित हो जाए। जिस तरीके से यहां चल रहा है। अपनी चर्चा के जवाब में सरकार जरूर बताए कि टांडा मेडिकल कॉलेज में कितने प्रतिशत मरीज चंबा से रेफर होकर आते हैं। क्या सरकार ने कभी कोई रेफरल ऑडिट किया है? क्यों मरीजों को बिना मतलब के रेफर किया जा रहा है? मैंने विधायक बनने के बाद सरकार से अनुमति मांगी थी। आज मैं इस सदन के माध्यम से सदन के सभी सदस्यों और हिमाचल के कई कैबिनेट मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं कि कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि अगर सेवा करनी थी तो अस्पताल क्यों छोड़ा? यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मुझे राजनीति में आना है। आज भी मैं लोगों को न्यूरोसर्जन के रूप में सेवाएं दे रहा हूं। आपने जितनी मर्जी एफ०आई०आर० करनी है तो करते रहो, जहां-जहां लोग मुझे बुलाएंगे, वहां मैं जरूर जाऊंगा। अभी कई सत्ताधारी दल के लोग मजाक में ही सही, बोल रहे हैं कि हमारे यहां भी कैंप लगा दो मैंने बोला इसमें क्या है बिल्कुल आऊंगा और कैंप लगाऊंगा। चंबा मेडिकल कॉलेज में मैंने न्यूरोसर्जरी के लिए परमिशन मांगी थी, उसकी एप्लिकेशन अभी भी पेंडिंग

है और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं एक स्थिति बताना चाहता हूँ और पांच मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं चंबा में सर्किट हाउस में बैठा था। चंबा मेडिकल कॉलेज में एक मरीज भर्ती होता है जिसको रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है या दिमाग की चोट लगती है। उन्हें पता चलता है कि मैं सर्किट हाउस में बैठा हूँ तो वे अपनी फाइल लेकर मेरे पास आते हैं। डॉक्टर साहब यह देखिये, मैं रिपोर्ट देखता हूँ और इलाज कैसे होगा देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं कुछ कमी है। अगर मैं उस कमी को ठीक कर दूँ तो मरीज

24.08.2026/1725/डी0सी0/ए0पी0-02

वहीं पर ठीक हो सकता है। मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए। लेकिन मैं अधिकृत नहीं हूँ इसलिए मैं दवाई नहीं लिख सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि आप किसी दूसरे डॉक्टर से यह इलाज शुरू करवाइये। क्योंकि वह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। सीता जी अगर लक्ष्मण रेखा लांघ कर न जाती तो रामायण नहीं होती। इसलिए मैं भी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। मैं किसी भी डॉक्टर को सलाह नहीं देता हूँ कि इस मरीज का यह इलाज करिए और न ही उस पर्ची पर कुछ लिखता हूँ। फिर होता यह है कि मरीज को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। ऐसे असंख्य अनजान लोग बिना मतलब के रेफर हो रहे हैं, जिन्हें चम्बा में ही ठीक किया जा सकता है। मैं अपना समय देने को तैयार हूँ। मैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी दवाई देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वर्चुअली मेरे मोबाइल पर रिपोर्ट भेजिए, मरीज की कंडीशन बता दीजिए। उसके हिसाब से मैं उन्हें ट्रीटमेंट की सलाह दे सकता हूँ। मैंने सरकार से केवल इतनी-सी अनुमति मांगी है। उस पर भी सरकार पिछले साढ़े तीन साल से निर्णय नहीं ले पाई है। यह बहुत विड़बना की बात है। जब हमने नादौन में जो कैंप लगाया था। उसमें मात्र नादौन के लोग नहीं थे। वहां सभी जगहों से लोग आए थे। आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का इससे बड़ा परिणाम नहीं हो सकता कि लोग आज भी मुझसे मिलने के लिए प्रदेश के कोने-कोने से मेरे घर, चंबा, भरमौर और जहां भी मैं पहुंचता हूँ, वहां पहुंच जाते हैं। आज भी सुबह सरकाघाट से एक मरीज आया हुआ है। अगर हम सेवा कर रहे हैं और उस पर भी आप लोग हमें सेवा

का यह परिणाम दे रहे हैं तो हिमाचल की जनता हर चीज की साक्षी है। वह समय चला गया कि जो मैंने बोल दिया, वही मान लिया जाता था। पहले लोगों के पास सूचना का तंत्र नहीं होता था और लोग नेता की बात को जांच भी नहीं पाते थे और नेता की बात को पत्थर की लकीर समझते थे। आज मैं सदन के भीतर जो बातें कह रहा हूँ, कल हमारी सरकार के समय अगर मैं उन बातों से मुकरूंगा तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। वह समय चला गया है। आज का युवा और तरुण हमारी कही गई एक-एक बात का सत्यापन किए बिना हमारा समर्थन नहीं करता। पुरानी परंपरा की ट्रेडिशनल राजनीति छोड़ दीजिए। पहले इस तरह की बातें कही जाती थीं कि डैम बना दिया जाएगा, पानी से बिजली निकाल ली जाएगी तो पानी किस काम आएगा। लोग इसे सच मान लेते

24.08.2026/1725/डी0सी0/ए0पी0-03

थे। वह एक समय था, एक दौर था। हिमाचल सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा राज्य है। हिमाचल का वोटर विवेकशील और तर्कशील है। वह सब जानता है। जिस तरह से गलती हिमाचल के वोटर से वर्ष 2022 में हुई है, जिससे एक्सिडेंटली यह सरकार बनी वह वोटर आने वाले चुनाव में ऐसी गलती नहीं होने देगा। क्योंकि यह सरकार लोगों के सामने कैसे मुकरती है। हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कितने वरिष्ठ मंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं लिखित घोषणा नहीं की कि पंद्रह लाख रुपये देंगे। मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के कांकेर में वर्ष 2013 में एक जनसभा में उन्होंने एक तुलना की थी

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

24.08.2026/1730/AT/HK/01

डॉ. जनक राज जारी...

उन्होंने तुलनात्मक तौर पर यह कहा था कि इतना काला धन है, अगर वह देश में आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में पंद्रह लाख रुपये आ सकते हैं। वह क्वांटिफाई किया गया था। परंतु आपने एक साल में एक लाख नौकरी देने की बात, हर महिला को 1500 रुपये देने की बात ...(व्यवधान) आपके घोषणा पत्र में लिखित है, आपने फॉर्म भरवाए।

बीस-बीस बार महिलाओं से फॉर्म भरवा बैठे हैं और 3-4 हजार रुपये खर्च चुके हैं ... (व्यवधान)

सभापति: माननीय सदस्य आप स्वास्थ्य पर बोलिए और कंकलूड करें प्लीज़।

डॉ० जनक राज: सभापति महोदय, कंकलूड कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिन माननीय सदस्यों ने हिमाचल की महिलाओं को ठगा है... (व्यवधान)

सभापति: आप स्वास्थ्य पर बोलिए, प्लीज़। ... (व्यवधान) Please wind-up.

डॉ. जनक राज: सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2026/1730/AT/HK/02

सभापति: अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल जी।

श्री पवन कुमार काजल: माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान) हो गया, हो गया, बस। ... (व्यवधान)

सभापति: अभी स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है। ... (व्यवधान) Please don't disturb. माननीय सदस्य पवन काजल जी। ... (Interruption) Please don't disturb.

श्री पवन कुमार काजल: माननीय सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया है, उसके संदर्भ में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

मैं वर्ष 2012 से इस सदन में आया हूँ, जब भी चिकित्सा की बात करता हूँ तो टांडा मेडिकल कॉलेज की बात ज़रूर करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है और तब से मैं इसकी बात ज़रूर करता हूँ। टांडा मेडिकल कॉलेज में जो ओपीडी है, वह प्रतिदिन 2000 से लेकर 2500 के लगभग है। टांडा मेडिकल कॉलेज

मेरी साथ लगती विधान सभा नगरोंटा बगवां में है और साथ में कांगड़ा है। तो मैक्सिमम प्रेशर होता है। चाहे कोई चंबा से हो, ज्वाली से हो, कहीं न कहीं से कोई न कोई कॉल हमें आती रहती है।

सर, इतना बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और टांडा मेडिकल कॉलेज में आज एम0आर0आई0 की एक मशीन है। छह डिस्ट्रिक्टों से यहां पर पेशेंट आते हैं और जिसे एम0आर0आई0 करानी हो, उसको तीन महीने की डेट दी जाती है। इसी तरह टांडा मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की दो मशीनें हैं, उसकी वेटिंग एक महीना है। इसी तरह सी0टी0 स्कैन की वेटिंग एक महीना है। एक्स-रे करवाने के लिए डेट पर डेट मिल रही है। आप सब जानते हैं कि टांडा मेडिकल कॉलेज ओवरलोडेड है। जैसे मुझसे पहले डॉ. जनक राज जी ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज से भी मरीज रेफर होते हैं, पालमपुर से भी होते हैं और धर्मशाला से भी होते हैं तो यह स्थिति कब तक रहेगी

24.08.2026/1730/AT/HK/03

हमारा जो पूरा बजट है, जो प्रदेश का साल का बजट होता है, मुझे लगता है कि उसमें से 40 प्रतिशत बजट स्वास्थ्य के लिए ही है, शायद 40 प्रतिशत से भी ऊपर है। पर पहले भाजपा की सरकार थी, आदरणीय श्री जयराम जी की सरकार थी, तो मेडिकल कॉलेज में कोई भी दवाई अंदर मिल जाती थी। जब से आप सत्ता में आए हैं और आज की डेट में, माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि आज एज़िथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही, अमोक्सिसिलिन नहीं मिल रही, पेंटाप्राजोल नहीं मिल रही और भी छोटे-मोटे जो जितने भी सप्लीमेंट

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी

24.08.2026/1735/av/hk/1

श्री पवन कुमार काजल -----जारी

मिलते थे वे आज की डेट में नहीं मिल रहे। पहले वहां हार्ट के मरीज को पूरे महीने की दवाई मिलती थी मगर आज की डेट में उसको चार-पांच हजार रुपये की दवाई बाहर से

पर्चेज करनी पड़ती है। यहां बार-बार रोबॉटिक सर्जरी की बात की जाती है मगर इन छोटी-छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस मेडिकल कॉलेज में आम व गरीब आदमी आता है। इसलिए इसकी स्थिति सुधारने की जरूरत है। पर्ची बनाने के लिए वहां पर घण्टों इंतजार करना पड़ता है। मैंने सदन के अंदर एक चर्चा के दौरान पिछली बार भी कहा था कि वहां पर एक काउंटर की बजाय तीन-चार काउंटर बनाए जाने चाहिए क्योंकि वहां पर नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी के मरीज सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाते हैं। मगर पर्ची बनाते-बनाते और डॉक्टरों को मिलने के लिए उनको दो बज जाते हैं।

टांडा मेडिकल कॉलेज वर्ष 1998 में शुरू हुआ था मगर वहां पर आज तक एक बहुमंजिला पार्किंग नहीं बनी। वहां पर कॉलेज के बाहर जो सराय बनाई गई है उसका कोई औचित्य नहीं है। वहां पर मरीजों के साथ जो भी तीमारदार आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 400-500 तीमारदारों के रहने की सुविधा हेतु सराय होस्पिटल के अंदर ही चाहिए।

मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि टांडा मेडिकल कॉलेज में स्टंट की खरीद में घोटाला हुआ है जिसकी शायद जांच भी चली हुई है। वहां एक कार्डियोलॉजी विभाग में लगभग 10 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। वहां पर एक एच0ओ0डी0 की अलमारी में लगभग 3 करोड़ रुपये के स्टंट मिले जिसमें से कई तो एक्सपायरी भी हो चुके हैं। उन स्टंट्स के लिए कोई टेंडर भी नहीं हुआ। अखबारों के माध्यम से इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। अखबार में अब यह खबर आई है कि 'टांडा मेडिकल कॉलेज में दिल के स्टंट सस्ते'। पहले वहां स्टंट की कीमत 40 हजार रुपये थी जिसके बारे में वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि अब 40 हजार रुपये की जगह 27 हजार रुपये और 20 हजार रुपये के स्टंट मिलेंगे। मगर पता नहीं यह गोरख-धंधा वहां कब से चला हुआ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी और इसमें जो

24.08.2026/1735/av/hk/2

दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में गरीब व आम आदमी को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके।

आपकी सरकार ने आते ही पूर्व सरकार द्वारा खोले गए स्वास्थ्य संस्थानों को बंद कर दिया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चंगर एरिया गालियां में एक पी०एच०सी० खुली थी जोकि आपने आते ही बंद कर दी। इसी तरह से रानीताल और राजनल में पी०एच०सी० खुली थीं, आपने वे भी बंद कर दीं। इसके अतिरिक्त तक्कीपुर पी०एच०सी० को सी०एच०सी० किया था मगर आपने उसको भी बंद कर दिया। अखबारों में हर रोज़ खबर छपती है और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मगर आप सोच रहे होंगे कि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए सरकार की कार्यप्रणाली को कोसते हुए जबरदस्ती गलतियां निकाल रहा हूँ।

टी सी द्वारा जारी

24.08.2026/1740/टी०सी०वी०/वाई०के०/-1

श्री पवन कुमार काजल... जारी

या सरकार को कोस रहा हूँ। चम्बा से संबंधित एक मामला सामने आया है। "ई०एन०टी० विभाग ने दो छोटे-छोटे बच्चों को एक वर्ष बाद ऑपरेशन की दी डेट" यह समाचार दिनांक 4 अगस्त, 2026 के पंजाब केसरी में प्रकाशित हुआ है। ये बच्चे छह महीने पहले अस्पताल आए थे और उन्हें छह महीने बाद की डेट दी गई थी। इसके बाद वहां के ई०एन०टी० विभाग के एच०ओ०डी० मुनीश सरोच जी ने कहा कि वहां की मशीनरी काफी पुरानी हो चुकी है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि इस मामले का संज्ञान कौन लेगा? इसका संज्ञान सरकार और मंत्री महोदय आपको ही लेना है।

इसी तरह टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टरों और नर्सों ने कहा कि "पीने का पानी दूषित है" " छह महीने बाद सर्जरी के लिए बुलाए और एक साल के बाद फिर बुलाया।" इसी तरह "कांगड़ा सिविल हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर उपलब्ध लेकिन ऑपरेशन नहीं।" इस प्रकार की खबरें विभिन्न अखबारों में छपी हैं।

सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार के समय 'हिमकेयर योजना' शुरू की गई थी जिसके माध्यम से हजारों और लाखों की तादात में गरीब लोगों का इलाज होता था। आपने उस योजना को भी बंद कर दिया है। इसी तरह 'आयुष्मान योजना' केंद्र सरकार की योजना है जिसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें 90

प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार देती है और 10 प्रतिशत धनराशि हिमाचल सरकार वहन करती है। आज की तारीख में आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी इलाज नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि आप 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करवा पा रहे हैं जिसके कारण प्रदेश की जनता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। आप आए दिन पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, चाहे आई0जी0एम0सी0 की बात हो या टांडा मेडिकल कॉलेज की बात हो। आपकी सरकार के आने के बाद स्वास्थ्य संस्थानों की बहुत बुरी दुर्दशा हुई है। क्या आप इसे मानते हैं?

सभापति महोदय, इसी तरह मैं अपने कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। हमारे कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल है जिसमें सभी डॉक्टर

24.08.2026/1740/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

उपलब्ध हैं। उसमें आइज सर्जन भी है परंतु आज तक वहां कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। सी0एच0सी0 कांगड़ा में अल्ट्रासाउंड की मशीन कई वर्षों से जंग खा रही है। मैं इस विषय को लेकर इस सदन में अनेकों बार अपनी बात रख चुका हूं। इसी तरह सी0एच0सी0 कांगड़ा में डॉक्टर पूरे हैं परंतु आई0सी0यू0 नहीं है। हमारा एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तयारा है। वहां 10 पद स्वीकृत हैं जिनमें से आठ पद भरे हुए हैं परंतु वहां कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। आपने इसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तो बना दिया और 10 में से आठ डॉक्टर भी दे दिए परंतु वहां एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी दिया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ सी0एच0सी0 कांगड़ा अस्पताल की जो जर्जर हालत है वह भी सब के सामने है। यह बिल्डिंग वर्ष 1983 में बनी थी और इसे बने 43 वर्ष हो चुके हैं। कुल मिलाकर इस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य संस्थानों की जो दुर्दशा हुई है उसके संबंध में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पहले जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं, चाहे राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हों, चाहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे हों या श्री जय राम ठाकुर जी रहे हों, वे वर्ष में एक-दो बार टांडा मेडिकल कॉलेज का अवश्य दौरा करते थे। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान और जिला कांगड़ा की 15 विधान सभा सीटों सहित प्रदेश के आठ

जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान है। ये सभी मुख्य मंत्री इस संस्थान के संबंध में वहां जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते थे। जब हमारी

एन0एस0 द्वारा जारी ...

24-8-2026/1745/NS-YK/1

श्री पवन कुमार काजल-----जारी

जब हमारी गवर्नमेंट थी यानी माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार थी तो ऐसी दुर्दशा नहीं थी। आज की डेट में यह मैं आपको बता दूँ। ...(व्यवधान) मैं आपके साथ था, तभी तो यहां आया। मुझे पता था कि आपकी दुर्दशा कैसी होने वाली है? मुझे यह भी पता था कि मैं यहां क्यों आया और यह बात आपको भी पता थी? जब मैं दिल्ली में था और आपने मुझे पार्टी का वर्किंग प्रेजीडेंट बनाया, मुझे मान-सम्मान दिया, उस समय आपने 10 गारंटियां दे दीं कि हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एक लाख नौकरियां एक वर्ष में देंगे और पांच वर्षों में पांच लाख नौकरियां देंगे तथा गोबर उठाएंगे। तब मैंने देखा और वहां माननीय बघेल साहिब से पूछा कि बाकी सब तो ठीक है पर जो 1500 रुपये हर महिला को देने की बात कह रहे हैं इसको कैसे करेंगे? ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि फॉर्म भरवाएंगे। मैंने सोचा कि मैं पहले इंडिपेंडेंट जीता, फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीता और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं अपनी कांगड़ा की जनता और अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता से प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं धरातल पर काम करता हूँ। मैं आपकी तरह कैसे फॉर्म भरवा देता? एक लाख नौकरियां एक वर्ष में कैसे दे देता? 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे कर देता? दूसरा काम जो किसी सरकार ने नहीं किया यानी गोबर उठाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया उसको मैं कैसे कर देता? इसलिए मैं यहां (भाजपा) आया। ...(व्यवधान) इसलिए आया, , सर। यह जो दुर्दशा थी तो आप सभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। जितने भी मंत्रीगण और माननीय विधायक यहां बैठे हैं तो प्रदेश की दुर्दशा आपके सामने है। आने वाला समय यानी अगले वर्ष के चुनावों के दौरान आपके चेहरों पर झलकेगी। आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? आने वाले समय में जब आप वोट मांगने जाएंगे तो लोग आपको गोबर के ढेर दिखाएंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली तथा 1500 रुपये का हिसाब पूछेंगे।

माननीय जय राम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, आपने वह भी बंद कर दी। कुल मिला करके ये सारी आपकी गारंटियां थीं और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि मेरे आपके साथ अच्छे संबंध रहे हैं लेकिन इन गारंटियों को आप अगले वर्ष नवंबर में देखना। जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता मेडिकल कॉलेज, टांडा, गोबर, 300 यूनिट फ्री बिजली और 1500 रुपये की बात का हिसाब पूछेगी। आने वाले समय में जनता

24-8-2026/1745/NS-YK/2

इन सभी बातों का हिसाब लेगी। आपने देखा होगा कि अभी सेमीफाइनल हो गया। पूरे प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 10 जिला परिषद् भारतीय जनता पार्टी के बने। प्रधान, उप-प्रधान और पंचायत समिति के अधिक-से-अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। ... (व्यवधान) यही कारण था कि मैं भाजपा में आया। ... (व्यवधान) भाई अनिरुद्ध सिंह जी मेरे साथ बैठते थे। मैं आपके चेहरे की झलक देखकर समझ जाता था कि आपकी परेशानी क्या है? ये मेरे मित्र रहे हैं। कुल मिलाकर आपने प्रदेश की जो हालत की है उसका प्रदेश की जनता आने वाले समय में एक-एक हिसाब लेगी और ब्याज समेत हिसाब लेगी।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बुरी बात यह की कि आपने महिलाओं से फॉर्म भरवाए हैं। उनमें जिला कांगड़ा के गरीब व आम आदमी से एक-एक फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपये, 500 रुपये और 600 रुपये लिए गए हैं और उन फॉर्मों को भरने में तीन से चार दिन लगे हैं। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं।

अब मैं स्वास्थ्य संस्थानों की बात करना चाहूंगा। आज की तारीख में अगर जिला कांगड़ा या पूरे प्रदेश की बात करें तो कहीं पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं अपने कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं कि एक ईट भी कहीं लगी हो तो आप मुझे बताइए। शाहपुर, नूरपुर विधान सभा क्षेत्र में एक ईट भी लगी हो तो आप मुझे बताइए। आपके ज्वाली विधान सभा क्षेत्र में ईट लगी हो तो आप बताइए। यह ठीक है कि मुख्य मंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र नदौन में काम चले हैं। देहरा में काम चले हैं। वहां होने भी चाहिए क्योंकि देहरा किसी का नहीं था। ... (व्यवधान) पर आपने रखा है। ... (व्यवधान) मैं

आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी तक आप सोच रहे हैं कि हमारे यहां अब कोई वैकेंसी नहीं है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

24.08.2026/1750/RKS/AG-1

श्री पवन कुमार काजल... जारी

और सभी वैकेंसियां भर गई हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। आप यह सोच रहे हैं कि एक बार कांग्रेस पार्टी आती है और एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी सरकार 15-20 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। सभापति महोदय, किसी को ठगना या जनता से झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। यह सेमीफाइनल हो चुका है, अब फाइनल की बारी है।

सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

24.08.2026/1750/RKS/AG-2

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री राम कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार : सभापति महोदय, मैं नियम-130 के तहत हैल्थ सर्विसिज पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद। यहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात हो रही थी। माननीय मुख्य मंत्री ने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की पहल की है। इसी के तहत हमारे बदी के 50 बैडिड अस्पताल को 100 बैडिड किया गया और उसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में कंवर्ट किया गया। मेरे सामने वाले साथी कह रहे थे कि स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति खराब है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। वर्ष 2012-17 के कार्यकाल में यह 50 बैडिड अस्पताल था। वर्ष 2016 में इसके भवन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तथा इसके लिए 9.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। मुझे नहीं पता कि

आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने वह राशि कहां स्थानांतरित कर दी। पांच वर्षों तक इस अस्पताल भवन का निर्माण कार्य बंद रहा। ...(व्यवधान) मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। वर्ष 2022 में जब जनता ने पुनः मुझे चुनकर इस सदन में भेजा तब मैंने देखा कि अस्पताल का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। मैंने इसकी समीक्षा बैठक आयोजित की और पता चला कि 3.74 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से इस विषय पर निवेदन किया और उन्होंने तुरंत इसके लिए राशि जारी की और उसके बाद अस्पताल का निर्माण कार्य पुनः आरम्भ हुआ।

मुझे यह भी मालूम था कि इस अस्पताल को 100 बैडिड किया जाना है इसलिए हमने 50 बैडिड अस्पताल को 100 बैडिड अस्पताल में कंवर्ट किया। हमने वहां पर अलग से ओपीडी भवन निर्मित किया। हिमाचल प्रदेश में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा तथा आईजीएमसी के बाद बंदी का यह तीसरा ऐसा स्वास्थ्य संस्थान बना जहां अलग से ओपीडी भवन की व्यवस्था की गई है। इस कार्य पर लगभग दो करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। आज हमने बंदी अस्पताल को प्रदेश के 90 सिविल अस्पतालों में सबसे अव्वल बनाया है। हमने वहां पर लगभग तीन करोड़ रुपये के इक्विपमेंट्स सीएसआर के माध्यम से स्थापित करवाए हैं। हमारे उद्योग जगत के मित्रों के सहयोग से वहां डिजिटल एक्स-रे मशीन और अन्य आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एनैस्थिसिया मशीन की व्यवस्था हेतु मैंने विभाग के सचिव महोदय

24.08.2026/1750/RKS/AG-3

को पत्र लिखा है और मुझे आशा है कि यह सुविधा भी शीघ्र आरम्भ हो जाएगी। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो पीएचसी, पट्टा थी उसे आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में सीएचसी में अपग्रेड तो कर दिया गया लेकिन वहां के सभी पद समाप्त कर दिए गए। इस बात को लेकर बहुत हल्ला भी हुआ। जब मैं विधायक था तब उस पीएचसी में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थी और वहां तीन चिकित्सक तैनात थे। मैंने यह बात सरकार के ध्यान में लाई। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें डॉक्टर का अतिरिक्त पद दिया। जब पीएचसी थी तो वहां डॉक्टर के तीन

पद थे लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी ने उसे सी०एच०सी० किया और पद समाप्त होने के कारण वहां 24 घंटे की स्वास्थ्य सुविधा बंद हो गई और संस्थान को 12 घंटे की सेवा तक सीमित कर दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय मंत्री जी के प्रयासों से पट्टा सी०एच०सी० में पुनः 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा आरम्भ की गई। ...(व्यवधान) मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। ...(व्यवधान) यदि रिकार्ड देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व में पद समाप्त किए गए थे और 24 घंटे की स्वास्थ्य सुविधा भी बंद कर दी गई थी। ...(व्यवधान) मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। उस स्थिति के बारे में श्री जय राम ठाकुर जी को पता है कि उस समय मेरे क्षेत्र की ऐसी हालत आपने ही की थी। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का चंडी दौरा हुआ था। उस समय हमने उनसे आग्रह किया था कि हमारा एक पहाड़ी स्टेशन है और वहां पी०एच०सी० स्थापित की जाए। उन्होंने वहां पी०एच०सी० तो खोली लेकिन उसकी भूमि हस्तांतरण से संबंधित फाइल को पिछली सरकार ने पांच वर्षों तक क्लियर नहीं किया।

श्री बी०एस०द्वारा जारी

24.08.2026/1755/बी.एस./ए.जी.-1

श्री राम कुमार जारी...

इसके लिए पैसा देना तो बहुत दूर की बात थी। सरकार ने अभी उसके भवन निर्माण के लिए लगभग 50 लाख रुपये की राशि दी है और उसकी जमीन भी ट्रांसफर हुई है। इसके लिए मैं मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में यह सुविधा बहाल हुई।

सभापति महोदय, हमारे यहां 17 हैल्थ सब-सैंटर थे उन सब में ताले लगे हुए थे। अभी यहां नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की बात हो रही थी। मुख्य मंत्री जी ने नर्सिंग करने वाली उन लड़कियों की भर्ती की है जो सी०एच०ओ० के रूप में लगी हैं। दून विधान सभा क्षेत्रों में जो हमारे सब-सैंटर पांच वर्ष से बंद थे उनके लिए भी भर्ती की गई और उन सभी सब-सैंटरों के ताले मुख्य मंत्री जी ने खोल दिये हैं। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा।

एक निवेदन मैं मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि हमारे सपाटू एरिया और कुठार में 24X7 की सुविधा नहीं है। रात के समय लोगों को दिक्कत आती है और उन्हें या तो सोलन जाना पड़ता है या धर्मपुर जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुठार की हमारी पी0एस0सी0 में एक डॉक्टर का अतिरिक्त पद दे करके अगर इसे 24X7 कर दिया जाए तो आसपास की आठ-दस पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें जगजीत नगर और सपाटू की पंचायतें भी कवर होंगी तथा सोलन और कसौली क्षेत्र की कुछ पंचायतें इसका लाभ ले सकेंगी।

जो रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बाबा आदम के जमाने की मशीनों को बदलने की मुख्य मंत्री जी बात करते हैं यह सोच की बात है। उन्होंने यह सोच लाई है और खुद जाकर अस्पतालों को देख रहे हैं, आई0जी0एम0सी0 शिमला जाते हैं वहां जो पुरानी मशीनें हैं और जो टैस्ट ठीक से नहीं कर रही हैं उनको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार ने रोबोटिक सर्जरी शुरू करके एक अहम कदम उठाया है।

24.08.2026/1755/बी.एस./ए.जी.-2

मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि हमारी जो पी0एस0सीज0 हैं उनमें छोटी-मोटी जांच की सुविधाएं शुरू की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पी0एस0सीज0 हैं उनमें अगर एक्स-रे मशीन की सुविधा शुरू हो जाए तो यह बहुत जरूरी है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमारी पी0एस0सी0 में लगाई जाए। इससे हमारे ग्रामीण एरियाज के लोग और पंचायतों के लोगों को बड़े अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी जांच तथा समस्या का समाधान उसी एरिया में हो जाएगा। जो हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं उनमें मैं चाहता हूँ कि एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन और डायलिसिस की सुविधा तुरंत प्रभाव से शुरू की जानी चाहिए ताकि लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

मेरे यहां तीन सी0एस0सी0 हैं। इनमें बरोटी वाला, पट्टा और चंडी शामिल हैं। चंडी में हमने बी0एम0ओ0 ऑफिस और भवन का काम शुरू किया था। भवन में लगभग 85 प्रतिशत

काम हो चुका है। हमारे डॉक्टर क्वाटर्स तैयार हो रहे हैं और बी०एम०ओ० ऑफिस भी तैयार है। अस्पताल के लिए भी पैसा जारी होना है।

पिछले कल मैंने आपको दिखाया था कि वहां भारी बरसात हुई और अस्पताल का डंगा गिर गया। अस्पताल की बिल्डिंग भी अनसेफ घोषित हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे चंडी के सी०एस०सी० के भवन के लिए सरकार पैसा जारी करे ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

जो डॉक्टर क्वाटर्ज हैं उनका लगभग 85 प्रतिशत काम हो चुका है। उसका कार्य हिमुडा के माध्यम से हो रहा है। उसकी कंप्लीशन के लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करवाए ताकि उस कार्य को पूरा किया जा सके।

एक पी०एस०सी० अभी मुख्य मंत्री जी ने हमारे मानपुरा में दी है। बद्दी से नालागढ़ का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और यह हाईवे है। अगर कोई एक्सिडेंट होता है तो लोगों का इलाज करना मुश्किल हो जाता था। मानपुरा 8-10 पंचायतों का केंद्र है वहां भी हमें पी०एस०सी० दी गई है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमने उसका भवन बना

24.08.2026/1755/बी.एस./ए.जी.-3

दिया है। बाकी छोटी-मोटी लैब्स की जो सुविधा है अगर उसमें आप लैब की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो हमारी पी०एस०सी० अच्छी तरह से चल पाएगी।

यहां दवाइयों की कमी की बात हो रही थी। मेरे बद्दी अस्पताल में एंटी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं और एंटी स्नेक बाइट के इंजेक्शन भी उपलब्ध हैं। दवाइयों की जो लिस्ट है उसके बारे में मैं समय-समय पर अपने बी०एम०ओ० से पूछता रहता हूं। जो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं उनको मैं हमारे दवाई बनाने वाले फैक्ट्री मालिकों से लेकर लोगों सहायता से अपने अस्पतालों में उपलब्ध करवाता रहता हूं। इसके माध्यम से हम लोगों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाते रहते हैं।

सभापति महोदय, हमारे साथी माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने यहां बात की कि बंदी की जो लैब है वह एक सफेद हाथी बनी हुई है। इस संबंध में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बंदी की हमारी लैब की सालाना टैस्टिंग कैपेसिटी 6,000 सैंपल की है। इसका इन्सॉयूरेशन दिनांक 8 जनवरी, 2025 को हुआ था। अभी तक ऐज ऑन टुडे इसमें 9,791 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

24.08.2026/1800/DT/AS-1

श्री राम कुमार जारी ...

और इस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर 2026 में 4,121 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परमार जी से यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कृप्या आप फैक्ट्स पर बात किया करें, हर समय आप सदन को गुमराह न करें। ... (व्यवधान) मैं पहले अपनी बात को पूरा कर लेता हूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं आपको ये फिगर्स एंड फैक्ट्स दे रहा हूं। आप आर0टी0आई0 से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुझे नहीं पता की यह तथ्य आपने कहां से लिये हैं? आप गलत बोलते हैं- आप ठीक नहीं बोलते हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं।

Chairman : Please let him complete उसके बाद आप बोल लीजिए।

श्री राम कुमार : माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी आप आर0टी0आई0 से यह जानकारी मांग ले लेना। आर0टी0आई0 में आपको वास्तविकता का पता चल जायेगा। आपने पता नहीं यह फैक्ट्स कहां से लिए हैं। आपको इस सदन में इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप झूठ बोलिए पर थोड़ा-बहुत बोलिए। आटे में थोड़ा सा नमक ठीक है लेकिन पूरा ही नमक ठीक नहीं होता, बस यही बात आपकी ठीक नहीं है, मैं यही कह रहा हूं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने हिमकेयर योजना की बात भी कही। ठीक है, हिमकेयर योजना एक बहुत अचदी योजना थी। लेकिन मैं यह नहीं

कहता हूँ कि जयराम जी ने उसमें कोई घपला किया लेकिन उस योजना में घपले हो गए हैं। हिमकेयर में ऑप्रेसन हुआ, उसमें पुरुषों के ऑप्रेसन कर दिये गये और यह दर्शाया गया कि पुरुषों की बच्चादानी निकाली गई है। मैं यह सुनकर हैरान हुआ कि डॉक्टर साहब यह क्लैरिफाई कर रहे थे कि पुरुषों की भी बच्चादानी होती है। यह बात सुनकर मैं तो बड़ा हैरान हुआ। व्हाट्सऐप पर भी इस बात को डाला गया और उसका मैसेज मुझे भी आया। मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी बच्चादानी होगी। मेरा कहने का अर्थ है कि हिमकेयर योजना में ऐसे-ऐसे ऑप्रेसन भी हुए हैं। यह जांच का विषय है। हिमकेयर स्कीम अच्छी है, मैं उस स्कीम की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपकी सरकार ने भी स्वास्थ्य

24.08.2026/1800/DT/AS-2

सेवाओं में अच्छा काम किया है। लेकिन हिमकेयर योजना में घपले भी बहुत ज्यादा हुए हैं। हिमकेयर में जो करोड़ों रुपये की देनदारी थी वो खड़ी हो गई। जो झोला डाक्टर थे उन्होंने भी अपने बड़े-बड़े अस्पताल खड़े कर लिए। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने देखा कि हजारों करोड़ की देनदारी इस योजना के अंतर्गत है तो उन्होंने इसकी जांच करवाई की इतनी देनदारी क्यों खड़ी है? उसके बाद ही इस योजना की जांच हुई और उस जांच में ये सभी चीजें सामने आई हैं। आपको भी यह फैक्ट पता है। आपने इस योजना में कई ऐसे मामलों को भी अलाउ कर दिया जो इसमें फॉल ही नहीं करते थे। ...(व्यवधान) let me complete.

Chairman : Shri Jai Ram Thakurji, let him complete. I will give you time, please let him complete first.

श्री राम कुमार : आप मुझे कम्पलीट करने दो उसके बाद आप बोल लीजियेगा। आप थोड़ा पेशेंस तो रखो, सब्र तो रखो।

सभापति महोदय, विपक्षा के साथी हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने हिमकेयर को बंद कर दिया है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि यह स्कीम बंद नहीं हुई है। अभी इसके कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं कि हिमकेयर का कार्ड मेरे

पास नहीं है तो हिमकेयर स्कीम का कार्ड बनाने के लिए जब हम सी0एम0ओ0 या बी0एम0ओ0 को बोलते हैं तो उनके कार्ड बनते हैं और उससे लोगों का इलाज भी हो रहा है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ही लोगों को गुमराह मत करें। बिल्कुल इलाज हो रहा है। हर हस्पताल में हो रहा है। दवाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हाल आप की सरकार ने किया है उसे हमारी सरकार ने सुधारा है।...(व्यवधान)

Chairman : Please don't disturb. Let him complete.

श्री राम कुमार : हमने कदम उठाए हैं जो मशीन खराब थी या बंद पड़ी थी हम उन्हें चेंज कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य संस्थानों में टैस्टिंग लैब्ज दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधा हमने स्टार्ट की है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार मुख्य मंत्री जी की सोच है और वे यह सारी चीजें कर रहे हैं। हम वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं जिन्हें आप

24.08.2026/1800/DT/AS-3

उपलब्ध करवाने में नाकाम रहे। आपने कई स्वास्थ्य संस्थान बंद किए। डाक्टर्स के कई पद समाप्त किये लेकिन हमने उन पदों को दोबारा सृजित किया है।

सभापति महोदय, मैं समय-समय पर अपने विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप्स लगवाता रहता हूं।...(व्यवधान) मेरा ट्रेड है मैं कोई माफिया नहीं हूं। मैं करोड़ों रुपये इनकम टैक्स देता हूं। अगर आप में हिम्मत है तो इस बात को सदन के बाहर बोलना मैं आप पर मानहानी का केस दर्ज करवा दूंगा।

Chairman : Please don't disturb, please.

श्री राम कुमार : सभापति महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि क्या काम करना गुनाह है? अगर मैं आपके बारे में कुछ बोलूंगा तो आपको तकलीफ होगी। (***)

सभापति : माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी, कृपया आप स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलें और जो शब्द माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी ने बोले कि (***) इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री राम कुमार : अगर मैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करू तो उसके निर्माण से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, उसकी जिम्मेवार भी केंद्र की सरकार है। आज 20-20, 50-50 लाख की

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.08.2026/1805/ए.एस.-एन.जी./1

श्री राम कुमार..... जारी

की गाड़ियां टूट गई हैं। भारत सरकार ने अभी टेण्डर किया है और तीन साल तक 17 बार टेण्डर कैंसिल हुए हैं। आप लोग (विपक्ष के माननीय सदस्यों को देख कर कहा) इंडस्ट्री ऐरिया को समाप्त करने पर तुले हुए हैं।...(व्यवधान) वे आपकी वजह से गई हैं क्योंकि आपने उनकी हालत खराब कर दी थी।...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Members of the Opposition, please let him complete first.

श्री राम कुमार : हमने ऐसा नहीं किया कि करोड़ों रुपयों की जमीनों को एक-एक रुपये में एक ऐसे लाला को दे दी जाए जिसके पास 70-80 बीघा जमीन पहले से पड़ी हुई हो। आपकी सरकार ने ऐसे लोगों को एक रुपये में जमीनें दी हैं। इसके अलावा आपकी सरकार ने उनसे रजिस्ट्री का खर्चा भी नहीं लिया और उसका सी0एल0यू0 भी नहीं लिया। इस

प्रकार की चीजें आपकी सरकार के समय में हुई हैं और हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदय, हमने वर्धमान टेक्सटाइल की मदद से एक कैंसर केयर कैंप लगाया था। उसमें 447 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें पैप टेस्ट भी शामिल थे और 300 लोगों को चश्में भी लगाए थे। हमने फ्री मेडिकल कैंप किया था और जो तरह-तरह के पेशेंट थे, कैंसर पेशेंट थे, उनका भी हमने इलाज किया। मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आग्रह है कि पहले पहाड़ों में कैंसर नहीं होता था। लेकिन आजकल पहाड़ों में भी कैंसर फैल चुका है और हर गांव में एक-दो पेशेंट कैंसर के मौजूद हैं।

24.08.2026/1805/ए.एस.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं, अगर आप उनमें कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट की मशीनें लगाएंगे तो लोगों को उससे बड़ा लाभ होगा। इस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से भी ऐसे सुझाव आए, जिससे लोगों का लाभ हो, बजाय इसके कि छींटाकशी की जाए जोकि इनकी आदत है।

मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद।

24.08.2026/1805/ए.एस.-एन.जी./3

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन के अंदर थोड़ा-बहुत तो आगे-पीछे हो सकता है लेकिन जिस प्रकार से एक शुरुआत हो गई कि कुछ भी बोल दो और झूठ बोल दो। यह शुरुआत सचमुच में जनहित में इस सदन की

गरिमा के लिए अच्छी नहीं है। यही आदत मुख्य मंत्री जी की भी है और मुख्य मंत्री जी से यह आदत नीचे तक पहुंच गई हैं। जो भी उठता है, झूठ बोलता है क्योंकि यहां पर कोई पूछता ही नहीं है? माननीय सदस्य ने यहां पर मेरा जिक्र करते हुए कहा कि मेरी सरकार के समय 16-17 संस्थानों पर ताले लगे थे जोकि सच्चाई नहीं है। इन्होंने कहा कि बजट ट्रांसफर कर दिया और वह भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इस तरह से बोलना चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के दिमाग में एक ही बात अटक रही थी, खटक रही थी कि हिमकेयर, हिमकेयर, हिमकेयर का जिक्र इतना ज्यादा हो गया कि लोगों की ज़हन व जुबान पर यह योजना चढ़ गई है। मुख्य मंत्री जी को इस योजना से घृणा हो गई। इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इस योजना में 1100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ।

सभापति महोदय, जब से यह योजना बनी है, तब से लेकर अभी तक इसमें लगभग 850 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि घोटाला 1100 करोड़ रुपये का हो गया। इनको दूसरे दिन लगा कि कुछ ज्यादा हो गया। इन्होंने फिर कहा कि नहीं, 1100 करोड़ रुपये का नहीं, 100 करोड़ रुपये का हो गया। उसके बाद जब इनकी अधिकारियों से बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि अब तो मैंने बोल दिया है, अब तो 100 करोड़ रुपये पूरा करना पड़ेगा।

24.08.2026/1805/ए.एस.-एन.जी./4

ये बोलते हैं कि आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां मर्जी से करो, जैसे भी करना है करो लेकिन यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए न कि मुख्य मंत्री जी की जिद्द किस तरह की है।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी से बड़ी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस योजना से लाखों लोगों की जिंदगियां बची हैं, उसको आप सिर्फ एक राजनीतिक मकसद के साथ बर्बाद करना चाह रहे हैं, तबाह करना चाह रहे हैं और बदनाम करना चाह रहे हैं। यह पाप और श्राप निश्चित रूप से आपकी सरकार को लगेगा और आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको प्रदेश की जनता का श्राप लगेगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस योजना को बंद करने की प्लानिंग चल रही है और इसीलिए विजिलेंस की इन्क्वायरी चल रही है। विजिलेंस की इन्क्वायरी में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जिससे किसी नेता को इम्प्लिकेट किया जा सके या किसी को दोषी सिद्ध किया जा सके। मैं हैरान हूँ कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे। मैं उस बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है कि यहां पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही कि

श्रीमती पी०बी० द्वारा.....जारी

24.08.2026/1810/PB/DC-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

हिमकेयर के अंतर्गत यह घोटाला हुआ, how you have come to the conclusion कि इतना घोटाला हुआ, उतना घोटाला हुआ। इस मामले की जांच अभी चल रही है। मुख्य मंत्री कभी विधायकों को बुला रहे हैं और कभी अधिकारियों को बुला रहे हैं। क्या जांच करने के लिए आपको बिठाया है? जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। आप अधिकारियों पर दबाव डालकर जो करना चाहें वह कर सकते हैं लेकिन यदि कोई अधिकारी दबाव में आकर जांच को प्रभावित करने या जबरदस्ती उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करेगा तो उस जांच की

भी जांच होगी। समय आने पर यह भी देखा जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह मामला यहीं समाप्त नहीं होगा। न्यायालय ने हमें भी अपने अधिकारों के संरक्षण का अवसर दिया है और हम अपना पक्ष न्यायालय में भी रखेंगे। जब आपकी सरकार नहीं होगी तब इस जांच की भी जांच होगी जिसे दबाव बनाकर करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अधिकारियों से भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी प्रकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है, वही सामने लाया जाए। माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। यदि घोटाले की बात थी तो मुख्य मंत्री ने उसकी जांच करवा दी है। फिर आप पहले ही इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि घोटाला हुआ ही है? यह भी संभव है कि जांच रिपोर्ट में यह कहा जाए कि जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, तब आप क्या कहेंगे? इसलिए थोड़ा धैर्य और संयम रखना चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय, आपके कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश के विकास कार्यों की शुरुआत आप कब करेंगे? अभी तक आप पिछली सरकार के मामलों की ही जांच-पड़ताल और खोद-खुदाई में लगे हुए हैं। यह जो खोद-खुदाई और गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें कौन दफन होगा, यह समय बताएगा। यह गड्ढा किसी के लिए भी हो सकता है। मुझे तो ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि जो गड्ढा खोदा जा रहा है, वह दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी सरकार और आपकी अपनी पार्टी के लिए ही खोदा जा रहा है। इसलिए आपको आगे बढ़कर प्रदेश के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रदेश आपको आपके अच्छे कार्यों के लिए याद रखे। अध्यक्ष महोदय, यहां रोबोटिक सर्जरी का भी उल्लेख किया गया। यह अच्छी बात है कि एक-दो या तीन स्थानों पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होना जरूरी है। लेकिन

24.08.2026/1810/PB/DC-2

प्रश्न यह है कि उसका उपयोग कितना हो रहा है। हमने रोबोटिक सर्जरी के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। जिन अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है वहां एक ऑपरेशन थिएटर में प्रतिदिन 12 से 15 सर्जरी एक ओटी0 में हो रही है। ऐसी सुविधाओं का अधिकतम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैं टांडा की बात कर रहा हूं। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वहां रोबोटिक सर्जरी के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और सामग्री पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा लगभग निष्क्रिय स्थिति में खड़ी है और

उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मशीनरी खरीदना गलत नहीं है लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां ही मशीनरी खरीदनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसका समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि मशीनें खरीदने के पीछे कोई गलत मंशा है लेकिन यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो उसकी भी जांच की जा सकती है। हम आपकी तरह पहले से निष्कर्ष निकालकर या बदले की भावना से कार्य नहीं करते। जहां आवश्यकता होगी, वहां जांच भी होगी। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी खरीद कीजिए। जहां आवश्यकता हो वहां सुविधाएं दीजिए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उनका यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करना है। आपने मशीनरी खरीद कर तो रख ली लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होंगे तो आप उस मशीनरी का क्या करेंगे? इसलिए आप इन चीजों का जिक्र मत कीजिए। आज की तारीख में होस्पिटल में बेसिक सुविधा न होने की वजह से आदमी मर रहे हैं।

श्री ए0पी0द्वारा जारी

24.08.2026/1815/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री जय राम ठाकुर जारी

वे सुविधाएं आप कब देंगे, यह सोचने का विषय है। दवाइयों के बिना मरीज मर रहा है उसके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में देरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिल पा रहा है और ठीक तरह से सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। इन सारी चीजों को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे यही कहना था। जिस तरह से माननीय सदस्य फैक्ट्स पर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें ठीक करने के लिए उठना पड़ा। अब मैं अगली बार बोलूंगा।

24.08.2026/1815/डी0सी0/ए0पी0-02

सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता कई सवाल पैदा कर जाते हैं। निश्चित रूप से जब व्यक्ति तनाव में होता है, तभी ऐसे सवाल दिमाग में पैदा होते हैं। (विपक्ष के नेता का जबाब देते हुए) मैं दिल्ली से नहीं बल्कि वाराणसी से आया हूँ। उस चीज़ पर क्यों चर्चा कर दी? आपकी इस बात पर चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता इतने तनाव में हैं कि अब उन्होंने धमकाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे धमका रहे हैं जैसे कि जैसा वह कहेंगे वैसा हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। एक-एक परत को खोला जाएगा। इतिहास के पन्ने को खोला जाएगा जो इतिहास बना हुआ है, उसको भी खोला जाएगा। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। (विपक्ष के नेता का जबाब देते हुए) मैं तो कहता हूँ, जितनी मर्जी परतें आप खोल दें। परतें तो वह उधेड़ेगा जो ईमानदार होगा, बेइमान क्या परतें उधेड़ेगा। आप हमें धमकाना बंद करो। मेरा यह मानना है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी नहीं हो रही है। रोबोटिक सर्जरी के लिए सामान नहीं मिल पा रहा। आप बताए कि सामान कहां पर नहीं मिल रहा है? आप टांडा की खबरों में न जाइये। इन्हीं खबरों ने आपको सोशल मीडिया में घेर रखा है। ये आपको खत्म कर देंगे। इन पर आप विश्वास न करें। ठीक है, आपको मुख्य मंत्री जी के खिलाफ जो कैंपेन चलाना है, चलाइए। लेकिन जो आपके इर्द-गिर्द साथी हैं जो इधर-उधर बैठे हुए हैं, वे आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं। जो आपको झूठी खबरें दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता से हर एक कार्य किया है। जिन मशीनों को आपके समय में खरीदा गया था। उनके बारे में इनको पता होना चाहिए। इन्हीं के एच0एल0एल0 के द्वारा मशीनों खरीदी गई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा एम0आर0आई0 थ्री टेस्ला मशीन खरीदी गई है। हमने जो रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीन खरीदी है वह एक करोड़ रुपये सस्ते रेट में खरीदी है। उसको एम्स में लगाया गया है। उसके रिजल्ट भी दस साल के लिए हमने खरीदे हैं। इसके अलावा अब हम और मशीनें भी खरीद रहे हैं। माननीय जय राम

24.08.2026/1815/डी0सी0/ए0पी0-03

जी अगर कोई सस्ती मशीन मिलेगी तो आप मुझे बता देना। अभी हम और मशीनें खरीद रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की हालत को जानता हूँ। जिस हालत में आप प्रदेश को छोड़कर गए थे। सभी अस्पताल, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, और अन्य अस्पताल सिर्फ 35 प्रतिशत ऑक्सीजन पर चल रहे थे। स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ में ज्यादातर पद रिक्त थे। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, आपके समय में पी0जी0 तक नहीं चल रहे थे और पैरामेडिकल स्टाफ भी न के बराबर था। आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि हमें सफलता मिली है। हम अस्पतालों को 65 प्रतिशत तक चलाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम अभी 100 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैंने इनको कहा है कि इंतजार कीजिए। दिसंबर और मार्च के बीच तक हम हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में सभी स्टाफ नर्सों के पद भर देंगे। अभी 300 डॉक्टरों की मैंने रिकमेंडेशन दे दी है और 300 डॉक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार आदर्श स्वास्थ्य संस्थान चलाए गए और इन संस्थानों में स्पेशल तौर पर एम0ओ0 के पद भरे गए हैं। आप धमकाते क्यों हैं? गुस्सा आता है? जैसे-जैसे सत्ता छिनने वाली होती है आपको गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मैं चालीस साल के लंबे संघर्ष के बाद यहां पहुंचा हूँ। जिन खड्डों की आप बात कर रहे हैं, कई लोगों ने मेरे लिए खड्डे खोदे, खाइयां खोदीं और बहुत गहरी खाइयां खोदीं। लेकिन भगवान और देवी-देवताओं ने मुझे उन खड्डों से निकालकर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी**24.08.2026/1820/AT/HK/01****मुख्य मंत्री जारी....**

हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, न ही हमारी सोच में खोट है। हम ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं।...(व्यवधान) डॉ0 हंस राज जी, चुप बैठो। मुझे बोलने पर मजबूर मत करो।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप हिमकेयर घोटाले की बात कर रहे हैं। मेरे साथी ने घोटाला कहा तो क्या तकलीफ हुई, क्या समस्या हुई? आपने कहा कि अगर हिमकेयर में घोटाला है तो इन्क्वायरी कराइए। आपने मुझे कहा, डॉ० जनक राज ने कहा कि हिमकेयर में घोटाला है, तो भाई इन्क्वायरी कराइए। मैंने आपकी भावनाओं की कद्र की और इन्क्वायरी करवा दी। आपने इसी हाउस में बोला। अब मैं आपकी भावनाओं की भी कद्र न करूँ? हमने तथ्य रखे हैं। आपके समय हिमकेयर में पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बने। चार पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बने, अब क्यों बने, क्या बने, मैं उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहता।

मैंने तो श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष और विधायक डॉ० जनक राज जी, उनकी भी कद्र की और हिमकेयर का मामला मैंने विजिलेंस में दे दिया। अगर श्री जय राम जी आपकी पार्टी में किसी के साथ लगती हो, तो सुबह-शाम फोन कर देना, मैं उनकी भी इन्क्वायरी करवा दूंगा। मैं इसमें पीछे रहने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जिनकी प्रदेश के लिए नियत साफ होती है, मैं रात के एक-एक बजे तक पढ़कर भी अधिकारियों से सुबह उठकर बात करता हूँ। अभी भी दो लाख परिवारों में से नब्बे हजार परिवार ऐसे हैं, जो कभी भी आई०आर०डी०पी० में नहीं आए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हम दो अक्टूबर से 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' लॉन्च करने जा रहे हैं, जो दो लाख परिवारों को पंद्रह सौ रुपये भी देगी और तीन सौ यूनिट बिजली फ्री भी देगी। जो हम लाने जा रहे हैं, वह आप देखना। मैं यह कहना चाहता हूँ। इसी विधान सभा में इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो इनकी कद्र करता हूँ।....(व्यवधान) और तीसरी बात...(व्यवधान)

24.08.2026/1820/AT/HK/02

तो आपने उनकी बात को बोलने देना था न, बाद में बोलना था, लास्ट में। आपने क्यों बोला? मैं प्रतिबंधित की बात कर रहा हूँ।

तीसरी बात कहना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के विपक्ष के नेताओं की कमेटी बना दीजिए। अगर हमारे भी एक-दो सदस्य डालने हैं, तो डाल दीजिए। मेडिकल कॉलेज में जाकर देखिए।

मैंने इंटरैक्शन किया, हम चंबा के मेडिकल कॉलेज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम नाहन के मेडिकल कॉलेज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम नेरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि टांडा मेडिकल कॉलेज को शुरू हुए 23 साल हो गए हैं। पंद्रह साल बाद हमने एस0आर0शिप शुरू की, हमारी सरकार ने शुरू की।

मेडिकल कॉलेज में टीचर ही नहीं हैं, क्लीनिकल के पूरे टीचर नहीं हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। श्री विपिन सिंह परमार ने उस समय थोड़ा भरने का प्रयास किया था और उसमें आगे बढ़े थे, लेकिन आपने उनका विभाग बदल दिया और उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। जब उन्होंने मेडिकल एजुकेशन को समझा, तब समझ गए थे कि जिस लाइन पर वे काम कर रहे थे, वह ठीक थी। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि इन मेडिकल कॉलेजों में पिछले 40 साल में सिर्फ 270 पी0जी0 सीटें थीं। आप भी जानते होंगे, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय, आपकी बेटी अच्छी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, अच्छी मेरिट में आ रही है, वह जानती होगी। पी0जी0 की सीटें नहीं हैं और जब पी0जी0 तथा एस0आर0शिप नहीं होती, तो मेडिकल कॉलेज चल ही नहीं सकते सिर्फ आई0जी0एम0सी0 को छोड़कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को नईट ड्यूटी देने वाले डॉक्टर सिर्फ पी0जी0 और एस0आर0शिप करने वाले होते हैं। फैकल्टी के हेड नहीं होते, वे कॉल पर बुलाये जाते हैं। यह समझ रहे थे? हम अभी 320 पी0जी0 सीटें बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। दो-तीन विभागों में हमने कहा कि हम पांच लाख रुपये में डॉक्टर रखने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रोफेसर नहीं मिल जाते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पी0एच0सी0 खाली थीं, तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं।

24.08.2026/1820/AT/HK/03

मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता, अगर कोई विधायक घोटाले की बात करता है, तो उसे सुनें। आपकी सुनने की शक्ति शिथिल हो गई है, पहले बहुत थी। आप सुबह उठकर ठंडे पानी का गिलास पिया करो। आप मेरी बात मानो। मुझमें भी बहुत गुस्सा था, मैं भी ठंडा पानी पीता हूं। मुझे यहां बैठकर शांति मिली, आप वहां जाकर बहुत गुस्से में हो गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा, सभापति

महोदय, कि नेता प्रतिपक्ष के पास पानी का गिलास जरूर रखिए। इन्हें हर कोई फट से पर्ची पकड़ा देता है, कोई झूठी बात इनसे बुलवा देता है और मुझे झूठा बोल देते हैं।

श्रीमती ऐ०वी० द्वारा जारी

24.08.2026/1825/av/hk/1

मुख्य मंत्री -----जारी

कि रोबॉटिक सर्जरी में यह नहीं हो रहा या वह नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं और यहां पर हमारे कृषि मंत्री श्री चन्द्र कुमार जी भी बैठे हैं। ये फोर्टीस में गए क्योंकि इनको पता नहीं था कि यहां पर भी रोबॉटिक सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है वरना ये भी अपनी सर्जरी यहीं पर करवाते। इनके वहां पर 6 लाख रुपये लगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर आम आदमी से रोबॉटिक सर्जरी के लिए 30 हजार रुपये की राशि ली जाती है और 90 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। आप इस प्रकार की गाली क्यों देते हैं, मैं कहता हूं कि श्राप तो आपको लगेगा। हमारे होस्पिटल से जो आदमी 90 हजार रुपये सब्सिडी पाकर 30 हजार रुपये में रोबॉटिक सर्जरी करवाकर जाएगा तो ठीक होने पर वह हमें दुआ देगा। अगर कोई स्पेशल वार्ड लेता है तो वह स्पेशल वार्ड की फीस देने की क्षमता रखता है इसलिए हमने उसके लिए 80 हजार रुपये की सब्सिडी रखी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चमियाणा आई०जी०एम०सी० का पार्ट है और हम आई०जी०एम०सी० के पार्ट चमियाणा तथा टांडा को बैस्ट मेडिकल कॉलेजिज बनाने जा रहे हैं। बाकी मेडिकल कॉलेजिज में सारी सुविधाएं देने में अभी समय लगेगा। हमारी सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं और मैं सुविधाएं क्यों न दूं? हमारी डायग्नोस्टिक सबसे बैस्ट होनी चाहिए। आप यहां पर घोटालों की बात कर रहे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां पर ऑटोमेशन लैब लाने जा रहे हैं। ...(व्यवधान) उसके मेम्बर आप (श्री जय राम ठाकुर) ही बन जाना। घोटाले वे लोग करते हैं जिनकी नीयत भ्रष्टाचार करने की होती है। ऑटोमेशन लैब ऐसी है जोकि दिल्ली एम्ज में है, यहां तक कि पी०जी०आई० में भी नहीं है। ...(व्यवधान) बिलासपुर के एम्ज से अच्छा तो हमारा आई०जी०एम०सी० होस्पिटल है क्योंकि हम यहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। मैं जिस ऑटोमेशन लैब की बात

कर रहा हूँ वह हिन्दुस्तान की दूसरी लैब होगी जोकि आपके नेर चौक, चमियाणा, टांडा और हमीरपुर में लगेंगी। चम्बा और नाहन मेडिकल कॉलेज में बाद में लगेंगी। अभी टैस्ट के लिए आपकी तीन-चार सिरिंज भर ली जाती हैं और फिर टैस्ट होता है। ऑटोमेशन लैब में बिना किसी ह्यूमन टच के एक ही सिरिंज भरकर टैस्ट हो जाएंगे। वरना अभी तो कभी क्रष्णा लैब जाओ या फिर लाल पैथ इत्यादि लैब

24.08.2026/1825/av/hk/2

में जाना पड़ता है और बाद में पी0जी0आई0 जाकर पता चलता है कि मुझे यह बीमारी हो गई। हम बीमारी को यहीं पर खोजना चाहते हैं। अगर व्यक्ति को अपनी बीमारी की सही जानकारी मिल जाए तो उपचार तो वह कहीं भी करवा सकता है। हमारी सरकार की इस प्रकार की नीयत है परंतु आपको खरीददारी में भी घोटाले नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कहीं सही मायने में घोटाला नज़र आता है तो उसको मेरे समक्ष लाइए। मैं उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। आपने खुद देखा होगा, सबोर्डिनेट सलेक्शन कमीशन के पेपर लीक होते थे तो वे दोषी व्यक्ति आज तक सलाखों के पीछे हैं।

मैं एक वीडियो देख रहा था। आप लोग विजिलेंस के ऑफिस जा रहे थे जैसे कि कोई युद्ध या आजादी की लड़ाई जीत कर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार करके 15-16 समर्थकों के साथ चले हुए थे। अरे, कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी ही चार्जशीट में तो उनके नाम हैं। ...(व्यवधान) आदरणीय जय राम जी, आप तो ईमानदार हैं मगर उनको देखिए जिनके नाम आप वर्ष 2017 के दौरान चार्जशीट में डाल रहे थे। ...(व्यवधान) आपने उनके नाम क्यों डाले? क्या मैंने श्री हर्ष महाजन, श्री राजेन्द्र राणा और श्री सुधीर शर्मा का नाम डालने के लिए बोला था? आज ये लोग उनके पीछे चले हुए हैं। अरे, आपकी कुछ नीतियां व सिद्धांत थे, आप उन सिद्धांतों से भटक चुके हैं। अगर आप इसी प्रकार से व्यवहार करते रहें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 16 तो आपके नज़र तक नहीं आएंगे और आप 28 सदस्यों से भी कम हो जाएंगे। अगर कहीं आप ठीक ढंग से चल पड़े तो शायद बीस तक पहुंच जाएंगे और जो (डॉ० हंस राज) जोर से हंसने वाले हैं वे तो टिकट भी नहीं पाएंगे। इन्हीं के बंदे इनको काटेंगे, आपने मेरी इस बात का रिकॉर्ड रख लेना। ...(व्यवधान) आ सकते हैं, आपकी (श्री

जय राम ठाकुर) अपनी ताकत होगी और मैं चाहता हूं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भी दिखाइए। ...(व्यवधान) इधर 40 से ज्यादा आएंगे बल्कि उधर की 2-4 सीट्स हम और लेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी सरकार इनकी चार्जशीट पर जांच करवा रही है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हिमकेयर घोटाला आपकी ही देन है। उसमें जो सच्चाई सामने आएगी, हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आपको भी पूछ लेंगे कि किसको करना है या क्या करना है। आप कौन से हमसे दूर जा रहे हैं।

24.08.2026/1825/av/hk/3

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अगला वक्ता टी सी द्वारा जारी

24.08.2026/1830/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

सभापति : श्री जय ठाकुर जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से क्या बात करूं। अभी वे थक कर आए हैं और थकान उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक बात को लेकर हैरान हूं कि उन्होंने ज्योतिषी का काम भी शुरू कर दिया है। पता नहीं ये हाथ देखते हैं या कुंडली देखते हैं लेकिन भविष्य की भविष्यवाणियां कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इन्होंने इस माननीय सदन में जो भविष्यवाणी की है उसका परिणाम हमारे माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी के सामने है। इन्होंने विधान सभा और जनसभा में भी बोला, पता नहीं कहाँ-कहाँ नहीं बोला। अब उनकी क्या स्थिति हो सकती है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मेरे ही कहने पर इन्होंने उस दिन इनके लिए यहां घोषणा कर दी थी और उस घोषणा को एक वर्ष बीतने जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आगे बढ़कर यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपने आंखें बंद करके ही यह तय कर लिया है कि प्रदेश की जो स्थिति आपके सामने है उसके

बावजूद भी नहीं मानना है तो आपकी मर्जी है, आप मत मानिए। इसका हश्र क्या होने वाला है यह आपने अभी पंचायत के चुनाव में देख लिया है। इसलिए अब कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने टालने और बचने की बहुत कोशिश की लेकिन आप बच नहीं पाए। 12 में से 10 जिला परिषदों के चुनाव हुए और 10 में से नौ स्थानों पर आप कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए। यह स्थिति आपके सामने है। इसके बावजूद आप आगे की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बी०जे०पी० के कुल 16 सदस्य जीतकर आएंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी०जे०पी० के 60 सदस्य जीतकर आएंगे। आपने जो बात पी०जी० सीट्स के संबंध में कही है, आप उस विश्वास में बैठे रहें। ...(व्यवधान)

Chairman : Please don't disturb.

श्री जय राम ठाकुर : ये जो पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर है ये सबको चाबी देते हैं। ये दुबले-पतले आदमी हैं और बेचारे दिखाई भी नहीं देते। जहां से निकल कर जाते हैं

24.08.2026/1830/टी०सी०वी०/वाई०के०/-2

वहां चाबी दे देते हैं और अब वहां जाकर भी चाबी देने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री : आपने भी पांच साल मुझे बहुत चाबी दी है। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अभी तो यह मेरा धर्म बनता है। आपने देख लेना आगे भी पूरी चाबी दूंगा। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी सच्चाई बोलिए और जो सच है वही बोलिए। आपको यह कहना चाहिए था कि मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ जिन्होंने 350 पी०जी० सीट्स के लिए बजट का प्रावधान किया है क्योंकि केंद्र सरकार एक पी०जी० के स्टूडेंट के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देगी तभी जाकर आप यह हिम्मत कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर केंद्र सरकार वह पैसा नहीं देती तो आप यह बात कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। आप आज की तारीख में एक क्लास फोर का कर्मचारी लगाने की स्थिति में नहीं हैं और वहां आप 350 पी०जी० की सीट्स बढ़ाने की बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर है।

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं उनके प्रति आपको आभार का एक शब्द तो व्यक्त कर लेना चाहिए। एक शब्द इस्तेमाल करने में आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आपका क्या छीना जा रहा है और क्या लूटा जा रहा है। आपको खुले मन से कहना चाहिए कि पी0जी0 सीट्स के लिए केंद्र की ओर से जो अनुदान दिया जाएगा उसके लिए हम आभारी हैं।

सभापति महोदय, इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर हम यह कह सकते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि अब वक्त बीत गया है और आपका तिलिस्म टूट गया है। अब लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे और यदि सुनेंगे भी तो आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जनता का आपके ऊपर से भरोसा उठ गया है। जो मुख्य मंत्री सदन के अंदर और जनसभा में यह घोषणा कर दें कि इस तारीख को मैं इस व्यक्ति को मंत्री बना रहा हूं और एक वर्ष बीतने के बाद भी वह मंत्री नहीं बना तो आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? इसलिए अब आपकी बात पर लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। अब इस बात को स्वीकार कर लीजिए।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

24-8-2026/1835/NS-YK/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

आप अच्छा मानें या बुरा मानें, अच्छा है कि चलो ये बन जाएं। हम तो बोल रहे हैं, हम आज भी बोल रहे हैं कि अरे, कल बनाएं या परसों बनाएं, आप इनको क्यों तरसा रहे हैं? आखिरकार आदमी हैं। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, यह तो किसी व्यक्ति की प्रताड़ना है और घोर प्रताड़ना है। ...(व्यवधान) मैं ठीक बोल रहा हूं और यह प्रताड़ना ही है। (व्यवधान) इनको प्रताड़ित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की बात तो कह रहे हैं। अर्श की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप फर्श की बात भी कहिए। अर्श तभी जाकर ऊपर टिकेगा जब आपका फर्श मजबूत होगा और वही मजबूत

नहीं है। आज की तारीख में लोगों को स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दवाइयों के बिना लोग मर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में डीले के कारण भी लोग मर रहे हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हाई-एंड मेडिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। आप कीजिए लेकिन वह स्थिति आने से पहले उन लोगों को मरने पर विवश मत कीजिए जो चीख रहे हैं और जिनको दर्द व पीड़ा हो रही है तथा आपसे मदद की पुकार कर रहे हैं। आपके पास से उनको बेसिक सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। आज एक आदमी यहां आया था। मैं सुबह आ रहा था और वह गेट के पास आया था तथा व्हील चेयर पर था। मेरे ख्याल से उसे पैरालिसिज़ हुआ था और उसके शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं चलता था। उसे पहले सहारा योजना का पैसा मिलता था। जब मैं वहां से आ रहा था तो मुझे उससे मिलने का मौका मिला और मैंने उससे पूछा कि क्या सहारा योजना का पैसा मिलता है? उसने कहा कि पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। आप फिर अर्श पर चढ़े जा रहे हैं और आपका फर्श टूटा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई पर बात करें। कब तक आप प्रदेश को हवा में घुमाते और उड़ाते रहेंगे? आप हकीकत को समझिए। हकीकत को समझने के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। सत्ता का असर इस कदर हो गया है कि आपको खुली आंखों से देखने की आदत ही नहीं रही। ये सामने बैठे (सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करत हुए) हमारे मित्र हैं और अब इनके वश की बात नहीं रह गई है कि आपकी आंखें खोलें यानी आपको सच्चाई और हकीकत बताएं। ये आपसे डरते हैं क्योंकि आपने इन्हें डरा कर रखा है। मैंने किसी मित्र से पूछा कि यार, ये मुख्य मंत्री जी किसकी सुनते हैं? उसने कहा कि सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैंने कहा कि

24-8-2026/1835/NS-YK/2

मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसने कहा कि सुक्खू की सुनते हैं, सुक्खू जी की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। मुख्य मंत्री जी, ये धारणा अच्छी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो और आप सारी चीजों के ज्ञाता हों लेकिन सबकी सुनिए और उसके बाद वह कीजिए जो उचित है, प्रदेश और जन-हित में उचित है, आप वही कीजिए। सिर्फ सुक्खू जी के हित की मत कीजिए क्योंकि वह प्रदेश के लिए नुकसानदायक होगा इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाह रहा था और राजनीति भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य के विषय पर गंभीर चर्चा हो

रही थी। यहां हैल्थ पर चर्चा हो रही थी लेकिन इन्होंने वहां से शुरू करते-करते चर्चा को वहां पहुंचा दिया जहां इनके जीवन का असली विषय है और वह केवल राजनीति है। प्रदेश का जो होना है, होता रहे और गरीब का जो होना है, होता रहे लेकिन इनका उससे कोई लेना-देना नहीं है और इन्हें कोई परवाह भी नहीं है। इन्हें तो राजनीति करनी है, अपनी कुर्सी बचानी है और फिर से कुर्सी पर आना है। यह जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम यहां काम करने और परफॉर्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, आदमी से काम करते-करते गलती होती है और उसको भी स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार आदमी हैं, भगवान तो नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद यहां काम करने के लिए आए हैं तो काम होना चाहिए। मुझे इस बात को लेकर अफ़सोस है कि आज पिछली सरकार की हिमकेयर योजना, सहारा योजना की चर्चा होती है, पूर्व सरकार की योजना यानी गृहिणी सुविधा योजना की चर्चा होती है। आज बहुत सारी योजनाओं की चर्चा होती है लेकिन आपकी किसी भी योजना व सरकार की चर्चा गांव में नहीं होती है। आपने चार वर्षों का कार्यकाल व्यतीत कर दिया। आप चीजों को बंद करने और तालाबंदी करने में समय बिता चुके हैं लेकिन उसके बावजूद आप एक भी चीज शुरू नहीं कर पाए जिसको आपके नाम से याद रखा जाए। याद क्या रखा जाएगा- ताला, ताला, ताला। आपको तालाबंदी के नाम से

आर०के०एस० द्वारा -----जारी

24.08.2026/1840/RKS/AG-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

पूरे प्रदेश में तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है। जब सुखू जी का चेहरा सामने आता है तो मालूम पड़ता है कि पूरे प्रदेश में तालाबंदी हुई पड़ी है। विकास कार्य ठप पड़े हैं, जो संस्थान चल रहे थे उन पर ताला लगा दिया गया है और जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थीं उन पर भी ताला लगाने का कार्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी कारण हमें इस विषय पर बोलने के लिए विवश होना पड़ा है। आप सदन में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं विशेष रूप से

एक बार फिर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बात अभी भी अधूरी है। हमने कहा था कि आप इस विषय में व्यवस्था देंगे।

अध्यक्ष : आपकी सारी बातें पूरी होंगी और कोई बात अधूरी नहीं रहेगी।

श्री जय राम ठाकुर : आप इस आसन पर बैठे हैं, आपके प्रति माननीय सदन का सम्मान और विश्वास बरकरार रहना चाहिए। (***)

Speaker: This will not be a part of the record because it is not a part of the issue, which you have raised. ...(Interruption) This we have decided in the morning. ...(Interruption)

Shri Jai Ram Thakur: Why this should not be part of the record? ...(Interruption)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

24.08.2026/1840/RKS/AG-2

Speaker: This we have decided in the morning. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) This we have decided. ...(Interruption) Whatever you (Shri Jai Ram Thakur) are saying is not going on record. ...(Interruption)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नोकझोंक करने लगे।)

What for you are protesting? ...(Interruption) I am failed to understand what has irritated you. ...(Interruption) Why are you feeling irritated? ...(Interruption) You see, the discussion is for the health and you have raised certain points regarding health. Let the Hon'ble Chief Minister reply. So far the other issue is concerned, I have Ruled that. ...(Interruption)

Shri Jai Ram Thakur: Why this should not be part of the record, tell me?

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष : आप जो राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं उसके ऊपर सुबह एक रूलिंग आ चुकी है। आप इस विषय पर मुझे चैम्बर में भी मिले हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और उसके ऊपर मैंने निर्णय लिया है, I will let you know. आप जो मांग रहे हैं, वह आपको मिल रहा है। ...(Interruption) Now, you are dictating the Chair time and again. You want videos. We are giving you the videos. ...(Interruption) Why this will come on record? ...(Interruption) This has already come on record in the 24.08.2026/1840/RKS/AG-3

morning. ...(Interruption) This is in reference to the health discussion. You are making certain points regarding the health institutions. ...(Interruption) This is not a question of Parliament. This is health. ...(Interruption) Whatever you are saying is not going on record. ...(Interruption) I am not allowing that. ...(Interruption) Please take

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Monday, 24 August, 2026

your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Nothing will go on record except the health discussion. ...(Interruption) The points which have been raised about the health discussion will be part of the record, rest will not be part of the record.

House adjourned till tomorrow 11 o'clock.

Yash Paul Sharma
Secretary

Shimla 171004

Dated: 24.08.2026